राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ४४वां दिवस [संख्या ३३

गुरूवार दिनांक ८ अप्रेल, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, राजस्व, स्वायत्त शासन, खाद्य अकाल सहायता, जन-स्वास्थ्य, सिंचाई, गृह एवं खनिज—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ७९३

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल ।

तहसील सराड़ा क्षेत्र में काश्तकारों द्वारा भूमि पर नाजायज़ कब्जा

७९४. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु०) :क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सराड़ा क्षेत्र में कितने काश्तकारों ने कितनी भूमि पर नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है ?

(२) कितने काश्तकारों पर नाजायज़ कब्जों के सिलसिले में कार्यवाही चल रही है ?

(३) नाजायज़ कब्जों के कारण कितने काश्तकारों पर जुर्माने किये गये हैं ?

(४) क्या यह सही है कि जुर्माना किये जाने के बाद भी यह जमीन काश्तकारों के नाम दर्ज नहीं की गई है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील सराड़ा में २१५३ काश्तकारों ने ४३१९ एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है ।

Page No 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) काश्तकारों पर नाजायज कब्जों के बाबत कार्यवाही चल रही है।

(३) नाजायज कब्जों के कारण ६३३ काश्तकारों पर पैनेल्टी कायम की गई है।

(४) जी नहीं, इस विषय में कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

श्री देवीलाल मीणा : क्या जिन काश्तकारों से पैनेल्टी वसूल कर ली है उनको खातेदारी राइट्स दिये जावेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनमें ५६१ काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं।

श्री देवीलाल मीणा : पैनेल्टी जो लगायी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो मैंने संख्या बताई है ६३३ उसमें से ५६१ काश्तकारों को सर्कुलर के तहत खातेदारी के अधिकार दे दिये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ४८०० व्यक्ति जिनके खिलाफ आपने ट्रेसपासर्स के केसेज कर रखे हैं, ६३३ पर आपने जुर्माने किये, ५६१ को उनमें से खातेदारी अधिकार दिये; उसी तरीके के केसेज हैं, ४८०० में से कुल कितने केसेज सिमिलर हैं ५६१ केसेज के ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा निवेदन यह है कि जिन मामलों का फैसला हुआ है उनमें से ५६१ ऐसे काश्तकार हैं जो उस सर्कुलर के तहत या उसके बाद जो तरमीमात हुई हैं उनके अन्तर्गत आते थे उनको खातेदारी अधिकार उस सर्कुलर के तहत दे दिये गये। ७२ काश्तकार ऐसे थे जो उस सर्कुलर के तहत नहीं आते थे और उनको खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये।

श्री देवीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पेनेल्टी वगैरह वसूल कर ली गई है। कई ऐसे काश्तकार हैं जिनसे पैनेल्टी तो वसूल कर ली है लेकिन उनको खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ७२ काश्तकार ऐसे हैं जिनसे पैनेल्टी तो ले लेने के आदेश हुए हैं लेकिन जो उस सर्कुलर की रोशनी में नहीं आते थे उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ७२ के खिलाफ दफा ६१ के तहत सर्कुलर के पहले ही कार्यवाही हो रही है, सर्कुलर बाद में इश्यू हुआ तो क्या उनको उसका लाभ नहीं मिल सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो मामले सर्कुलर निकलने के पहले चल रहे थे और सर्कुलर के बाद में भी आये तो ८-११-६२ को यह भी सर्कुलर निकाल दिया कि ६१ के तहत पेन्डिंग केसेज हैं उनमें अलग से प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। वे केसेज भी उसी सर्कुलर की लाइट में फैसल किये जावेंगे। ७२ केसेज ऐसे हैं। १५ एकड़ तक की सीमा निर्धारित की है, यहां तक रेगुलराइज कर देंगे, बाद में लागू नहीं होंगे।

Page No 3

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : १५ एकड़ के बाद बेदखल कर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ४०८ में से कितने...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ४०८ काश्तकारों पर नाजायज कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है और ६३३ पर पैनेल्टी होकर फाइनल फैसला हो चुका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ४०८ केसेज में से ऐसे कितने केसेज हैं जिनको ५३३ केसेज की तरह ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो केसेज पेन्डिग हैं उनके बारे में अभी आफ्टर एग्जामिनेशन फैसला हुआ है और उस सर्कुलर की रोशनी में ही उनका भी फैसला होगा।

श्री देवीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, ऐसे काश्तकार ऐसे हैं? एक आदेश निकला था जिसके अन्तर्गत उन काश्तकारों को वह जमीन मिल जानी चाहिये थी लेकिन वे अनभिज्ञ होने से प्रार्थना-पत्र नहीं दे सकते थे। दस साल पहले से ही उनका उन जमीनों पर कब्जा है। उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं। पांच सौ से तीन हजार तक उनसे जुर्माना लिया है जो कि उनकी देने की हैसियत के बाहर हैं फिर भी उनको अधिकार खातेदारी के नहीं मिले हैं। ऐसी स्थिति में मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने कन्सेशन्स दिये थे। दो प्रकार के थे। या तो वह अवधि उस सर्कुलर में दी। रेगुलराइजेशन के लिये प्रार्थना-पत्र दें या वे लोग जिनके ऊपर पहले से ही मुकदमे चल रहे थे सर्कुलर में तारीखें बतायी हैं उन दोनों के बारे में सर्कुलर में व्यवस्था है, इसलिये दोनों तरह के केसेज उस सर्कुलर की रोशनी में फैसले होते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि जैसा आपने बताया ४०८ पेन्डिग हैं; इसके अलावा भी और कई केसेज हैं जिनमें नाजायज कब्जा कर रखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकते हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा बताया ७२ के पैनेल्टी के आदेश हुए हैं, क्या उनसे पैनेल्टी वसूल कर ली है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पैनेल्टी जो कायम की गई, हो सकता है वसूल हो गई होगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : पूरी वसूल हो गई है, या बाकी है; निश्चित उत्तर आना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वसूल कर भी ली गई है तो कोई बुरी बात नहीं है, वसूल करने के आदेश हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री स्वरूपसिंह।

जोधपुर शहर का गन्दा नाला

७६५. **श्री स्वरूपसिंह** (चूनी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के गन्दे नाले को जो पुलिस लाइन्स के पास है, ढके जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो काम कब शुरू हो जायेगा ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री स्वरूपसिंह : उस नाले से गन्दगी फैलती है, सारा पानी इधर उधर फैलता है; इससे न्युसेन्स वहां पर हो रही है, फिर आप कैसे कहते हैं, प्रश्न नहीं उठता ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो यह इसलिये निवेदन किया, जो प्रश्न पूछा है उसमें आपने पूछा है कि योजना विचाराधीन है क्या ? मैंने कहा, 'जी नहीं'।

श्री स्वरूपसिंह : वह नाला युनिवर्सिटी, कॉलेज आदि से होता हुआ बहता है, इससे बड़ी गन्दगी रहती है; बीमारी फैलने का भी डर रहता है तो क्या सरकार इसको बनाने का विचार बिल्कुल नहीं रखती ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : नाला बनाने की स्कीम म्युनिसिपैलिटी के पास होती है, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के पास होती है। उसी हिसाब से नाले कवर होते हैं। न हमारे से किसी म्युनिसिपैलिटी ने पैसा मांगा और न स्कीम बनाई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आप इस नाले को ढकने के लिये म्युनिसिपैलिटी को ग्रान्ट देंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : जनरल ग्रान्ट होगी उसमें से जितना उनको मिल सकता है दिया जायगा; स्पेशल ग्रान्ट नहीं दी जा सकती।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े बड़े नाले जो शहर के बीच या शहर के चारों ओर से निकलते हैं, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर में भी ऐसे नाले हैं जो खुले पड़े हुए हैं। इस पर खर्चा बहुत होता है, ढकने में इतना पैसा म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्पूवमेंट ट्रस्ट खर्च नहीं कर सकते। ऐसी हालत में जब राज्य सरकार पर जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है तो फिर सरकार इनको ढकने का विचार क्यों नहीं करती ?

श्री बरकतुल्ला खां : राजस्थान सरकार के पास जो योजना के अन्तर्गत रुपया आता है वह उचित तरीके से बांटा जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास ऐसे कामों के लिये रुपया नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता; कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ को हम इसके लिये रुपया दें और कुछ को नहीं दें। सबके साथ एक प्रकार का सा व्यवहार किया जाता है। जहां बड़े बड़े म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं वहां उनकी आमदनी भी बड़ी है। राज्य

(श्री बरकतुल्लाखां)

सरकार जो जनरल सहायता देती है वह सबको देने के लिये तैयार है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बड़े बड़े सोर्सेज हैं लेकिन राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के तहत गवर्नमेन्ट को रेजीडुअरी पॉवर्स हैं ; सरकार कोम्पीटेन्ट है उनको डाइरेक्टिव्ज़ दे कि आप इस काम को करिये ।

श्री बरकतुल्ला खां : डाइरेक्टिव नहीं दे सकते । जिस शहर का यह प्रश्न है और जिस इलाके का है वहां का मैं रहने वाला हूं वहां के वोटर्स से ही मैं आया हूं । वहीं पर ही यह गन्दा नाला है । मैंने वहां म्युनिसिपल चैयरमैन से पर्सनल तौर पर बातचीत की है, कहा है इसको हाथ में लीजिये । मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आप आदेश नहीं, तो सलाह तो म्युनिसिपैलिटी को दे सकते हैं कि यह गन्दा नाला है, इसका ढका जाना आवश्यक है । मेरी जानकारी के अनुसार यह ऐसी जगह से होकर बहता है जहां पर इसका ढका जाना परमावश्यक है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह समस्या इतनी बड़ी है कि राज्य सरकार पर्सनल इन्फ्लुएन्स से करे, इतना ही काफी नहीं है । जिस नाले से लाखों लोग प्रभावित होते हैं ऐसे कार्य के लिये निग्लेक्ट करना सरकार उचित मानती है । अगर आपने पहले इसको नहीं रखा है तो फोर्थ प्लान में रखने का आपको गंभीरता से विचार करना चाहिये जितने बड़े बड़े शहरों में नाले हैं चौथी योजना में पैसा रखें ताकि अगले साल काम शुरू हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : चौथी प्लान में इस पर विचार कीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हां तो मर लें, अध्यक्ष महोदय; जबान से तो कुछ कहें ।

श्री बरकतुल्ला खां : जो म्युनिसिपैलिटीज़ को मदद करने का प्रावधान रखा गया है, जो जो म्युनिसिपैलिटीज क्वालिफाई होती हैं उनको दिया जाता है, लेकिन किसी खास म्युनिसिपैलिटी के लिये कुछ विशेष सुविधा दी जाय, उसके लिये खास प्रावधान किया जाय, इसके लिये सरकार के पास व्यवस्था नहीं है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : नेशनल सेनीटरी प्रोग्राम के तहत केन्द्रीय सरकार से एड के रूप में लोन्स ले सकती हैं ?

श्री स्वरूपसिंह : जो यह नाला निकलता है पुलिस लाइन्स, युनिवर्सिटी, कॉलेज, लेडी कॉलेज से होकर निकलता है यह नाला कुछ जगह से तो बन्द है, बाकी जगह से बन्द क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : सात-आठ जगह से कवर किया है, और कवर करने की योजना हाथ में ले ली है । पाइप मंगाये गये लेकिन उस समय सारे नाले को कवर नहीं कर सके । चार लाख की स्कीम बनायी थी ।

Page No 6

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

मूल्य समीकरण फण्ड

७६६. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कलेक्टर बीकानेर ने "मूल्य समीकरण फण्ड" के लिये साधारण नागरिकों से करीब १० नये पैसे प्रति किलो चीनी के ज्यादा मूल्य चार्ज किये ?

(२) यदि हां, तो यह अधिक चार्ज कितने महीनों तक किया गया व इस अधिक मूल्य के द्वारा मूल्य समीकरण फण्ड में कितने रुपये इकट्ठे हुए ?

(३) मूल्य समीकरण फण्ड का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है । इसका पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रक्खें ?

(४) बीकानेर में, कलेक्टर बीकानेर द्वारा मूल्य समीकरण फण्ड का जो उपयोग किया गया, क्या वह वाजिब, न्यायसंगत व कानून सम्मत है ? क्या राजस्थान में अन्य किसी कलेक्टर ने भी मूल्य समीकरण फण्ड के नाम से चीनी की कीमत में १० नये पैसे प्रति किलो की बढ़ोत्तरी की ?

(५) क्या राज्य सरकार कलेक्टर बीकानेर की उक्त कार्यवाही को अनुचित नहीं समझती ? यदि अनुचित समझती है तो उसके विरुद्ध उसने क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) माह नवम्बर व दिसम्बर, १९६४ में यह अधिक चार्ज किया गया जिससे मूल्य समीकरण फण्ड में ३७,२१९.८० पैसे जमा हुए हैं ।

(३) कन्ट्रोल की वस्तुओं की रिटेल प्राइस फिक्स करने के फलस्वरूप आये डिफरेन्स का अनुचित लाभ व्यापारी को न मिल सके तथा उसका प्रयोग ग्राम जनता के हितार्थ हो, को ध्यान में रखते हुए उक्त फण्ड की स्थापना हुई । आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(४) जी हां । लेकिन जहां तक अन्य जिलों का प्रश्न है दस नये पैसे की बढोतरी की गई हो ऐसी बात नहीं है मूल्य समीकरण के लिये जिलाधीशों द्वारा रिटेल प्राइस बढ़ा दी जाती है ।

(५) जी, नहीं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने पार्ट एक का जवाब "जी हां" दिया, दूसरे पार्ट का जवाब सुना नहीं, जरा दोहरा दीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अधिक चार्ज से ३७ हजार रुपया एकत्र हुआ ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह कितने महीने का बताया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माह नवम्बर और दिसम्बर का है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो माह में ३७ हजार रुपया एकत्र हुआ इस फंड में। प्राइस इनफ्लेशन फण्ड में जो रकम जमा होती है उसके लिये नोटिफिकेशन यह है, उसके लिये रूल्स बनाये हैं।

जिसके तहत जहां १७।। पैसा है उसको १८ कर सकते हैं, लेकिन आपने दस पैसा एक किलो पर बढ़ा दिया। दो महीनों में बहुत ज्यादा चार्ज किया है। आपने जितना इकट्ठा किया है आज उसको दूसरी कॉमोडिटीज में सब्सिडाइज करने का राज्य सरकार विचार रखती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो माह के अन्दर जो यह एकत्र हुआ उसके लिये बीकानेर जिले में एक विशेष परिस्थिति थी वह यह कि दो तीन जगह से वहां पर शक्कर आयी। दो तीन जगह से जो शक्कर आयी थी उसके भाव अलग अलग थे। बाजार में अलग अलग जगहों से आयी हुई शक्कर को अलग अलग भावों पर बेचना मुनासिब नहीं समझा इसलिये शक्कर के भाव एक रखे। लेकिन एक ही रखने से जो बचत हुई, उसको इस फण्ड में जमा कर दें। केवल यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट रहे, इस दृष्टि से इन दो महीनों में यह बात की गई और इसलिये ३७ हजार और कुछ रुपया जमा हुआ है। बाकी जो फण्ड के रूल्स हैं उनके तहत आम तौर पर जो रकम इस फण्ड से जमा होती है वह कोई इतनी ज्यादा नहीं होती है। यहां यह विशेष परिस्थिति हुई, इससे यह डिफरेन्स रहा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चूंकि इन दो महीनों में अलग-अलग मिलों से माल आ गया इसलिये लोगों की जेब से एक किलोग्राम के पीछे दस नये पैसे चार्ज कर लिये गये अधिक। तो इस दस नये पैसे को आगे आने वाले कन्साइनमेन्ट के विरुद्ध सब्सिडाइज्ड रेट पर क्यों नहीं निर्धारित किया जाता ?

श्री अध्यक्ष : इस फण्ड का उपयोग क्या होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं, अध्यक्ष जी, यही निवेदन करने जा रहा हूं। फण्ड का जो उद्देश्य है और जो उसका उपयोग होता है उससे भी जाहिर है कि यह कोई अनुचित बात नहीं हुई। बीकानेर का यह प्रश्न है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस फण्ड में २४-२-६५ तक जिसमें ये तारीखें भी सम्मिलित हैं रु. २,२६,६५६.१७ नये पैसे जमा हुए। उसमें से रु० १,०२,६७६.२४ नये पैसे वहीं की कमेटी जिसमें चेयरमैन उसी कमेटी में से मंजूर होते हैं। वे जिस अच्छे काम के लिये पब्लिक यूटीलिटी वर्क के लिये खर्चा करना चाहते हैं और जिसके लिये वे सरकार को रिकमण्ड करना चाहते हैं ये करते हैं, उसी के अनुसार उन्होंने इतनी रकम एक पब्लिक यूटीलिटी के काम के लिये खर्च लोगों के इलाज के लिये, अस्पताल के लिये खर्च करने के लिये रिकमण्ड किया। सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी। तो अगर दो पैसा, दस पैसा, पांच पैसा

Page No 8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जो भी विशेष परिस्थितियों में अधिक जमा हुआ है अथवा आम तौर पर इन रूल्स के तहत जमा होता है उसका उपयोग वहीं पर कहीं कोई उस कमेटी की रिकमण्डेशन से और सरकार की मन्जूरी से पब्लिक के फायदे के लिये खर्च किया गया है या किया जाता है तो इसलिये सब्सिडाइज्ड करने का प्रश्न सरकार के सामने नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह हमारे पब्लिक पर्पज़ेज़ के लिये काम आता है अगर ऐसा ही आप मानते हैं तो फिर आज चीनी की कीमत पर आठ आना भी आप बढ़ा दें पर-किलोग्राम, तो हजारों लाखों रुपया आप इकट्ठा कर सकते हैं। जयपुर जैसे शहर में बढ़ा दे तो एक महीने में दस लाख रुपया इकट्ठा हो सकता है और हॉस्पिटल बना दें और कह दें कि अच्छे काम में उपयोग हो गया। तो यह पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ यह है कि ।०।, ।०॥, ।०॥। के फ्रिक्शन्स आ जावें तो जिसकी करेन्सी चालू नहीं है इसलिये राउन्ड अप करने के लिये एक पैसे के बराबर बना दिया जावे। यह समझ में आ सकता है। पर आप दस पैसा बढ़ा दें, यह भारी पड़ेगा। आज-कल महंगाई बढ़ रही है, कीमतें चीजों की बढ़ रही हैं। सरकार चाहती है, कीमतें घटें; पर करती उल्टा है। जिसको लेने का अधिकार सरकार को नहीं है वह लेती है, तो उसे वापिस सब्सिडाइज्ड करने का विचार सरकार क्यों नहीं करती है? भविष्य में इस इक्विला-इज़ेशन फण्ड का मूल्यों को कम करने के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, पर्पज़ यह होना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इक्विलाइजेशन फण्ड तो बीकानेर की स्टेट के वक्त था। १९६१ से यह चैरिटी फण्ड हो गया है इसलिये इसका उद्देश्य ही चैरिटी में खर्चा करने का है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप इसका नाम चैरिटी फण्ड रख लें। कुछ भी रख लें। पर मैं कह सकता हूँ कि कमिश्नर, फूड कमिश्नर के द्वारा सक्यूलर इश्यू किया गया है तो उसमें यही कहा गया है कि प्राइस इक्विलाइजेशन के फण्ड के नाम से जमा होता है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस फण्ड को प्राइसेज़ को गिराने में आप काम में लें। अब पब्लिक पर्पज़ेज़ में खर्च करने की शौहरत भी सरकार लूट ले और खर्च जनता की जेब से करावे, तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकतीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जनता की सुविधाओं का सवाल है। माननीय सदस्य को तो खुश होना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य को खुशी है, पर अपने पैसे से सरकार कुछ यूनिट खोलती तो खुशी होती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राज्य सरकार का अपना पैसा कुछ नहीं है। सब जनता का ही होता है। और मूल्य बढ़ा कर बनाया जाय, यह उद्देश्य नहीं हो सकता राज्य सरकार का।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यहां मूल्य बढ़ाने का नहीं, प्राइस घटाने का है प्रश्न।

Page No 9

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

पाली जिले में अकाल राहत कार्य

७९७. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में वर्ष १९६४ में अकाल राहत हेतु कहां कहां पर ट्रकों से पानी पहुंचाया गया ?

(२) ट्रकों से पानी पहुंचाने का कार्य किन किन शर्तों पर दिया गया ?

(३) ट्रकों से पानी की सप्लाई की जांच का क्या आधार था जिससे कि यह पता लग सके कि कॉन्ट्रेक्टर शर्त के मुताबिक पानी पहुंचा रहा है ?

(४) क्या सरकार की जानकारी में है कि पाली जिले में पानी की सप्लाई व घास की सप्लाई के परिवहन में भारी घोटाला हुआ है ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो इस तरह से घोटाले से सम्बन्धित है, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(५) क्या अकाल राहत कार्यों व अकाल राहत पर सन् १९६३-६४ में खर्च किये गये रुपयों के हिसाब का ऑडिट हो चुका है ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

अकाल सहायता मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) निम्नलिखित गांवों में पाली जिले में अकाल पीड़ितों के लिये पानी पहुंचाया गया :

(१) खोड, (२) जावाली, (३) देसूरी, (४) गिरवर, (५) रेखड़ा खुर्द, (६) खुटानी, (७) पांच पदसीया, (८) गेलावास।

(२) पानी पहुंचाने का कार्य श्री पोकरराम एण्ड कम्पनी, सोजत, को निम्नलिखित शर्तों पर दिया गया था :

(क) डामर रोड तीन पाई प्रति मन प्रति माइल।

(ख) ग्रेवल रोड ३।। पाई प्रति मन प्रति मील।

(ग) कच्चा रोड पांच पाई प्रति मन प्रति मील।

(घ) पांच टन की क्षमता की ट्रक काम में लाई जावेगी और हिसाब लोडिंग कैपेसिटी पर लगाया जावेगा।

(ङ) माइलेज के अलावा ५) रु. प्रति ट्रक प्रति दिन और दिया जावेगा।

(च) अगर पम्प सरकार द्वारा दिया गया तो पैट्रोल व डीज़ल का खर्चा ठेकेदार द्वारा बर्दाश्त किया जावेगा। अगर पम्प सरकार नहीं देगी तो ठेकेदार को लाना होगा।

(३) ठेकेदारों को हिदायत दी गई थी कि पानी की सप्लाई की तस्दीक जिस गांव

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

में पानी सप्लाई किया जावे वहां के सरपंच, उप-सरपंच, पटवारी, वार्ड पंच या तहसीलदार से कराकर बिल पर तस्दीक करा कर पेश करे ।

(४) घास व पानी के परिवहन के खर्च में कई प्रकार की अनियमितताएं बरती जाने तथा ठेकेदारों को ज्यादा पैसा चुका दिये जाने की सूचना सरकार को ऑडिट रिपोर्ट के जरिये प्राप्त हुई है । इस विषय में जांच के आदेश दिये जा चुके हैं । जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों पर दायित्व का स्थिरीकरण करने की कार्यवाही करेगी ।

(५) सन् ६३-६४ में अकाल राहत पर खर्च किये रुपयों का ऑडिट हो चुका है । ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है ।

(ऑडिट रिपोर्ट विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न (४), के उत्तर में बताया कि ऑडिट रिपोर्ट के जरिये अनियमितताएं ध्यान में आईं । तो क्या उन अधिकारियों ने जिन्होंने पेमेन्ट एक्सैस कर दिया और शर्तों के विरुद्ध कर दिया सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, और लिया, तो क्या लिया ? किस बात की जांच हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऑडिट रिपोर्ट फरवरी के एण्ड में प्रस्तुत की गई थी और इसके बाद यह किसकी रेस्पोन्सिबिलिटी है इन्डिविजुअल नाम मालूम करने के लिये आदेश दिये गये हैं और यह कहा गया है कि इसकी जांच करके मालूम किया जावे कि किसकी इसमें रेस्पोन्सिबिलिटी है ताकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स हो, उसके खिलाफ नियमानुसार आगे कार्यवाही की जा सके ।

श्री तेजाराम गहलोत : एक आश्वासन चाहूंगा कि इस इन्क्वायरी को आप लम्बा न करके जल्दी कर दें ताकि सही निर्णय जल्दी हो ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार इन्क्वायरी को लम्बा करने का इरादा नहीं रखती । इसको जितना जल्दी हो सके किया जाय, इसका सरकार प्रयत्न करेगी ।

श्री मोहनराज (बाली) : क्या यह सही है कि जब घास-पानी की सप्लाई का ठेका दिया गया उस समय कुछ अन्य ठेकेदारों ने और व्यक्तियों ने रेटों के ऊंचे होने के बारे में शिकायत पेश कर दी थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऑडिट रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख है कि लोअर रेट में न देकर हायर रेट में कॉन्ट्रेक्ट दिया गया । इन्क्वायरी में यह भी सब्जेक्ट-मैटर है ।

प्रश्न संख्या ७६८

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

Page No 11

कुर्की द्वारा ऋण वसूली

७६६. श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-पु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि डूंगरपुर, सागवाड़ा व आसपुर तहसीलों में १ जनवरी, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६४ तक कर्जा वसूली के सिलसिले में कई काश्तकारों की जमीन, बैल व घर आदि कुर्क किये गये ? यदि हां, तो कितने काश्तकार हैं ?

(२) क्या कुर्की द्वारा वसूली करना उचित था ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(३) क्या सरकार की जानकारी में है कि इन काश्तकारों को जान-बूझकर परेशान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(४) क्या सरकार जिन काश्तकारों से गलत ढंग से कुर्कियों द्वारा वसूली हुई है उनको जमीन, बैल व घर वापिस करने का विचार रखती है ?

(५) क्या डूंगरपुर सियालदरी श्री पूंजा पिता काना मीणा की जमीन व रहट कुर्क में लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ऐसे कुल २२५ काश्तकार हैं परन्तु सिर्फ उनमें से २ की ही जमीन नीलाम हुई है।

(२) जी हां, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम १९५६ की धारा धारा २५६ के अन्तर्गत बकाया कर्ज की वसूली की कार्यवाही धारा २२९ व २३० के अनुसार की जाती है।

(३) किसी भी काश्तकार को जान-बूझकर परेशान नहीं किया गया इसलिए किसी भी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता।

(४) कुर्कियां गलत ढंग से नहीं हुई हैं, परन्तु नीलामी से पहले रकम जमा कराने पर उन्हें कुर्क की हुई चीजें वापिस कर दी जाती हैं।

(५) गांव सियालदरी (तहसील डूंगरपुर) के किसी पूंजा पिता काना मीणा की जमीन व रहट कुर्क नहीं किया गया।

श्री विजयपाल कटारा : आप क्या यह बता सकते हैं कि आदिवासी काश्तकारों के लिए यह कानून में प्रावधान है कि उनकी खेती की जमीन व बैल कुर्क में नहीं ली जा सकती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : समझ में नहीं आया आपका प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आदिवासी काश्तकारों के लिए कानून में प्रावधान है कि बैल और उसकी जमीन कुर्क नहीं की जा सकती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, यह प्रश्न कई बार सदन में आया और इसलिए इस पर्टीक्यूलर केस का ही

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रश्न नहीं है पर सारे राजस्थान में विभिन्न अधिकारी अलग अलग तरीकों से इसको सोचते हैं और काम करते हैं इसलिए सरकार की इस दिशा में क्या नीति है, कानून का क्या प्रावधान है उन सब में एकरूपता और समानता लाने के लिए हमने हाल ही में एक सक्यूंलर निकाला है जिसे अब सभी जगह भेजेंगे और उसके आधार पर किसानों के बैल, कैटल; बीज प्रॉड्यूस का कितना हिस्सा, मकान, खेती की जमीन वगैरह पर कुर्की न की जावे, जमीन की विक्री आदि के तरीकों को काम में नहीं लाया जाये, इस प्रकार की उचित व्यवस्था सारे राजस्थान में नियमानुसार हो, इस सम्बन्ध में हमने आदेश प्रसारित किए हैं और जल्दी ही सब जगह पहुंच जायेंगे जिससे जो शिकायतें सुनने को मिलती हैं, मैं समझता हूं कि आदेश के जारी हो जाने के बाद शिकायतें नहीं रहेंगी, मैं ऐसा मान कर चलता हूं !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : ये आदेश जो निकले हैं...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी आदेश तो हमने दे दिये हैं, ड्राफ्टिंग भी बन गया है लेकिन प्रसारित होकर जहां पहुंचने चाहिये सब लोगों के पास वे पहुंचे नहीं हैं। मैं समझता हूं कि एक सप्ताह में सब जगह ये पहुंच जायेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करूं कि कुछ भूतपूर्व राज्यों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, जैसा आपके सक्यूंलर के अन्दर भी है और जो व्यवस्था थी, जब तक आपका सक्यूंलर इश्यू नहीं हुआ तब तक यह व्यवस्था जारी थी और उसके प्रतिकूल रूप से खिलाफ अगर काश्तकारों की जमीन नीलाम की गई है तो वह क्योंकर आपने की, इस बारे में यदि आप कुछ प्रकाश डाल सकें तो ठीक होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समझता हूं कि मैं अभी सारी डिटेल्स नहीं बता रहा हूं क्योंकि काफी लम्बा-चौड़ा सक्यूंलर है लेकिन इसके जारी हो जाने के बाद सदन के सदस्यों को इस व्यवस्था से संतोष होगा।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : काश्तकारों के बैल, हल आदि कुर्क करें, यह तो कोई अच्छी बात नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सारी व्यवस्था इसमें है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ये चीजें पहले की व्यवस्था के अनुसार प्रोटेक्ट की जाती थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सारी व्यवस्था इसमें वर्णित है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : इसके खिलाफ आपने कार्यवाई की, उसके लिए आपत्ति उठाई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां कानून के खिलाफ कार्यवाई होती है वह ध्यान में आती है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन सामानता लाने की दृष्टि से ये और अतिरिक्त आदेश हम जल्दी ही जारी कर देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह कानून के खिलाफ कार्यवाही हुई है और खास करके बारिश के मौसम में जब किसान अपने खेत में व्यस्त होता है उस समय कुर्की अमूमन नहीं लाई जाती है तो उस समय भी कुर्की उनके ऊपर लाई गई।

श्री विजयपाल कटारा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि आपने प्रश्न (५) के उत्तर से कहा है कि गांव सियालदरी (तहसील डूंगरपुर) के किसी पूंजा पिता काना मीणा की जमीन व रहट कुर्क नहीं की गई लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उसके बैल और जमीन और रहट कुर्की में ले ली गई हैं; क्या सरकार उनको वापिस दिलाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि यह नीलाम नहीं किया गया है। यदि आप कहते हैं कि नीलाम किया गया है तो मैं फिर जानकारी कर लूंगा और जो उसको राहत मिल सकती है वह देने का प्रयत्न किया जाएगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में समझता हूं कि सर्कुलर जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कानून बिल्कुल निश्चित कानून है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कि किसी भी कारीगर का कोई भी हथियार, औजार या काश्तकार के हल, बैल या जमीन, या जिससे कि वह जीविका पैदा करता है वह कोई भी साधन कुर्क और नीलाम वसूली के सिलसिले में नहीं किये जा सकते और इसमें भी नहीं हो सकते थे। जब यह कानून है तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से यह गड़बड़ी की गई है। इस सर्कुलर से तो रिपीटीशन ही होगा। लेकिन अब तक जो कुछ भी अनियमिता हुई है उनके बारे में सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, यह रिकवरी एक कानून के अन्तर्गत नहीं होती। रिकवरी टीनेन्सी एक्ट में, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में होती है, दूसरे ड्यूज होते हैं यह होते हैं, तकाबी होती है और किसी व्यवस्था के तहत ऋण लेते हैं यह कई तरह के हैं और उनमें किस तरह से रकम वसूल हो, अलग अलग कानून में अलग अलग व्यवस्था की गई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लेकिन सब पर सिविल प्रॉसीजर कोड लागू है।

श्री रामसाद लड्ढा : सिर्फ सेक्शन ६० लागू होता है सेक्शसन ६० के अलावा भी उससे भी अधिक हम कन्सेशन्स देना चाहते हैं। केवल सेक्शन ६० से ही सारी राहत मिल जाती होती तो सेक्शन ६० है ही लेकिन हम उससे भी अधिक उसके इन्टरेस्टको, उसकी प्रापर्टी का, उस एग्रीकल्चरल प्रॉड्यूस उसके इम्पलीमेन्ट्स को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं; इसलिए सबको एकत्रित करके और समान रूप से सब जगह एक ही व्यवस्था हो इस दृष्टि से यह सर्क्युलर निकाल रहे हैं।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : मौजूदा प्रावधान के अनुसार जब इन चीजों पर कुर्की वगैरह नहीं हो सकती, वह जो की

(श्री कुमारी उमा माथुर)

गई है इस कानून के खिलाफ, उसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा केस नोटिस में लाया जाये तो जो नियमानुसार कार्य-वाही हो सकती है वह जरूर करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम घारू ।

राखी खण्डप जल योजना

८००. **श्री हरिराम घारू** (सिवाना—सु०) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सिवाना क्षेत्र में राखी खण्डप जल योजना बनाने का सरकार का विचार है ? अगर हां, तो यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

उप-मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी हां, निर्माण कार्य चालू है । सन् १९६५-६६ के अन्त तक योजना का कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है ।

श्री हरिराम घारू : कब से शुरू हुआ ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १९६१ में सेंक्शन हुई थी और इस मई के अन्त तक पानी पहुंचा दिया जायेगा ।

श्री हरिराम घारू : गत वर्ष में पानी की टंकी बनी थी वह टूट गई, यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : फिर भी मई में पहुंच जायेगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

किराये पर दिये गये औजार

८०१. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिचाई विभाग, भीलवाड़ा से १९५९ में बनेड़ा के श्री कल्याणमल धाभाई को कुछ औजार किराये पर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या इन औजारों के प्राप्त करने की कोई रसीद श्री कल्याणमल धाभाई से ली गई ? यदि हां, तो उस रसीद पर श्री कल्याणमल धाभाई ने अपना क्या पद लिखा है ?

(२) क्या यह सही है कि इन औजारों के किराये के लिए सिंचाई विभाग द्वारा पी० डी० आर० एक्ट के तहत श्री कल्याण-मल धाबाई के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया ? यदि हां, तो उसका क्या निर्णय हुआ ? क्या यह सही है कि इसी रकम के लिये किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी मुकदमा सन् १९६३ में चलाया गया ? यदि हां, तो किस के विरुद्ध और कितनी रकम का ? इस मुकदमे का क्या फैसला हुआ ?

(३) सिचाई विभाग द्वारा इन औजारों का कितना किराया किससे और किसके द्वारा कब वसूल किया गया ? अगर वसूल नहीं किया गया तो वसूल करने का इरादा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

है या नहीं ? यदि हैं, तो किससे और कितना ?

(४) क्या इस मामले में श्री कल्याण मल धाबाई ने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है ? यदि किया है तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की तो क्यों ? क्या सरकार अब भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, औजारों के प्राप्ति की रसीद कल्याणमलजी से ली गई। इस रसीद पर कल्याणमल धाभाई ने अपना कोई पद अंकित नहीं किया था।

(२) जी हां, पी० डी० आर० एक्ट के अनुसार जिलाधीश को वसूली के लिए लिखा गया था, पहले पंचायत समिति को लिखा गया बाद में पंचायत के इन्कार करने पर श्री कल्याणमल को पी० डी० आर० के अनुसार वसूली के लिए लिखा, गया। वसूली केवल २२६.५७ पैसे की करनी है।

(३) २२६.५७ पैसे की वसूली केवल श्री धाभाई से करनी है। यह वसूली जिलाधीश के द्वारा पी० डी० आर० एक्ट के अनुसार की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(४) जी नहीं, केवल किराये की वसूली करने का ही इस विभाग को अधिकार है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा कि आपने खण्ड १ में बताया है कि श्री कल्याणमलजी ने जो रसीद दी है उस पर कोई भी डेज़िग्नेशन उन्होंने नहीं लिखी है; क्या आप यह जो कह रहे हैं यह सही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, सूचना के अनुसार, जो मेरे पास आई है, उसमें यही है कि उन्होंने अपना पद अंकित नहीं किया है, लेकिन जो चीजें ली गई हैं वह पंचायत के काम में ली गई है। एक रामतलाई बनेड़ा के पास है उसके लिए कुछ गेंती, फावड़े वगैरह लिये थे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उनके बयान अदालत में हुए हैं वह मेरे पास हैं। उन्होंने खुद ने कहा है कि यह सारा सामान पंचायत समिति के प्रधान की हैसियत से लिया है और उसने जब अदालत में खुद ने कहा कि प्रधान की हैसियत से लिया है और मैं इस पैसे का देनदार नहीं हूं बल्कि जो वर्तमान में प्रधान है वह देनदार है। जब उसकी पंचायत समिति की प्रोसीडिंग्ज मेरे पास हैं उसमें साबित किया कि यह काम पंचायत समिति में नहीं हुआ, यह औजार पंचायत समिति को नहीं दिये गये, यह धाबाई ने व्यक्तिगत रूप से अपने नाम पर ठेका लिया था और अपने पद का दुरुपयोग करके पंचायत समिति के प्रधान की हैसियत से यह सारा काम किया। इसमें अदालत का फैसला भी मौजूद है और उनके खुद का बयान मौजूद है। उन्होंने कहा है कि मैंने पंचायत समिति के प्रधान की हैसियत से लिये हैं। इस लिए यह रकम पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान से वसूल होंगी।

श्री दिनेशराय डांगी : रसीद के अन्दर जो औजार लिये गये हैं उसकी प्राप्ति की रसीद है और उसका किराया कितना होता है वह है और बाकी जो काम के लिये लिये गये हैं वह पंचायत का काम है। अब आपस में कोई बात हो तो मेरी जानकारी नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने भाग १ में कहा है कि रसीद में कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा है और मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या जो उन्होंने रसीद दी उसके ऊपर कल्याणमल धाभाई, प्रधान पंचायत समिति, बनेड़ा लिखा है और आप कहते हैं कि नहीं लिखा है, जब कि उनका बयान अदालत में दिया हुआ मौजूद है कि हां मैंने रसीद दी और यह लिखा है।

श्री अध्यक्ष : यह भी लिखा है रसीद में ? उन्होंने स्वीकार अवश्य कर लिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उन्होंने स्वीकार किया है। डिपार्टमेंट ने मांगी है रसीद उसमें नाम दर्ज है कल्याणमल धाभाई प्रधान, पंचायत समिति, बनेड़ा। उन्होंने लिख कर दिया है। सारी प्रोसीडिंग मेरे पास मौजूद है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी जिस पद पर हो और जिस पद पर होते हुए उस पद का कोई काम नहीं किया जा रहा है और अपने आपको बचाने के लिए और रकम को हजम करने के लिए इस तरह से काम किया गया है, वह मिस-एप्रोप्रियेशन की तारीफ या मिस-कन्डक्ट की तारीफ में नहीं आता ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कुछ पद नहीं है। जो रसीद है उसमें उनका पद नहीं आता है। स्वीकार किया हो या इनके सामने कुछ बात हुई हो तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जो रसीद है उसमें पता नहीं है लेकिन जो औजार लिये गये हैं वह जनता के काम के लिए दिये गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : रसीदें देखी हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : रसीद की कापी मेरे पास आई है। इसके अन्दर......

श्री मानिकचन्द सुराणा : (श्री डांगी के रसीद देखने पर) अभी देख रहे हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : इसमें लिखा है—

श्रम सहकारी समिति, बनेड़ा।

माइनर इरिगेशन इन्जीनियर, भारत सेवक समाज, बनेड़ा।
महोदय,

निवेदन है कि जो सामान—गेंती, फावड़ा—रामतलाई की खुदाई के लिए चाहिए वह कृपा करके दिलाया जाय।

प्राप्ति श्री मदनलाल शर्मा, बनेड़ा

दूसरी प्राप्ति कल्याणमल धाभाई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप इसकी ओरीजिनल रसीद मंगाइये और

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

देखिये कि उसमें प्रधान, पंचायत समिति लिखा है। अदालत ने, अध्यक्ष महोदय, यह फैसला दिया है।

श्री दिनेशराय डांगी : जो विभाग से जानकारी आई है वह यह है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने वह जानकारी दे दी लेकिन जिम्मेवारी आपकी है कि सही जानकारी दें। इसलिए आप एग्जामिन करिये।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से जानकारी कर लूंगा कि यह है कि नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके साथ ही उन्होंने गलत बयान दिया है। पंचायत समिति के लिए जजमेंट दिया है कोर्ट ने कि पंचायत समिति के लिए नहीं दिया है। उसको कन्टेस्ट किया है। इस बात को लेकर पंचायत समिति की तरफ से लिखा है। कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि व्यक्तिगत रूप से लिया है। क्या राज्य सरकार जो प्रधान पंचायत समिति का कभी था और गलत रूप से किसी पद का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत रूप से ले गया और यह कहे कि मैं पंचायत समिति की ओर से ले गया हूं इस तरह से मिसयूज़ प्रधान के पद का करे तो क्या राज्य सरकार उसके खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए मुकदमा चलाने को तैयार है ?

श्री दिनेशराय डांगी : हमारे विभाग से मुकदमा चलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। हमारे अन्तर्गत सोसाइटी है उसने दरख्वास्त की ये चीजें दी जायं। इसलिए हमने दी हैं, वहां पर पंचायत समिति का तालाब बनाने के लिए। आपकी आपस में बातचीत हुई हो, तो वह मुझे मालूम नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा सवाल सिर्फ यह था कि उन्होंने गलत बयानी की तो क्या आप होम डिपार्टमेंट को लिखने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने गलत गवाही दी तो इनके खिलाफ कानून के तहत मुकदमा चलाया जाय ?

श्री अध्यक्ष : श्री ढाबरिया !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि जैसा कि आपने फर्माया कि पंचायत तालाब बनवा रही थी। तो वह पंचायत का तालाब नहीं था, लेकिन भारत सेवक समाज की कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्ट्रेक्ट दिया जिसके कि कल्याणमलजी धाभाई सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी के पद पर होने के कारण कॉन्ट्रेक्ट हो गया और सहकारी समिति के पास से खुद ने ले लिया और सामान व्यक्तिगत तौर से लाये हैं। उन्होंने जो बयान दिया है उसकी दो लाइनें पढ़कर सुनाता हूं—

मिसल पेश हुई.........

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह बयान कहां है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह बयान डिप्टी कलेक्टर की अदालत में दिया है; उसकी सर्टिफाइड कॉपी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले की जांच-पड़ताल चल रही है या उसका केस चल रहा है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : केस नहीं चल रहा है, केस खत्म हो गया है। उन्होंने मेरा नाम लिया है कि प्रधान उमरावसिहजी हैं उनसे वसूल किया जाय। मुझ पर जो मुकदमा चला वह खारिज हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका मतलब यह निकलता है कि अदालत ने आपको जिम्मेदार ठहरा दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसलिए गलत साबित हुआ है कि प्रधान की हैसियत से नहीं लिया गया है, इसलिये उनसे वसूल हो रहा है और रसीद पर डेजिग्नेशन लिख दिया है, वह गलत लिख दिया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कह चुके हैं कि वे रसीद देखेंगे और सारे तथ्यों की जानकारी करेंगे और उसके सम्बन्ध में जो उचित कार्यवाही हो सकती है कानूनी वह करेंगे।

श्री भैरोंसिह !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : प्रश्न केवल इतना है......

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न संख्या ८०२।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह अभी तक प्रधान है और इस तरह के लोग प्रधान बन जायं और उनके खिलाफ झूठी गवाही देने की कार्यवाही नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : इस पर भी विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिह !

ग्राम पंचायत,सोभागपुरा के ग्राम पहाड़ी में अनधिकृत रूप से ज़मीन का बेचना

८०२. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर से १ माइल दूर ग्राम पंचायत सोभागपुरा के गांव पहाड़ी में लगभग २०० बीघा वरून हल्का आबादी बिला नाम पड़त भूमि है जो तहसील गिरवा के नियंत्रण में है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के सरपंच ने अनधिकृत रूप से उक्त भूमि में प्लॉट बेचे हैं ? यदि हां, तो कितने, किस किस को और किस किस भाव में ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त गांव के रिहायशी भीलों से अधिक कीमत लेकर भी उनको पट्टे नहीं दिये गये ? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ?

(४) इस अनधिकृत बेचान के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, यह केवल १०१॥ १ बीघा भूमि है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) जी हां, कुल ७७ प्लॉट बेचे हैं। सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं। २९ प्रार्थना-पत्र भीलों के पंचायत में पेश हुए एवं २९ व्यक्तियों को पट्टे दिये गये। कोई प्रार्थना-पत्र पेंडिंग नहीं है।

(४) इस अनधिकृत बेचान को अवैध करार दिया है एवं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : इस क्षेत्र में भीलों की आबादी कितनी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : जिन भीलों की वहां आबादी है, क्या ऐसे सब लोगों को पट्टे दे दिये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २९ प्रार्थना-पत्र थे और २९ को दिये गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस जगह भीलों के मकान बने हुए हैं उस जगह के लिए दूसरे लोगों को पट्टे दे दिये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह हमारी सूचना में जाहिर नहीं होता है, इनको जहां पर दिये गये हैं वह अलग है और इन २९ का तो वेलिड रहा है और जिनको दूसरों को ७७ आदमियों को उन्हें इन्वेलिड करार दे दिया है और इन्वेलिड करार देकर दफा ९१ के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है और २९ के खिलाफ कार्यवाही नहीं चल रही है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उदयपुर के एरिया के आसपास कितने माइल के अन्दर कन्स्ट्रक्शन अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और तहसीलदार की अनुमति के बगैर मकान नहीं बना सकते हैं तो क्या यह मकान नियमानुसार इजाजत लेकर बनाये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तभी तो कह रहा हूं कि सेक्शन ९१ की प्रोसीडिंग हो रही है। आपको पता नहीं कि अगर ऐसी बात की जाय कि मील, डेढ़-मील के अन्दर एग्रीकल्चरल लैण्ड थी तो उसको कन्वर्शन नहीं करके पंचायत ने नाजायज तौर पर उसको दे दी। इसी वजह से एक्शन ९१ लागू हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला : सेक्शन ९१ में अनधिकार कब्जा कर लिया उसको हटाने का है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह भी अनधिकार कब्जा है।

श्री विजयसिंह झाला : उन्होंने मकान बनाये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बने तो नहीं हमारी सूचना के अनुसार।

श्री भैरोंसिंह : आपकी सूचना का आधार यह है कि मकान नहीं बनाये गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जो ७७ हैं इनके बारे में यह सूचना है कि कोई मकान नहीं बनाये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप जानकारी कर लें तो ज्यादा अच्छा हो, मैं स्वयं देख कर आया हूं कि वहां पर मकान बने हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जो मेरी सूचना है उससे १-२ बाउन्ड्री बनी हुई हैं, यह बात दूसरी है।

श्री भैरोंसिंह : वहां के पंचायत के सेक्रेटरी का डबल स्टोरीड मकान बना हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई १५-१६ प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पर कुछ इमारतें हो गई हैं, बाकी सारे प्लॉट्स कच्चे पत्थरों की बाउन्ड्री के बने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कह दिया कि मकान नहीं बने हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मकान फुल्ली कन्स्ट्रक्टेड नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : मकान पूरे हैं। डबल स्टोरीड है। मैं मकान के अन्दर बैठकर आया हूं और चाय पीकर आया हूं। वह कन्ट्रक्शन हवा में उठ गया क्या ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपका देखा हुआ है, लेकिन उनके वहां कागज में लिखा हुआ नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (फाइल देख कर) कुछ मकान बन गये हैं और बाकी के प्लॉट्स पर पत्थरों की कच्ची बाउन्ड्री है।

श्री भैरोंसिंह : डबल स्टोरीड मकान बना हुआ है पंचायत के सेक्रेटरी का।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे १५-१६ मकान हैं। बाकी सब नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला : खाली मकान बनाने का प्रश्न नहीं है। ७७ आदमी हैं वे सारे के सारे आदमी उस गांव के रहने वाले नहीं हैं और जिस रेट पर प्लाट बेचे गये हैं उनकी कीमत से १० गुना उदयपुर के आस-पास वाली जमीन का आता है। ऐसा एक ग्रुप है जो इस प्रकार से नाजायज फायदा उठाता है। हजारों रुपये बीच में रख कर कुछ ही रुपये पंचायत की रोकड़ में जमा किये हैं। ऐसी एक पंचायत के अधिकारी ने रिपोर्ट भी की है शिकायत के तौर पर। क्या आप जांच करेंगे कि किस रेट पर बेची गई है और आस-पास की कीमत क्या थी और बीच में रुपये किस प्रकार रख लिये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, पंचायत के बजाय हमारे विभाग का इससे यह सम्बन्ध है कि एग्रीकल्चरल लैण्ड होते हुए भी आबादी के लिए बेच दी जो कि नाजायज है। इसलिए नाजायज ही मान कर सेक्शन ९१ के तहत सारी जमीन पर कब्जा लेना चाहते हैं और उसकी कार्यवाही

Page No 21

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रारम्भ कर दी है। जिस रेट पर बेची है वह भी सूचना मेरे पास है, लेकिन किस रेट पर बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए यह पता नहीं है। हम तो सारे रूल को ही वॉइड मानते हैं तो उसका सवाल पैदा नहीं होता है। हम तो सारी जमीन का कब्जा लेना चाहते हैं और कम पर दी हो या ज्यादा पर दी है उस सारी को रिजेक्ट करना चाहते हैं।

प्रश्न संख्या ८०३

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दयाचन्द सोन।

कड़ाका एंड कम्पनी, जिला कोटा

८०४. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले में कड़ाका एंड कंपनी नामक वित्तीय सहायता देने के नाम पर जो कम्पनी खुली, क्या वह कानूनन रजिस्टर्ड थी ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त कम्पनी के विरुद्ध बारां के कुछ व्यापारियों ने बारां पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उस आधार पर बारां डी वाई. एस. पी. कार्यालय से कड़ाका एंड कम्पनी के मैनेजर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी हुआ था ? यदि हां, तो फिर उस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

(३) कड़ाका एंड कम्पनी ने कोटा जिला क्षेत्र के कितने गांवों में कितने लोगों से कितने रुपया ऋण देने के नाम पर पेशगी के रूप में इकट्ठा करा लिया था ?

(४) क्या कड़ाका एंड कंपनी का मैनेजर इस समय कोटा से फरार है ?

(५) कोटा पुलिस ने उक्त कम्पनी की अब तक क्या जांच की है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी हां, न्यू देहली में क्रम सं० ३४६८ पर दिनांक २७-५-६१ को रजिस्टर्ड हुई है।

(२) बारां के व्यापारी श्री प्रभुलाल गुप्ता ने दिनांक १३-१२-६२ को एक प्रतिवेदन थाना बारां में प्रस्तुत कर सूचित किया था कि गुरुचरणसिंह कड़ाका ने श्री भंवरलाल कुरोलिया से रु० २६५०) तथा मेसर्स कमल साइकिल स्टोर्स से ८४०) क्रमशः रुपये ३५०००) तथा रु० १०००) का कर्ज देने का झूठा विश्वास दिला कर ले लिये। इस रिपोर्ट पर प्रारम्भिक जांच प्रारम्भ की गई तथा श्री गुरुचरणसिंह के चालचलन के बारे में तथा कम्पनी देहली में रजिस्टर्ड थी या नहीं, इस बाबत मालूमात की जा रही थी। इसी बीच में श्री रामकिशन सुनार, निवासी लाड़पुरा, कोटा के प्रतिवेदन पर कोतवाली कोटा में एक प्रकरण द्वारा ४२०।४०६ भा. द० सं. में उसी कम्पनी के विरुद्ध पंजीबद्ध हो कर अनुसंधान प्रारम्भ हो गई। यह पूरी हो नहीं पाई थी कि कम्पनी ने सर्व श्री भंवरलाल कुरोलिया तथा कमल साइकिल स्टोर्स के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रुपये लौटा दिये । अतः आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस सम्बन्ध में उपाधीक्षक बारां ने कोई वारन्ट जारी नहीं किया था ।

(३) कड़ाका एंड कम्पनी ने लगभग १०७ व्यक्तियों से लगभग रु० २३६००) की धनराशि प्राप्त की थी । गांवों की संख्या का पूरा पता नहीं है ।

(४) जी हां ।

(५) कोटा जिले की पुलिस ने उक्त कम्पनी के विरुद्ध धारा ४२०।४०६ भा. दं.सं. के अन्तर्गत दो प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया तथा मामलों को दीवानी मान कर अदम वकुआ में अन्तिम प्रतिवेदन दे दिये । पुलिस मुख्यालय ने अन्वेषण पत्रावलियों का अध्ययन किया तथा उससे अपराध धारा ४२०।४०६ भा. दं. सं. का साफ तौर से बनना पाये जाने से अधीक्षक आरक्षी, कोटा को दोनों प्रकरण का पुनः अनुसंधान करने के आदेश दे दिये हैं तथा जिस अधिकारी में मामले को अदम वकुवा माना उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दे भी दिये गये हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जब आपने इस बात को मान लिया कि कड़ाका कम्पनी इस जिले के किसानों को उधार के नाम पर एजेन्ट बना कर हजारों रुपये ले रही है जिनमें से दो आदमियों की रकम लौटा दी । जिन१०७ आदमियों से २३०००) रु० इकट्ठे किये हैं और रुपये नहीं लौटाये हैं उसके बारे में आपने क्या किया ? ऐसी कम्पनी को रजिस्टर क्यों किया और पुलिस में इसके खिलाफ कार्यवाही की या नहीं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कम्पनी हमारे यहां रजिस्टर्ड नहीं है । इसका हैड ओफिस लुधियाना में है, यह राजस्थान के बाहर की रजिस्टर्ड होने से मान्यता नहीं देने के बारे में कुछ नहीं कर सकते । लेकिन जो केसेज़ सामने आये हैं उसके बाद न केवल तीन मुकदमों के सम्बन्ध में बल्कि कम्पनी के विरुद्ध सारे डिस्ट्रिक्ट में और भी केसेज़ हैं, मसलन १०७ की संख्या दी है उन सब की छानबीन करके जो भी दोषी पाये जायं, जो भी जुर्म बने उसके अनुसार कार्यवाही की जाय इस प्रकार के आदेश दे दिये हैं । बाद में फिर जानकारी मिली, उसके विरुद्ध बाद में केसेज़ आये थे उस सम्बन्ध में इन्क्वायरी के ऑर्डर किये थे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : इस तरह की जादव कम्पनी भरतपुर में और है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अब भी वह कम्पनी वहां पर काम कर रही है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम्पनी का काम हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसका कोई काम जुर्म की तारीफ में आवे तो इन्वेस्टिगेशन करके सजा दिलाना और प्रोसिक्युशन करना यह हम कर सकते हैं, लेकिन कम्पनी के काम को बंद करने की व्यवस्था शायद कानून से संभव नहीं है ।

ग्राम डगल का खेड़ा की चरनोट की जमीन

८०५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम डगल का खेड़ा तहसील चित्तौड़ में गांव की चरनोट जमीन जो स्टेट के जमाने से इसी कार्य के लिये थी, अब सैनिक स्कूल को दी गई है ? यदि हां, तो पशुओं के चरने की अतिरिक्त व्यवस्था क्या की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में वहां के अधिकारियों ने गांव-वालों से चार सौ रुपये लेकर चराई की इजाजत दी ? यदि हां, तो क्या वह रकम सरकारी खजाने में जमा हुई ? क्या यह सही है कि अब भी इसके लिये २५००) रु० मांगे जा रहे हैं ?

(३) क्या इस सम्बन्ध की जानकारी मुख्य मन्त्रीजी को दी गई ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। इसमें दूसरी जमीन के साथ चरागाह की भी ११८ बीघा ७ बिस्वा भूमि दाखिल हुई है। इसमें महफूज चरनोट का रकबा २७।२ बीघा बचता है तथा बिला नाम पड़त भूमि १४१ बीघा और है इस तरह कुल १६८ बीघा २ बिस्वा भूमि में इसी गांव की मवेशियां चरती हैं। इसके अलावा इस गांव की मवेशियों चरने को पास के ग्राम चन्देरियां और बोदीयाना की सरहद में चरागाह में चरने को जाती हैं। वहां इसकी कोई रुकावट नहीं की जाती है।

(२) सैनिक स्कूल के अधिकारियों द्वारा सैनिक स्कूल की हद्दूद में पैदा हुए घास को सन् १९६३ में ४०० रुपये में चराई के लिये तथा सन् १९६४ में ६५०) रुपये में बेचा गया है। यह रकम सैनिक स्कूल के अकाउन्ट में जमा की गई है। २५००) रुपये मांगे जाने का हाल जाहिर नहीं आया है।

(३) इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : ये ४०० रुपये कब जमा किये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीन उनको दे देने के बाद उसमें घास वगैरह थी तो उसकी रकम वे ही पा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या रुपये इस तरह ले लिये, पास में रख लिये और जब शिकायत पहुंची तो उसके बाद में जमा हुए हैं या गांव वालों की शिकायत से पहले जमा हो गये थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैनिक स्कूल के पर्पज़ के लिये जमीन दी थी। उसके बाद जो भी घास जमीन के बीच में जब तक पूरा कन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, जमीन की सफाई नहीं हुई और जमीन काम में नहीं आई पड़त थी, उसमें जो घास उगी वह बेची गई और उनके अकाउन्ट में जमा हो गई ?

श्री मुरलीधर व्यास : सैनिक स्कूल के लिये देने से पहले चरनोट की जमीन को आबादी में कन्वर्ट किया या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेंट की इजाजत से जमीन दी है और जो जमीन गवर्नमेंट की इजाजत से दी गई वह आबादी में कन्वर्ट हुई मानी जानी चाहिये। गवर्नमेंट का ऑर्डर ही कन्वर्शन है।

श्री मुरलीधर व्यास : रुपये लिये गये लोगों से उसी दिन जमा हो गये थे क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं स्पष्ट बोला हूं कि रुपये अकाउन्ट में जमा हो गये हैं, सैनिक स्कूल के अकाउन्ट में।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि क्या यह रकम शिकायत होने के बाद जमा हुई या उससे पहले ही जमा हो गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शिकायत किसने की ? कोई शिकायत नहीं हुई।

श्री मुरलीधर व्यास : गांव वालों ने शिकायत की कि चराई के कारण २६००) मांगे गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २५००) की बात को स्पष्ट मैंने इन्कार किया है और यह कहा है कि ४००) सन् ६३ में और सन् ६४ में ६५०) रु० का घास बेचा गया उसकी रकम जमा है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब जो जमीन सैनिक स्कूल के लिये ले ली और पहले जो चराई के लिये छोड़ी गई थी उसके बदले में सरकार ने दूसरा इन्तजाम किया है क्या जानवरों के चरने के लिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले सवाल का मैंने जबाब दिया है, हां कहा है।

मुर्लिया बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

८०६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निबाहेड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मुर्लिया बांध (निम्बाहेड़ा) में कुल कितनी भूमि डूब में आई है तथा कुवे कितने डूबे हैं ?

(२) क्या जितनी जमीनें डूब में आई उनका मुआवजा चुका दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक चुकाया जायगा ?

(३) क्या यह सच है कि डूब में आई जमीनों का अब तक लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार इसे वापस देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) मुर्लिया बांध (निम्बाहेड़ा) में कुल ८०६ एकड़ भूमि तथा २३ कुए डूब में आये हैं।

(२) केवल ३८ एकड़ भूमि का मुआवजा देना बाकी है। बाकी सबका चुका दिया है।

(३) जी नहीं।

Page No 25

श्री अब्दुलजब्बार : ३८ बीघा चुकाना है उनसे लगान वसूल किया जा रहा है क्या ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी नहीं ।

श्री अब्दुलजब्बार : कब से रोका गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जब से सन् ६३ से बांध भरा है, उसके बाद कोई लगान नहीं लिया जा रहा है ।

(१२ मध्यान्ह)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, भूगंल बोले तब वे नहीं बोले, यह कह दिया जाय । ये कितने धीमे बोलते हैं कि आवाज उसी में रह जाती है ।

श्री अध्यक्ष : आप भी ध्यान रखें ।

श्री अब्दुलजब्बार : इस बांध को कब से बनाना शुरू किया ?

श्री दिनेशराय डांगी : बनने की तारीख इस समय नहीं है, लेकिन सन् ६२ से जब से सिंचाई का काम इससे शुरू हुआ तब से लगान लेने का काम रोका गया है ।

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा निवेदन करना यह है कि यह बांध बनना कब से शुरू हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या यह कहना चाहते हैं कि वहां लगान वसूल हो रहा है ।

श्री अब्दुलजब्बार : माननीय मन्त्री १९६३ से लगान रोकना बताते हैं, इससे पहले जब नहरें खुद गई थीं, और खड्डे खुद गयें थे उस समय भी लगान लिया था । मैं पूछना चाहूंगा कि जब से पानी भरा है तब से आपने लोगों से लगान लेना बन्द किया, उससे पहले जब से काम शुरू हुआ तो लोगों से लगान लेते थे वह वापिस लेना चाहिए ?

श्री दिनेशराय डांगी : बांध बनने से पहले काश्तकार उस जमीन को काम में लाते थे और उस पर कल्टीवेशन वगैरह करके उसको काम में लाते थे तो उसको देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए । बांध बनने के बाद रोक दिया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : समझ में नहीं आया ।

श्री अब्दुलजब्बार : दूसरा अर्ज करना यह है कि यह बांध बना है उससे लोगों के खेत खुद गये हैं, खेतों में जो पैदा होने का सवाल है उससे लोग वंचित कर दिये गये तब से उन लोगों से कितना लगान लिया गया । आप इस चीज को देख लें और वह वापिस दिला दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे तथ्य हैं कि उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष : आपने इस पर बीस प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

पूछे जिये । आप इस पोइन्ट को पहले लेते । इतने सारे प्रश्न पूछने के बाद यह पूछते हैं।

श्री रावतराम ।

श्री अब्दुलजब्बार : सवाल काफी जरूरी है।

सरदार शहर पुलिस स्टेशन का भवन

८०७. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे -:

(१) क्या यह सही है कि सरदार शहर के गन्दे पानी के नाले की गीनाणी पर स्थित है तथा बहुत ही जर्जर अवस्था है और गीनाणी के पानी के दबाव के कारण किसी भी समय गिर सकता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार नया मकान अन्य स्थान पर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया जावेगा ?

(३) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मचारी मकान की खराब अवस्था होने के कारण बड़े परेशान हैं और किसी भी समय उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सरदार शहर पुलिस स्टेशन का मकान शहर पुलिस स्टेशन का मकान शहर के गन्दे पानी के नाली की गीनाणी पर स्थित है। उसकी हालत ठीक नहीं परन्तु तत्काल गिरने का भय नहीं हैं। आवश्यकतानुसार मरम्मत करा दी जाती है।

(२) पुलिस स्टेशन की नई इमारत बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

(३) जी नहीं। ऐसा कोई अन्देशा नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : इसकी मरम्मत के लिए कितना खर्च कर दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी दो हजार रुपये मंजूर किये हैं और इसकी मरम्मत का काम अभी चालू है और इस महीने के अन्त तक पूरा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

चित्तौड़गढ़ एवं व गंगरार तहसील का कमान्डेड एरिया

८०८. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़):—क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार तहसील के सिंचित क्षेत्र को कमान्डेड क्षेत्र घोषित किया गया है ? अगर हां, तो कब और कहां कहां ?

(२) क्या यह भी सही है कि जो भूमि कमान्डेड क्षेत्र घोषित की जा चुकी है उसमें

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

ऐसी जमीन भी शामिल है जहां नहर का पानी नहीं पहुंचता और न भविष्य में पहुंच सकेगा ? अगर हां तो ऐसी भूमि काबिल काश्त कितने एकड़ है ?

(३) जहां नहर का पानी नहीं पहुंच सकता है उस जमीन को अधिक अन्न उत्पादन की दृष्टि से सिंचाई नियमों से मुक्त करने में क्या कठिनाई है और कब तक यह मुक्त की जा सकेगी ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त प्रत्येक प्रोजेक्ट की कन्टूर लाइन बन चुकी है ? अगर हां, तो कहां तक उसका पानी पहुंच सकेगा ? जहां नहीं पहुंचेगा उसका क्या कारण है ?

(५) क्या यह सही है कि कन्टूर लाइन के अन्तर्गत भी काफी बिला नाम जमीन जो काबिल काश्त है, पड़त है ? अगर हां, तो क्यों ? अब तक इसका प्रीमियम निर्धारित नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, अभी इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अगले टर्न पर इसे रख लिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न से सम्बन्धित जो सूचियां होती हैं, तो जो प्रश्न रह जाते हैं उनकी सूचियां तो दे दिया कर।

श्री अध्यक्ष : सूची पहले ही नोटिस ऑफिस में पहुंचा जानी चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ८१७ क्वेश्चन के अन्दर पूछा था कि चने के निर्यात के सम्बन्ध में जो परमिट दी गई है, उसकी सूची दें। लेकिन सूची नहीं दी गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : परमिट नहीं दी गई है तो सूची कहां से देंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय ८०६ का उत्तर आ चुका है।

श्री अध्यक्ष : कौन से प्रश्न का आ चुका है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ८०६ !

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी क्वेश्चन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह आ चुका है उत्तर मेरे प्रश्न का। राजस्व मंत्री का है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दीजिये।

पसायतेदारान के बोन्ड्स का भुगतान

८०६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर के पसायतेदारान के जागीर बोन्ड्स ५०० रु० के नीचे के होते हुये भी अब तक तहसील में नहीं भेजे गये हैं और ऐसे छोटे

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

मुग्रावजों की रकमें एजेन्ट्स के जरिये आम मुख्त्यारनामों द्वारा जालोर से उठाई जाती हैं ? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ५०० रु० के नीचे के बोन्ड्स तहसीलों द्वारा मौके पर बंटवाना उपयुक्त नहीं समझती है ? अगर हां, तो ५०० रु० से नीचे के बोन्ड्स तहसील सांचोर द्वारा पसायतेदारान को मौके पर कब तक बंटवा दिये जावेंगे ?

(२) क्या यह सच है कि ग्राम गुदाऊ तहसील सांचोर के तमाम पसायतेदारान का मुग्रावजा कमी एजेंट के ग्राम मुख्त्यारनामे के जरिये उठाया गया ? अगर हां, तो उसका क्या नाम है और ऐसे करने के क्या कारण हैं ? उपरोक्त गांव के पयासतेदारान के कुल कितने मुग्रावजे के बोन्ड्स किसने कब उठाये व मौके पर उपरोक्त शख्स ने कब बांटे ?

(३) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर के जागीर मुआवजों के ज्यादातर बोन्ड्स आम मुख्त्यारनामों द्वारा उठाए गए हैं ? अगर हां, तो कुल कितनी रकम के बोन्ड्स किस किस के जरिये कब कब पिछले तीन सालों में उठाए गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सच है कि उपरोक्त विषय में बहुत से मरे हुए जागीरदारों का मुग्रावजा आम मुख्त्यारनामों के जरिये उठाया गया ? अगर हां, तो क्या सरकार इस विषय में कोई विस्तृत जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करवाने को तैयार है ? अगर हां तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? क्या सरकार ऐसे रेकोर्ड्स को सील करके सेफ कस्टडी में रखना उचित समझेगी और सारा मामला पुलिस के सुपुर्द करना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? मरे हुए जागीरदारों के जिन्दा जागीरदारों की हैसियत से मुआवजा उठाने वाले शख्सों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) तहसील सांचोर के पसायतेदारान के बोन्ड्स (५००) के नीचे के तहसील सांचोर में वास्ते वितरण के पूर्व में भेजे जाते रहे हैं। जो इन्डेन्ट रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए उनकी ऑथोरिटी पसायतेदारान ने अन्य व्यक्तियों को दे दी थी। इसलिए उन व्यक्तियों ने इन्डेन्ड प्राप्त होते ही ऑथोरिटी पेश कर बोंड्स उठा लिए जो बोंड्स तहसील हैड क्वाटर्स पर वितरण किये गये वे व्यक्ति विशेष को अथवा ऑथोरिटी लेकर आये हुए शख्सों को वितरण कर दिये गये। बाकी बोंड्स रिजर्व बैंक को इन्डेन्ड किये हुए हैं, और वे प्राप्त होना बाकी है। बोंड्स प्राप्त होने पर यथा शीघ्र बंटवा दिये जावेंगे।

(२) ग्राम गुन्दाऊ, के ८३ पसायतेदारान के २४०५०) रु० के बोंड्स श्री लक्ष्मीचन्द रेवेन्यू एजेन्ट ने जरिये ऑथोरिटीज उठाये। मौके पर बोंड्स श्री लक्ष्मीचन्द ने कब बांटे उसको कोई सूचना नहीं है।

(३) तुकबरीन ६५८ व्यक्तियों ने बोंड्स बोंड्स ग्राथोरिटीज के जरिये उठाये है व ५० प्रतिशत जागीरदारा स्वयं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ने उठाये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) मरे हुए जागीरदारों के बोंड्स उनके ग्राम मुख्त्यारनामों द्वारा उठाये गये हों ऐसा कोई केस नोटिस में नहीं ग्राया, लेकिन मरे हुए जागीरदारों के जिन्दा जागीरदारों की हैसियत से मुआवजा उठाने वाले शख्सों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची आपने दी है उसमें करीब २०-२५ लाख रुपये के बोंड्स है वह इन्डाइरेक्टली उठे हैं, जो असली आदमियों को न देकर २५ लाख के बोंड्स इन्डाइरेक्टली उठा लिए हैं। जो सूची दी है उसमें तथ्य सामने ग्राया है कि मरे हुए जागीरदारों को जिन्दा बता कर मुआवजा उठाया गया है। ऐसी हालत में राजस्व विभाग से टाइम टाइम पर दिये गये निर्देशों की खिलाफवर्जी हुई है और जनरल तौर पर एक कमीशन देकर इतना भारी मुग्रावजा उठाया गया है। क्या ग्रापने इसकी जागीर विभाग से जांच कराई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मरे हुए आदमियों को जिन्दा बता कर फर्जी शख्सों ने पांचसौ, डेढ़ सौ और पचास बोंड्स की साधारण रकम ली है। लेकिन तीन मामले ऐसे ग्राये, इनमें से एक मामले को पुलिस में दे दिया गया है। उसके बाद वह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां जेर-कार्यवाही है। दो दूसरे मामले नोटिस में ग्राये उनको भी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और आदेश दे दिये हैं। इसलिए इनको पुलिस के द्वारा मुकदमे दर्ज करके प्रोसीक्यूट किया जाने की कार्यवाही हो रही है। यह बात जरूर लिस्ट देखने से पता चलती है कि काफी बोंड्स उठाये हैं ग्रौर वकीलों ने मुख्त्यारनामे के जरिये उठाये हैं। हम इस सम्बन्ध में सोच रहे हैं कि कानूनी क्या व्यवस्था की जा सकती है जिससे जागीरदारों को स्वयं को मिले और जो इस प्रकार ग्रन्जाम होता है वह ग्रन्जाम नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मुख्त्यार की मार्फत जागीरदार के मुग्रावजे को मुख्त्यार न ले सके ऐसा प्रावधान है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम मुख्त्यार नहीं ले सके इसके अन्दर आम मुख्त्यार भी ले सकता है ग्रौर एजेन्ट भी ले सकता है, इसके लिए कानून में मना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो इस प्रकार के मामले सामने आये हैं इसलिए जागीरदारों को जरूरी है। इसलिए सोचते हैं कि क्या करें जिससे जागीरदारों के बोंड्स उनको समय समय पर मिल जाय और इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं हो। इसके लिए सोचना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ये जागीरदारों को दिये गये या नहीं...

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न पैदा नहीं

Page No 30

(श्री अध्यक्ष)

होता । माननीय मंत्री ने कहा है कि इस सारे की जांच करेंगे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गये वक्त भी इस प्रकार दिये गये या नहीं, आप इस की जांच करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर जिले में नये हैडक्वार्टर का स्थान

७६३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नाथद्वारा तथा राजनगर जिला उदयपुर की आबादी क्रमशः कितनी-कितनी है ?

(२) क्या सरकार का डी. एम. एण्ड एच. ओ. का नया हैडक्वार्टर उदयपुर जिले में स्थापित करने का विचार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे नाथद्वारा में स्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) १३८६० तथा ११२७२ ।

(२) जी नहीं प्रश्न, नहीं उठता ।

उम्मेद अस्पताल, जोधपुर

७६८. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर शहर-प्रथम) : क्या चिकित्सा मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर शहर के उम्मेद अस्पताल में पिछले छः वर्षों में प्रति वर्ष आउटडोर मरीजों की संख्या, इन्डोर मरीजों की की संख्या, डिलीवरी केसेज की संख्या व अस्पताल में मृत्यु के मामलों की संख्या कितनी रही है ?

(२) इस अस्पताल में पिछले छः वर्षों में प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि पिछले छः वर्षों में मरीजों व ऑपरेशनों के मामलों की संख्या बढ़ती रही है ?

(४) इस अस्पताल में सरकार द्वारा जो धनराशि पिछले छः वर्षों से प्रति वर्ष खर्च की जा रही है क्या यह यहां की आवश्यकताओं की वृद्धि के अनुपात से पर्याप्त है?

(५) यदि हां, तो इस अस्पताल के लिये सरकार की ओर से खर्च में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि की गई है ?

(६) व्यय में जो वृद्धि की गई है वह पर्याप्त नहीं है ? यदि नहीं, तो पर्याप्त वृद्धि नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(श्री स्वास्थ्य मंत्री)

(३) जी हां ।

(४) सरकार के साधनों को देखते हुए पर्याप्त है ।

(५) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(६) व्यय में वृद्धि आवश्यकता के अनुसार की गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा-पुस्तकालय में रखी गई) ।

वाटर वर्क्स, गंगानगर

८०३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाटर वर्क्स, बीकानेर ने अपने निरीक्षण नोट दिनांक १६-१२-६४ में लिखा है कि वाटर वर्क्स, गंगानगर की हालत बहुत ही खराब है ?

(२) क्या यह सही है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वाटर वर्क्स को सरकार द्वारा लिये जाने की सिफारिश की है ?

(३) यदि हां, तो वाटर वर्क्स को सरकार अपने कन्ट्रोल में क्यों नहीं ले रही है और कब तक लेने का निर्णय ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) म्युनिसिपल बोर्ड, गंगानगर के आवेदन-पत्र पर ही इस बारे में विचार किया जा सकता है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भूमिहीनों को भूमि देने की योजना

८७. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितने भूमिहीन हैं जिनके पास बिल्कुल ही भूमि नहीं है ?

(२) इन लोगों को जमीन देने की क्या योजना है और इन्हें जमीन कब तक मिल जावेगी ?

उत्तर

(१) राजस्थान में कुल भूमिहीनों की संख्या २,६६,८६५ है ।

(२) भूमिहीन किसानों को, भूमि की उपलब्धि के अनुसार, भूमि वितरण का कार्य चालू है और पड़त भूमि को जल्दी वितरण करने के लिए आदेश दिये जा चुके हैं ।

तहसील अटरू की गोचर व बंजर भूमि

८८. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०):

(श्री दयाचन्द सोन)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील अटरू, जिला कोटा की ग्राम पंचायतों में कितनी भूमि गोचर है व कितनी बंजर ?

(२) सन् ६२ से लेकर सन् ६४ तक कितनी बंजर भूमि अलॉट हुई ?

(३) जो भूमि अलॉट हुई उसमें कितनी शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को दी व कितनी दूसरों को ?

(४) क्या यह सच है कि यह जमीन भूमिहीनों को न देकर दूसरे व्यक्तियों को दी गई है ?

उत्तर

(१) तहसील अटरू में १६०५८ एकड़ भूमि चरागाह व १५४८६ एकड़ भूमि बंजर है।

(२) सन् ६२ लगायत सन् ६४, २३२५ एकड़ भूमि अलॉट हुई है।

(३) कुल २३२५ एकड़ भूमि अलॉट की गई उसमें से—

शिड्यूल्ड कास्ट को ६४६ एकड़
,, ट्राइब्स् को ३८० एकड़
व दूसरों को १२९६ एकड़
भूमि अलॉट की गई है।

(४) जी नहीं।

नदबई नल योजना का सर्वे

८६. श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नगरपालिका क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में नल योजना का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

अभी तक सर्वे नहीं हुई है, म्युनिसिपल बोर्ड का प्रस्ताव आने पर और धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य किया जा सकेगा।

नहर पर पुलिया का निर्माण

९०. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है, कि कोटा जिले की तहसील पीपलदा में ग्राम करजोदा व मीठोद के समीप होकर नहर निकलती है लेकिन उस पर रास्ता नहीं है ?

(२) क्या सरकार इन ग्रामों के समीप ही नहर पर निकलने के लिये कोई रास्ता शीघ्र ही बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

Page No 33

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी पर अस्थाई व्यवस्था भी की गई है वहां पुलिया शीघ्र बनाई जावेगी।

सीलिंग कानून और भूमिहीन किसान

६१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य ये सीलिंग के कानून के लागू करने से कुल कितनी अधिक भूमि राज्य को प्राप्त होगी जो कि भूमिहीनों को दी जा सके ? इसकी एक सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(२) राज्य में कुल कितने भूमिहीन किसान हैं ? सीलिंग से मिलने वाली जमीन के वितरण के बाद ऐसे कितने बचे रहेंगे जो भूमि प्राप्त नहीं कर सकेंगे ?

(३) अभी तक कहां कहा कितने भूमिहीनों को जमीन दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) राज्य सरकार द्वारा दिनांक २६ नवम्बर सन् १६६३ को प्रसारित की गई विज्ञप्ति के द्वारा उन समस्त व्यक्तियों को जिनके पास १५० एकड़ से अधिक भूमि है को इस संबंध में पूर्ण विवरण देने हेतु आदेश प्रसारित किये गये थे। इन आदेशों के विरुद्ध कई व्यक्तियों द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय में रिटें प्रस्तुत कर दी गई। इनमें से कई याचिकाओं पर उक्त न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश जारी कर देने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। अब समस्त याचिकायें खारिज हो चुकी हैं एवं अब राज्य सरकार द्वारा पुनः उक्त व्यक्तियों से डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है वांछित सूचना प्राप्त होने पर ही उस संबंध में कुछ कहा जा सकता है।

(२) अनुमानतः २४८०४४ भूमिहीन किसान हैं सूची संलग्न है। प्रश्न संख्या १ के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(१२. १० म. प.)

भारत-पाक सीमा पर गुजरात प्रदेश में रैन आफ कच्छ में पाकिस्तान द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्ज़ा विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थागन प्रस्ताव की सूचना जन संघ के माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी ने दी है जिसमें भारत-पाक सीमा पर रण आफ कच्छ में पाकिस्तान के अनाधिकृत रूप से जमीन पर अधिकार किये जाने सम्बन्धी व राजस्थान क्षेत्र पर भी इसी प्रकार अतिक्रमण होने के सम्बन्ध में उल्लेख है।

एक दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य श्री जोधसिंह ने दी है जिसमें राजस्थान सीमा पर एक पाकिस्तानी ट्रान्समीटर कार्य कर रहा है–उसका उल्लेख है।

मुख्य मंत्रीजी इस विषय में आज या उनको सुविधाजनक जब भी हो, कृपया एक वक्तव्य दें।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब से पाकिस्तान द्वारा रण ऑफ कच्छ में गुजरात की सीमा के पास घुसपैठ की गई है तब से स्वाभाविक तौर से राजस्थान में और अन्यत्र भी इसके बारे में चिन्ता होना आवश्यक है। मैंने सदन को एक बार पहले भी इस बारे में विश्वास दिला चुका हूं और अब भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सीमा पर जो भी दूसरी तरफ से गतिविधियां चलती हैं उनके बारे में राजस्थान पूरी जानकारी रख रहा है और हमारी जो भी चौकियां वहां पर हैं वहां वह इस बारे में पूरी तरह से सजग हैं और भी वहां की व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ बनाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने कुछ दूसरे हिस्सों में कार्यवाही करके और वहां की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, राजस्थान सरकार इस बारे में पूरी तौर से अपनी शक्ति लगा कर राजस्थान की एक इंच जमीन पर भी उसका कब्जा नहीं होने देगी।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : ट्रान्समीटर के बारे में अध्यक्ष महोदय उन्होंने बोला नहीं।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में कल या और किसी समय मुख्य मंत्री वक्तव्य दे देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक दूसरी बात है कि चाहे इसकी गम्भीरता नहीं माने, लेकिन मैं समझता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह !

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने इसके बारे में कहा कि ट्रान्समीटर वाला जो स्थगन-प्रस्ताव दिया है इसके बारे में कल निवेदन करूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना सा निवेदन करना था, वैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही उत्साहजनक बात इस सदन के अन्दर कही है कि पाकिस्तान कितनी भी किसी प्रकार सिरफोड़ी करे, हम राजस्थान की एक इंच भूमि को उसके कब्जे में नहीं होने देंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घोषणायें कई बार कई मुख्य मंत्रियों ने और सरकार के प्रवक्ताओं ने की हैं लेकिन इस सबके बावजूद भी जब पाकिस्तान ने अपनी इच्छानुसार आक्रमण करने या घुसपैठ करने की कोई तैयारी की है तो उसको दैव संयोग से सफलता मिली है और तमाम घोषणायें नाकारा सिद्ध हुई हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम बाद में, पाकिस्तान की

(श्री भैरोंसिंह)

घुसपैठ कर लें. उसके कारणों की मीमांसा करने की स्थिति में न रह कर पूरी शक्ति के साथ उसका मुकाबला कर सकें–इस प्रकार की स्थिति बना कर रखेंगे तो आपकी घोषणा का प्रभाव इस सदन में बना है, वह जनता में भी बना रहे और आपकी घोषणाओं के प्रति विश्वास बना रहे ।

श्री फतहसिंह (चोहटन): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने फर्माया कि हमारा इन्तजाम सीमाओं पर ठीक है। मैं खुद बोर्डर पर रहता हूं। मुझे मालूम है कि इस प्रकार का हमला हो जाय तो उसका सामना करने के लिए माकूल इन्तजाम नहीं है। हम इसलिए मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तीस चालीस मील दूरी पर हमारी चौकियां हैं और एक दूसरी चोकियों के सिपाही मदद नहीं कर सकते। इसलिए बीच में पांच-छः मील की दूरी पर चौकी डाली जाय। वहां पाकिस्तान की फौज को सी. आई. डी. और वहां पर रहने वाले लोग मदद दे रहे हैं। इसलिए पांच-छः मील की दूरी परचौ की होना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही वहां पर रहने वाले लोगों को शस्त्र देना भी जरूरी है। पाकिस्तान के लोगों को शस्त्र दिए हुए हैं और पांच-छः,पन्द्रह-बीस बन्दूक दे रखी है। हमारा जो बोर्डर है वहां पर एक दो राइफल जरूर होंगी। इस प्रकार की हालत है इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उससे यह तो स्पष्ट है कि कुछ चिन्ता का विषय है। पर उसके साथ साथ मुख्य मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि एक इंच भूमि भी किसी हालत में नहीं जाने देंगे। यह हमारे लिए खुशी की बात है। हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार का यह महसूस करते हैं कि चिन्ता का विषय तो है तो क्या ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने इस स्थिति को रोकने के लिए किस किस प्रकार के क्या क्या कार्य-वहां किये हैं और उसको रोकने के लिए, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा और घुसपैठ को रोकने का सवाल है, इस मामले के अन्दर केन्द्रीय सरकार को इससे अवगत कराया है। यह भी सरकार कर रही है या नहीं और क्या कर रही है और क्या नहीं? जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि स्थिति वैसी खराब है। तो आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? आप इस सिलसिले में जरूर बतावें। यदि इस सदन में नहीं बता सकते तो कुछ साथियों को कॉन्फीडेंसी में लेकर बतायें।

दूसरी बात भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपकी इजाजत से कही थी कि कुछ डाकुओं ने कोलायत तहसील में इस प्रकार की धमकी दी है कि इस प्रकार हम हमला करेंगे, नहीं तो इतना रुपया लाओ। और इसमें दस पंचों का नाम दिया है। उनके नाम से वह पत्र है। उस सिलसिले में आपने कोई इन्क्वायरी की है और आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसके अन्दर एक और बात आ गई है, बहादुरसिंह डाकू जिसको मार दिया गया है, उसके लिए राष्ट्रदूत में आया है कि वाकई बहादुरसिंह को मार दिया गया है। यह स्थिति बन गई है तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

कोई घोषणा सरकार कर दे तो उस इलाके के लोगों को शांति मिल जाय। यह मालूम हो जाय तो इस प्रकार का कार्य, घुसपैठ करने का और लूटने का कार्य डाकुओं के जरिये होता है उस तरफ से जनता में डर कम हो जाय। मैं समझता हूँ कि मुख्य मंत्री जी इस सिलसिले में स्पष्टीकरण कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक बहादुर सिंह के मारे जाने का सवाल है, यह एक कन्फर्म्ड न्यूज है कि उसको मार दिया गया है और रघुनाथ विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): वे यहां बैठे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यहां बैठे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह दूसरा है, आप चिन्ता मत करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप एक जानकारी दे दें कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बराबर झुंझराउ बहादुर सिंह की वकालत करते हैं...

श्री मुरलीधर व्यास : यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: यह वही बहादुरसिंह है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बकवास कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री पूरी तरह कह दें कि मैंने यह कहा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो दें और प्रोसीडिंग्ज में मुझे लफ्ज़ दिखा दें। मैं इतने पतन वाला आदमी नहीं हूं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी से बोल चुके हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी और दे दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, कितनी चौकियां हैं और वहां कितनी चौकियां हैं—क्या व्यवस्था है, इसकी डिटेल्स मैं सदन में देना पसन्द नहीं करूंगा लेकिन तारीख १५ को सम्भवत: माननीय सदस्यों को, जो अलग अलग पार्टियों के लीडर हैं, इस बारे में संग्रहीत जानकारी अलग अलग दे दूंगा। इस समय इससे अधिक जानकारी देना उचित नहीं है। मैंने कहा है, हमारी चौकियां कितनी हैं, क्या स्थिति है-यह सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए मैंने दृढ़तापूर्वक कहा है कि हम इस मामले में पूरी कामयाबी के साथ में सामना करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी और करनी है । दो-तीन समाचार पत्रों....

श्री अध्यक्ष : आप जो पूछना चाहें,वह एक साथ ले लें । जो जानकारी चाहें एक साथ ले लें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं । यह समाचार दो-तीन पत्रों में छपा है कि लोक सभा के सदस्य राजस्थान-पाकिस्तान और गुजरात-पाकिस्तान सीमा का दौरा करने जा रहे हैं । यदि मुख्य मन्त्री जी उचित समझें तो इस विधान सभा के कुछ सदस्यों को भी भेज दें ताकि वहां सारी व्यवस्था को देखा जा सके ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर व्यवस्था करने में काफी दिक्कत आती है, इसलिए जो अभी पालिया-मेन्ट के मेम्बर्स जा रहे हैं, उसके बाद विधान सभा के माननीय सदस्य भी जाना चाहेंगे तो उनके लिए भी आवश्यक व्यवस्था कर देंगे जिससे वे वहां जा सकें ।

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ सदस्यों को भेज दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनको सुविधायें भी प्राप्त हो सकें । क्योंकि अभी वहां चालीस-पैंतालीस पालियामेन्ट के मेम्बर्स जा रहे हैं और तीस पैंतीस हमारे यहां के हो जायं तो उस....

श्री भैरोंसिंह : पांच-दस ले लें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : और उसके साथ में अन्य कार्यक्रम जुड़े हुए हैं ।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा अभी रहेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अलग से जा सकते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में विशेष बात तो नहीं कहना चाहूंगा । यह सीमा की रक्षा का प्रश्न है और सजगता के प्रश्न पर माननीय मुख्य मन्त्री के द्वारा वह आश्वासन भी दिलाया है हर तरह का वहां प्रयास किया जायगा जिसके द्वारा राजस्थान की एक इंच भूमि का भी पाकिस्तान अति-क्रमण नहीं कर सके । आज इस तरह के समाचार को मैंने समाचार पत्रों में देखा कि गुजरात में इस प्रकार की धांधली हुई है और पाकिस्तान का एक जनरल ट्रेन्ड है कि बोर्डर्स को अलाइव किया जाय, बोर्डर्स के ऊपर कोई न कोई इस प्रकार की बात की जावे कि जिसके द्वारा हमारे देश के अन्दर अशांति पैदा हो । तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा यदि वह जानकारी देना सदन को उचित समझें तो, वर्ना नहीं कि जिस तरह से गुजरात में पाकिस्तान के द्वारा हमारी भूमि पर कुछ कब्जा कर लिया गया है उसी तरह की प्रक्रिया क्या राजस्थान के अन्दर भी उसी के कन्टीन्यूएशन में, उसी बात को जारी रखते हुए कोई ऐसी बात की जा रही है जिसके द्वारा यह सम्भावना उत्पन्न हो कि हमारी सीमा के ऊपर जिस तरह गुजरात में हुआ उसी तरह सम्भवतः पाकिस्तान यहां कारगुजारी कर चुका है । अगर कर चुका है तो उस सम्बन्ध में आपने जो कुछ किया होगा वह ठीक किया होगा लेकिन अगर आप सजग हैं तो

Page No 38

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आपने ठोस कदम किस तरह के लिये ? क्या वहां पर पुलिस के द्वारा ही रक्षा करने की व्यवस्था की है ? या आर्मी के द्वारा भी रक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार किया है ? अगर मुख्य मन्त्री जी उचित समझें तो इस बारे में दो शब्दों में जानकारी दे दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक बात जो आपने कही, उसको थोड़ा स्पष्ट करदूं कि राजस्थान की सीमा में किसी भी हिस्से में पाकिस्तान का कब्जा नहीं है । दूसरी बात जो आपके पूर्व भी एक माननीय सदस्य ने कही कि भारत सरकार को भी इसके सम्बन्ध में हमने परिचित किया है या नहीं, तो इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे दी गई है। दूसरी बात, जो प्रश्न खड़ा होता है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि पाकिस्तान ने जो कुछ गुजरात में किया उससे सतर्क रहने की पूरी तौर से आवश्यकता पड़ी हुई है और उसकी किस तरह कार्यवाही होगी इसके बारे में निश्चित रह कर हम नहीं बैठे रहते हैं । आज के दिन इस सतर्कता की आवश्यकता है इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री ने जो स्पष्टीकरण किया है उसके बाद इन प्रस्तावों पर कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं रहती अतः इन्हें अस्वीकार किया जाता है ।

(१२.२१ म. प.)

जयपुर कोटा इत्यादि क्षेत्रों से खाद्यान्न संकट विषयक स्थगन-प्रस्ताव

माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें जयपुर, कोटा, राजगढ़ आदि स्थानों में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उससे सम्बन्धित है । आज खाद्य मन्त्री एक वक्तव्य देने जा रहे हैं, यदि संभव हो तो इस पर भी प्रकाश डालें और नहीं तो किसी और समय इसका स्पष्टीकरण कर दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट राजस्थान वीट कन्ट्रोल ऑर्डर में किये जा रहे हैं, एक ऑर्डर के जरिये और यह सदन क्योंकि सेशन में है इसलिये मैंने यह उचित समझा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को जो कुछ परिवर्तन गेहूँ की दरों के बारे में राजस्थान में किये जा रहे हैं उसकी सूचना सदन के समक्ष उपलब्ध कर दी जावे । वह जानकारी इस प्रकार से है :

राजस्थान व्हीट कण्ट्रोल ऑर्डर, १९६४ के तहत राजस्थान से गेहूँ की दरें सारे राजस्थान में निर्धारित की गई थी, वे सफेद गेहूं के लिये ६४ पैसे प्रति किलो, लाल गेहूँ ५३ पैसे प्रति किलो । राजस्थान में जिन क्षेत्रों में गेहूं पैदा होती है, बडा क्षेत्र है जहां पर कीमतें निर्धारित होने से थोड़ी डिफिकल्टी पैदा हुई कि जहां पर गेहूँ पैदा होता है और जहां पर नहीं होता है एक ही कीमत निर्धारित होने से थोड़ी दिक्कत आई कि अलग अलग किस्म के नाज के लिये अलग अलग कीमतें होनी चाहिये । इसलिये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसका और वर्गीकरण इस ऑर्डर के द्वारा किया तथा अलग अलग कीमतें निर्धारित की जा रही हैं वे इस प्रकार हैं।

इसके लिये राजस्थान को दो हिस्सों में बांटा है :

१ हिस्सा है जिसमें अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, जालोर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर और भीलवाड़ा आता है। यह एक हिस्से का जिला है और इनमें तीन प्रकार के गेहूँ होते हैं, लाल बाजिया और काठा। एक तरह के गेहूं हैं। सफेद धारा और गजर ये दूसरी तरह के गेहूं हैं। शरबती, फार्मी, कनक और मालवी; ये तीसरी प्रकार के गेहूं हैं। यह एक केटेगरी के गेहूं हैं। अब लाल बाजिया और काठा गेहूं का भाव ५२ पैसे प्रतिकिलो, सफेद धारा, गजर का भाव ५६ पैसे प्रतिकिलो और फार्मी, शर्बती, कनक और मालवी की कीमत ६१ पैसे प्रति किलो।

दूसरा जो राजस्थान का हिस्सा होगा उसमें निम्नलिखित जिले होंगे :

अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही। इसमें तीन प्रकार के गेहूं के भाव इस प्रकार से रहेंगे :

लाल, बाजिया और काठा ५७ पैसे प्रति किलो सफेद, धारा, गजर का भाव ६१ पैसे प्रति किलो। फार्मी शर्बती कनक मालवी ६५ पैसे प्रति किलो। इन कीमतों में सेल्स टैक्स तक शामिल है।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आटे की कीमत लाल, बाजया, काठा की कीमत से दो पैसे प्रति किलो अधिक होगी और इससे अधिक नहीं होगी।

अगर गेहूं में अन्य अनाज मिला कर बिक्री किया जाता है तो लाल बाजया को काठा गेहूं के अधिकतम मूल्य से कम होगा। इस परिवर्तित ऑर्डर की जानकारी मैंने सदन के सामने रखी है।

जो स्थगन प्रस्ताव कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखा है, उसमें उन्होंने जयपुर, कोटा, राजगढ़ आदि कुछ इलाकों में खाद्यान्नों की एवेलेबिलिटी के बारे में कुछ कमी है और यहां तक कहा है कि हाहाकार मचा हुआ है और वहां पर हालत ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे खाद्यान्नों से उनका मतलब है या गेहूं से है....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैंने आपको दे दिया। आपने पढ़ लिया होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पढ़ लिया है और वह मेरे सामने है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने यह लिखा है गेहूँ के बारे में....

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर आप गेहूँ की बात कहिये। खाद्यान्न की बात नहीं कहें। जहां तक आप सारे खाद्यान्नों के बारे में कहते हैं वह तो बात नहीं है क्योंकि इस बात को स्वयं भी कमिट करने को तैयार है कि आपका मतलब गेहूँ से है। गेहूँ को सब प्रकार के खाद्यान्नों के साथ कहना उचित नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा गेहूँ से ही मतलब है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य इस बात को भूल जाते हैं जब वे इस बात को कहते हैं, माननीय सदस्य मंडियों से परिचित हैं, जहां तक मोटे धान की परम्परा है बाजार में मक्की और जवार का और चने की दाल आदि दूसरी चीजों के भाव के बारे में शिकायत है, हमारा ट्रेन्ड कभी डाउन और कभी एक दो पैसा ऊपर....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : भाव तो बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं। आप ही बता दें कि पिछले १५ दिनों में एक पैसा भी गिरा हो। भाव बढ़ते ही गये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि कभी एक पैसा बढ़ गया तो कभी एक दो पैसा डाउन चला जाता है कभी उतार और कभी चढ़ाव और एक दो पैसे की कमी और बढोतरी धान के बारे में चल सकती है। लेकिन जो स्थिति आज से दो तीन महीने पहले थी उसमें सुधार हुआ। रहा प्रश्न गेहूं का...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि १५ रु० भाव बढ़ गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपको सही जानकारी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं खाद्यान्नों के सम्बन्ध में...

(दो—तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री जोधसिंह चौहान : आप ४० रु० में तो लेते हैं और ६०) रु० में देते हैं।

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक गेहूँ का प्रश्न है अभी नई फसल आने में कुछ दिनों की देर है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रीज़न्स हैं।

मैं गेहूं की बात कह रहा हूँ। इसलिये अभी हमें कुछ मंडियों में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ मंडियों में अलग अलग मंडियों में आमद की रफ्तार कम हुई है और इस कमी के कारण अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कुछ ऋतु परिवर्तन है। कहीं पर ओले पड़े और कहीं पर वर्षा हुई। किसान जो कुछ फसल उनकी खेत में खड़ी है उसको काटने के लिये ज्यादा से ज्यादा काम में लगे हुए हैं और वे फसल काटना चाहते हैं और उनका लक्ष्य यही है कि वे धान को जल्दी से जल्दी जो लाटों में पड़ा है निकाल कर अपने घरों में ले जावें। इस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वजह से किसान अपनी फसल को काटने में और लाटों को लेने से काफी तेजी से व्यस्त हैं और वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस अनाज को वे अपने घरों में पहुंचा सकें।

इस वजह से किसानों की तरफ से गेहूँ लाने में, जो किसानों के पास पुरानी फसल का जो कुछ बचा हुआ था उसको मंडियों से लाने में कमी आई है इसलिये जयपुर में और दूसरी मंडियों में गेहूं की लास्ट फसल का गेहूँ है उसकी अवेलेबिलिटी में जो पहले रफ्तार चल रही थी, उसमें अवेलेबिलिटी में फर्क आया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : होर्ड बैंक कर रखा था क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : होर्डिंग का सवाल नहीं, जो स्टॉक उनके पास है थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जहां कहीं से, क्योंकि नई फसल आ रही है, उन्होंने खाने के लिये रख रखा था तो वे सोचते हैं कि पुराना गेहूँ बदल लें, नया रख लें, होर्डिंग के बारे में कुछ रिलेक्सेशन किया है, कुछ लोगों ने ही डिक्लेरेशन्स दिये हैं, आम लोगों ने डिक्लेरेशन्स नहीं दिये हैं, विरोध की दूसरी सूचना भी हमारे पास नहीं आई। तो जो रखने की गुंजायश थी, वह किसान निकालना चाहते थे, उसमें ऋतु परिवर्तन से फर्क आया है। तो ऐसी आशा की जाती है कि हफ्ते, दो हफ्ते में कुछ हिस्से तक पुराने गेहूँ और कुछ हिस्से तक नये गेहूँ के आने की रफ्तार मंडियों में होगी।

इसके अलावा राजस्थान सरकार सरप्लस इलाके के कलेक्टर्स से बात कर रही है कि वे अपने इलाकों में मेनेज करके गेहूँ इकट्ठा करें और कमी के इलाकों में भेजने की कोशिश करें, इस बारे में राज्य सरकार के प्रयत्न जारी हैं। तो जो कुछ सुधार इस स्थिति में लाया जा सकता है उसके लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसपुर): मंत्री जी ने बाजिये और काठे गेहूँ के भाव बताये और यह भी बताया कि गेहूँ के आटे का भाव गेहूँ के भाव से दो पैसे से अधिक महंगा नहीं होगा, लेकिन मान लिया जाय कि गेहूँ के भाव से आटे का भाव सस्ता है तो निश्चित है कि आटे में मिश्रण है, आटा गेहूं से सस्ता बिकता है तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में गेहूं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है; कोटा में भी, अखबारों में समाचार आये हैं कि ताले तोड़ कर अनाज बिकवाया है। जिस हल्के तरीके से खाद्य मंत्रीजी ने समझा कि भावों में फर्क आया है वह एक दो पैसे बढ़ा है। आज हालत बहुत खराब है, मंडियों में अनाज मिल नहीं रहा है, राजस्थान सरकार इम्पोर्टेड वीट के लिए सफल प्रयास नहीं कर पाई है कि राजस्थान के लिए इम्पोर्टेड वीट का कोटा बढ़े। राजस्थान के लिये खाद्यान्नों की समस्या गम्भीर बनती जा रही है और सरकार केवल फसल के भरोसे पर बैठी है कि अनाज अपने आप मंडियों में आ जायगा, सरकार निष्क्रिय होकर बैठी है, यह निष्क्रिय सरकार खाद्यान्नों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की इस गम्भीर स्थिति को सम्भाल नहीं सकेगी और १७ तारीख को सदन की बैठक समाप्त हो रही है. इसलिए इस महत्वपूर्ण मसले पर दो घंटे की चर्चा रखी जाय, जिससे सारे माननीय सदस्य अपने विचार इस सम्बन्ध में रख सकें और खाद्यान्नों की समस्या को सुलझाने की दृष्टि से, सरकार कोई निश्चित नीति निर्धारित कर सके। आये दिन वक्तव्यों से भाव निर्धारित करने से कागजी कार्यवाही करने से लोगों को अनाज नहीं मिल सकता, लोगों को खाने के लिये अनाज चाहिये। वक्तव्यों और कागजी कार्यवाही से जनता सन्तुष्ट नहीं हो सकती। खाद्य मंत्रीजी ने कहा कि कलेक्टर्स को आदेश दे दिये। किस जिले से कितना आ सकेगा, किस जिले से कितनी कमी है, किस जिले में कितना ज्यादा है, जहां कमी है वहां उस कमी को पूरा करने के लिये क्या करेंगे, इसको न आपने कहा है और न आपके पास आंकड़े हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन आंकड़ों से कुछ नहीं हो सकता, लोगों को अनाज चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकड़ों से कुछ नहीं हो सकता तो भाषण देने की क्या जरूरत है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने इस गम्भीर स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है इसलिये मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये दो घंटे का समय रखा जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकड़ों से कुछ नहीं हो सकता तो भाषण देने की क्या जरूरत है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास बोरियां पहुंच जाती है, इसलिये आपको पता नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे घर के गेहूं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे इस बात की तो खुशी है कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जयपुर में, कोटा और दूसरी मंडियों में गेहूं की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, इनसे उन्होंने स्वीकार किया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी प्रशासनिक कुशलता इसमें है कि टेम्पोरेरी डिफिकल्टी हो, उनको एड्मिनिस्ट्रेटर मीट कर सके तो वह एड्मिनिस्ट्रेशन एफिशियेन्ट है। आप कह रहे हैं कि काश्तकार लाटे निकाल रहे हैं इस प्रकार की मौसम में वे निकालेंगे, उनको लाटे निकालना जरूरी है पर भारत सरकार का चीप ग्रेन है, लाल गेहूँ है, उसको जयपुर. कोटा, राजगढ़,चूरू में रश करें। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने गेहूँ का सवाल रहा था, आप यहां उपस्थित नहीं थे। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि इस सदन में दो घंटे की चर्चा होनी चाहिये। जो पोलिसी स्टेटमेंट खाद्य मंत्रीजी ने दिया है, साल भर हो गया राजस्थान के व्यापारी, राजनैतिक पार्टियां,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

विरोधी पार्टियां बराबर कहती रही हैं कि उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की मण्डियों में और खपत करने वाले जिलों की मण्डियों में एक से भाव नहीं रहने चाहिये। साल भर बाद राजस्थान सरकार संभल पाई है, दो तरह के जिले निर्धारित कर के दो तरह के भाव रखे हैं।

बैटर क्वालिटी का गेहूं है, उसमें ४ रुपये का डिफरेंस किया है। एक ही पॉलिसी स्टेटमेंट में कीमतों के साथ ही लोडिंग चार्जेज, ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज अच्छे गेहूँ पर भी लोंग, और रुपया दो रुपया ब्लैक का चलेगा, इसलिये भाव वास्तविकताओं को देख कर निर्धारित करें।

राजस्थान में एक बहुत लम्बे अर्से से जो मांग थी, वह आपने अब पूरी की है, उसमें भी भावों पर पूरी स्थिति का ध्यान नहीं किया है इसलिये मैं मांग करता हूं कि चीप ग्रेन आज की स्थिति में रश करें और इस सारी स्थिति पर चर्चा के लिये दो घटे का समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो बयान दिया है खाद्य के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि यह अपने आपमें पूरी स्थिति पर प्रकाश नहीं डालता। जसी आज स्थिति है, जिन शहरों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उनमें न केवल वह गेहूँ ही उपलब्ध नहीं है जो मंडियों में आता था बल्कि जो राशन कार्डों से राज्य की दूकानों पर मिलता था वह गेहूं भी उपलब्ध नहीं है। मैं पिछले दो दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, पर वह नहीं उपलब्ध हो रहा है। जयपुर शहर में ऐसी स्थिति है तो दूसरी जगह और भी खराब स्थिति होगी।

भावों के सम्बन्ध में मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, उस पर मंत्रीजी को भी और हम को भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। एक दम स्टेटमेंट दे दिया और हम उस पर अपने पूरे विचार एकं दम प्रकट कर दें यह न हमारे प्रति न्याय होगा और न उनके प्रति ही।

इसके अलावा अब के बजट सेशन में इस सम्बन्ध में पूरी तरह से कोई बहस नहीं हो पाई है और चूंकि यह प्रोब्लम आम जनता से सम्बन्धित है इसलिये इस पर पूरा विचार विनिमय होना चाहिये। जैसे मंत्री महोदय ने विचार व्यक्त किये कि वर्षा होने से पहले किसान अनाज ला रहे थे पर मौसम खराब होने से चूंकि लटाई वगैरह में व्यस्त हो गये, इसलिये अनाज आना बन्द हो गया। हो सकता है बात यह न हो कर यह हो कि जो व्यापारी होर्डर्स हैं उन्होंने देखा हो कि मार्केट मंदा जा रहा है, नई फसल आ रही है यह सोच कर होर्डर्स ने माल निकलना शुरू किया हो पर वर्षा होने के कारण उनको यह खयाल हो गया हो कि भाव महंगे जायेंगे, इसलिये उन्होंने वापिस होर्ड कर लिया हो। तो वास्तविकता क्या है इस पर बहस की जाय तभी पता चल सकता है। इसलिये समय निर्धारित करके फुलफ्लेज्ड बहस इस स्थिति के सम्बन्ध में करायें, जिससे हम सुझाव दे सकें और गवर्नमेंट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सही तरीके से इस प्रोब्लम को सोल्व करने के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित कर सके।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, कल मैंने भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस स्थिति में सम्बन्ध में रखा था, में बराबर ७ दिन से अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात ध्यान में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे ही स्केयर्सिटी एरिया, उसमें मोटा अनाज भी मंडियों में नहीं पहुंच रहा है नसीराबाद में खास तौर से। पुष्कर के लिये प्रभा मिश्राजी से पूछ कर कह सकता हूं, मोटे अनाज की वहां कमी है। सरकार से कहना चाहता हूं कि जब सरकार पॉलिसी को पल्टे तो पॉलिसी पलटन के कारणों पर भी प्रकाश डालें।

किस बहतरी के लिये आप इसको संशोधन कर रहे हैं। हर दफा संशोधन होते हैं। जैसा मंत्री महोदय ने कहा हमने उसका जनता में प्रचार किया। अमेरिकन गेहूं बहुत आ जावेगा यहां की भी फसल आ जावेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उनके कहने के अनुसार हमने वही जनता में प्रचार किया। अब यह संशोधन करके हम खड्डे में उतार दिया। कहते हैं अनाज आ रहा है। आज जो चीज की और जो कीमतें पहले निर्धारित की थी हमें यह बतलाना चाहिये था कि किस बहतरी के लिये बदलाव लाये हैं। उसका स्टेटमेंट सरकार की ओर से नहीं होता है, अचानक ही इस प्रकार की चेन्जेज आती हैं तो लोगों को समझाने में हम नाकामयाब रहते हैं। इसलिये इस पर पूरी बहस होनी चाहिये। जनता को भूखमरी से बचाने के लिये विशेष तौर से अजमेर व नसीराबाद के लिये निवेदन करूंगा कि आप कुछ न कुछ करें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (चांदी कुई) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से खाद्य मंत्रीजी ने यह बताया कि इन दिनों में परिवर्तन नहीं आया है। पैसे दो पैसे का आया है। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि दो तीन दिनों में मंडियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं आया है किन्तु सारे के सारे अनाजों में बड़ा भारी परिवर्तन आया है। चने में तो १०) १२) का फर्क आया है और गेहूँ में ३) ४) का फर्क आया है। मैंने काश्तकारों को यह कहते हुए सुना था कि डाउन ट्रेंड जा रहा था इससे लोग बागों को यह मालूम था कि कीमतें गिर रही हैं, इस परिवर्तन से काश्तकारों में यह बात आयी की फिर भाव बढ़ेंगे इसलिये गल्ला निकाल कर मार्केट में लाने वाले थे इसलिये वे नहीं ला रहे हैं। जैसी आशा थी कि नयी फसल मार्केट में आने वाली है वह नहीं आ रही है। उन्होंने उसको फिर रोक लिया है। एक तरफ यह स्थिति है।

जहां तक जयपुर सिटी का ताल्लुक है, फूड एडवाइजरी कमेटी में इस पर काफी चिन्ता व्यक्त की गई है और कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया था कि यहां का कोटा जो पुराने स्टेन्डर्ड से बनाये रखा गया है वह काफी नहीं है। इसके लिए अलग कोटा बनाया जाय। रूरल एरिया में

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

भी मांग है वह भी बढ़ायी जाय। उसका भी कोई जबाब नहीं। कलेक्टर महोदय को कहते हैं कि मुझे जितना कोटा मिलता है उसका मैं तो वितरण कर देता हूँ। यह मेरा काम है और उस को बढ़ाने का काम मेरा नहीं है। खाद्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो बाहर से गल्ला मिलता है उसमें बढ़ोतरी करेंगे या नहीं ? या आपकी ऐसी नीति भी है कि जैसा अखबारों में और अन्य सूबों में सुनते हैं कि गवर्नमेन्ट की तरफ से सन्तुलन रखने के लिये कुछ स्टॉक गवर्नमेन्ट की जानिब से खरीदा जाय। उन नीतियों और स्थितियों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इसलिये मैं भी निवेदन करूंगा विशेष तौर से कि पूरी जानकारी गावों के बारे में और कुछ स्टाक रखने की नीति सरकार की है या नहीं ? जिससे संतुलन भविष्य में कायम रह सके। आज हमारी यह स्थिति है तो आगे चल कर स्थिति और भी गम्भीर होने की सम्भावना है। जयपुर की स्थिति यह है कि अधिकारीगण और बहुत से लोग अनाज की मांग करते हैं हमसे और हम अपनी तरफ से थोड़ा २ लाकर उनके घरों पर सप्लाई करते है। यह अपने लिये कह सकता हूं। हर हाइनेस की जानिब से जो दूकानें यहां जयपुर शहर में खोली गयीं उनसे जनता को बड़ी भारी राहत मिली है। वह राहत नहीं मिलती तो जनता में बड़ा भारी हा हा कार मच जाता। आंकड़े बता सकता है कि कितनी तादाद में गल्ला दे दिया।

श्री मुकुटबिहारी गोयल (बयाना) : आपने सप्लाई करने का लाइसेन्स लिया या नहीं ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वह फिर बता दूंगा।

इसलिये समय निर्धारित किया जाय। सरकार की ओर से यह भी फीगर दी जावे कि कितने हजार लोगों को कितने हजार मन गल्ला सप्लाई किया गया और आपने कितनी कमी की। फूड एडवाइजरी कमेटी की जो मांग है वह भी आप बताइये। समय इसके लिये अवश्य निर्धारित होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, अकाल का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह अकाल का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने विचार जाहिर किये हैं। एक दफा भी इस सत्र में खाद्यान्न के बारे में चर्चायें नहीं कर सके इसलिये चर्चायें करना उपयुक्त रहेगा बहुत सी बातों के बारे में। सदन के माननीय सदस्यों की इस इच्छा के बारे में अगर जो कुछ हाउस का शिड्यूल्ड प्रोग्राम है उसमें यह कहीं फिट हो सकता है और इस बहस को दो चार घन्टे के लिये करवाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उनके भी विचार सुनने का मौका मिलेगा और मुझे भी अपने विचार करने का मौका

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मिलेगा। मैं उनकी इच्छा की कद्र करता हूं। इस शिड्यूल्ड प्रोग्राम में यदि यह सम्भव हो तो दो चार घंटे का समय निर्धारित कर दिया जाय यह अच्छा रहेगा।

जो कुछ बातें सदन में माननीय सदस्यों ने उठायी और खास तौर से नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने एक दम परिवर्तन कर दिया और क्यों कर दिया। स्टेटमेंट में जिक्र किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सी पार्टीज की इस पर मांग रही है और इतना भी राजस्थान सरकार के समझ में नहीं आया, अक्ल में नहीं आया। आपके कहने से न हमारे में समझ आती है और न जाती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यही तो परेशानी हमारी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : न खुद को सूझता है और न दूसरों की मानते हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : राज्य सरकार अपने तरीके से काम करती है। वक्त और जनता की सारी बातों को खयाल रख कर जो जिस समय कदम उठाया जाना चाहिये वैसा कदम उठाया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मजबूरी है.......

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसी स्टेट थी जिसने मेक्सिमम प्राइस रखने की घोषणा की और उस पर अमल किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या अमल किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आप सबको बहुत ही सब्र से सुना है। मैं सब की बात शान्ति से सुनता हूं। आप भी सुनिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारी बात न सुनते हैं और न सोचते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इतनी अकाल की परिस्थिति थी। मुश्किल का पीरियड था। गेहूं की कमी राजस्थान में थी। फिर भी हमने यह सोच कर जनता के हित में सारे भारत में कानून न होते हुए भी राजस्थान में प्राइसेज का कानून जारी रखा और वर्गीकरण किया उस समय इतना बारीकी से नहीं किया और एक ही प्राइसेज राजस्थान में रखी। पिछली दफा राजस्थान में प्राइसेज की घोषणा की थी, वीट का सीज़न, हार्वेस्ट का सीजन काफी पहले निकल चुका था। मूवमेन्ट के हिसाब से देख कर किस जगह मूवमेन्ट होना चाहिये और वहां नहीं हो सकता तो धानों से काम चलता। इन सारी बातों को देखकर प्राइसेज लागू की गई। आपने बहुत दफा कहा होगा लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जो लागू किया जा सकता। रबी की फसल आ रही है और वीट आने वाला है और यही एक समय हो सकता था सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में गेहूं भेजा जाय, दोनों

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की प्राइसेस में अन्तर होना भी आवश्यक था इसलिये यह चेन्ज की जा रही है। यह कहना कि उस समय समझ में नहीं आया और अब आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कौनसा कानून कब लागू होगा, क्या परिस्थिति थी और अब क्या है उनमें ऐसी उपयुक्त है या नहीं इन सबके बारे में सोच समझ कर कदम उठाये जाते हैं। वीट के बारे में निश्चित नीति रही है और उसी हिसाब से आगे भी काम करना चाहते हैं। अच्छे गेहूं, मिडल दर्जे के और लोएस्ट दर्जे के गेहूं में अन्तर रखना है वह वाजिब है।

तीनों ही क्वालिटीज पर मेग्जीमम प्राइस निर्धारित कर दिये हैं। जिस हिसाब से राजस्थान में वर्गीकरण किया गया उसी हिसाब से हमने मेग्जीमम प्राइस निर्धारित किये हैं। जहां तक इस पर बहस का प्रश्न है, कोई भी समय निकाल कर बहस कर सकते हैं। दूसरे खाद्यान्नों की अवेलेबिलिटी के बारे में और इम्पोर्टेड व्हीट के बारे में भी जो कुछ हमारी नीति रही है उस पर मैंने प्रकाश डाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले कुछ महीने देश में खाद्यान्नों के सिलसिले में काफी गम्भीर रहे हैं जहां तक इम्पोर्टेड व्हीट का सवाल है अमेरिका में स्ट्राइक होने के कारण मुश्किलें आयीं। भारत सरकार के पास भी स्टाक्स की कमी थी उनकी वजह से हमारे को जो पिछले दिनों २० हजार टन गेहूं मिलता था, पहले पचास हजार टन मिलता था पिछले महीने १५ हजार टन मिला और इस महीने में केवल दस हजार टन गेहूं प्राप्त हुआ। अब इम्पोर्टेड व्हीट में भी सुधार हो रहा है काफी बड़े पैमाने पर अमेरिका से जहाज भर कर हिन्दुस्तान पहुंच रहे हैं। उनको ठीक ढंग से खाली करवाकर भेजना है। सरकार पर बड़ा भारी भार आया हुआ है इस समय में राजस्थान को जितना भी इम्पोर्टेड व्हीट की आवश्यकता होगी उस सारे मामले को समय समय पर हमने भारत सरकार के सामने रखा है, राजस्थान के कोटे को बढ़ाया जाय। इस सम्बन्ध में भी हमने भारत सरकार से प्रार्थना की है। जहां तक इम्पोर्टेड व्हीट की अवेलेबिलिटी का सवाल है अलग अलग शहरों में और कस्बों में जहां पर हमारी चीप ग्रेन शोप्स काम कर रही है वहां कतई गेहूं नहीं मिलता इस प्रकार की हालत नहीं है। जहां कहीं भी चीप ग्रेन शोप्स में गेहूं नहीं है वहां काफी मात्रा में लगातार गेहूं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और पहुंच रहा है। जितनी तादाद में ग्रेन शॉप्स के द्वारा लोगों को गेहूं मिलना चाहिये उतना उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इतना ही मुझे इस बारे में निवेदन करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने चीप ग्रेन शोप्स तो बन्द कर दी है कई जगहों पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं शहरों की बात कर रहा हूं जहां हमारी ग्रेन शोप्स चालू हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने चीप ग्रेन शोप्स कई कस्बों में बन्द कर दी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो हम भी कहते है बहुत तादाद में बन्द कर रखी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् और इस सम्बन्ध में जो बहस हुई है उसके पश्चात् यह आवश्यक नहीं कि श्री सुराना के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की जाय, इसलिये उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। और जहां तक बहस का प्रश्न है इस पर किस तरह से व्यवस्था की जायगी उस पर विचार किया जायगा।

(१२.५४ म. प.)

याचिका का उपस्थापन

श्री धर्माराम आर्य (सिरोही–सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैं हथरोई स्कीम के निर्माण में अनियमितता आदि सम्बन्धी विषय पर एक याचिका का उपस्थान करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, हाउस छोटा पड़ रहा है। हमारे इधर सदस्यों के निकलने में बड़ी दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष : यह कहने की अभी आवश्यकता थी क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): जबरदस्ती से आप विरोधी दल के लोगों को लेजा कर फसायेंगे तो छोटा पड़ेगा ही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कन्धों पर बैठना पड़ेगा।

राजस्थान जन सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी एक पूरक ज्ञापन

(उपस्थापन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जन सेवा आयोग के दिनांक १. ४. १९६२ से ३१. ३. १९६३ तक की अनुदान कार्य सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय १५ के पैरा ७ के सम्बन्ध में पूरक ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा में श्रमिकों सम्बन्धी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा में लागू किये गये रिलीफ अन्डरटेकिंग एक्ट अवधि समाप्त होने तथा इस कारण श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित रखे जाने से सम्बन्धित मामलों पर श्रम मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मेवाड टैक्सटाइल मिल लि० भीलवाड़ा को सन् १९६० में भारत सरकार के इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन्स एक्ट के अन्तर्गत इसके प्रबन्ध को आपने हाथ में लिया था। मिल के प्रबन्ध में मजदूरों को असन्तोष, मिल के बन्द हो जाने के कारण से राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को उपरोक्त कानून के अन्तर्गत सुझाव दिया था। उसकी अवधि १५ मई,६५ को समाप्त

(श्री भीखाभाई)

हो रही है और इस अवधि के बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इस निर्णय के उपरान्त यही निश्चय संभव हो सकता था कि इस मिल को रिलीफ अन्डरटेकिंग एक्ट के अन्तर्गत घोषित कराया गया और श्रमिकों की जितनी वाजिब मांग समय समय पर सामने आती रही है उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। और श्रमिक कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये गये। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं मेवाड़ टैक्सटाइल मिल में श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदार बनाने के लिये जोइन्ट मैनेजमेंट कौन्सिल का निर्माण हो चुका है जिसमें श्रमिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं इस मिल के प्रबन्ध के लिये एक सलाहकार समिति का निर्माण किया गया जिसमें श्रमिक नेता, श्री रमेशचन्द्र व्यास एम० पी० भी उसमें शरीक हैं। इसके अलावा सदन के अन्दर कई बार इसके बारे में प्रश्न उठाये गये। मैं मानता हूं श्रमिकों पर रिलीफ अन्डरटेकिंग एक्ट के प्रोवीजन्स के अन्तर्गत श्रमिकों के कानून उन पर लागू नहीं होते। मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रमिक कानून के पीछे एक बहुत बड़ी भावना होती है तृदलीय भावना है उसके अनुसार हम कोड ऑफ कन्डक्ट कोड ऑफ डिसिप्लिन इन्डस्ट्रियल ट्रस्ट रिज़ोल्यूशन को इसी प्रकार के अन्य स्टेन्डिंग ऑर्डर्स जितनी भी चीजें हैं उनका कानूनी रूप ले लिया वास्तविक रूप से प्रयोग हुआ है।

अध्यक्ष महोदद, मैं निवेदय करना चाहता हूं, सदन में जिन माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है वे बहुत सक्रिय रहे हैं प्रारम्भ से ही, जबकि शुरू में इनके साथी मजदूर सभा के प्रश्न लेकर काफी एजीटेशन किया गया वे इस सदन में साक्षी हैं उसमें किस प्रकार का तूफान लाये, बाद में तूफान समाप्त हो गया। आज लगभग दो-तीन साल से देख रहे हैं, कोई तूफान नहीं किया सिवाय स्थगन-प्रस्ताव आदि देने के।

लगातार दो वर्षों से बोनस मिलता रहा है। इसलिये निवेदन करता हूं कि राज्य के हाथ में आने के बाद इस मिल का बराबर विकास होता जा रहा है।

जहां तक मजदूरों का सवाल है तो जो भावना श्रमिक कानूनों की है उसका बराबर हमारे विभाग के द्वारा मेरे द्वारा पालन किया जाता रहा है और समय समय पर हमने उनको राहत दी है।

अब जो यह कहा गया कि छः मज़दूर जो काम पर नहीं गये ट्रेनिंग में गये तो उनको बराबर उस समय का पैसा दिया गया है। ट्रेनिंग पीरियड की तनख्वाह दी गई है। तो जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा कहा गया कि श्रमिकों पर जुल्म हो रहा है यह हो रहा है वह हो रहा है; यह गलत बात है। अगर इन्डस्ट्री रहेगी तो मजदूर रहेंगे और मजदूरों का बराबर पेट भरेगा और इन्डस्ट्री कमावेगी तो बराबर उनको भी मिलता रहेगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

Page No 50

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि श्रम मन्त्री महोदय ने बयान दिया है, अब जैसा उन्होंने कहा है कि मजदूरों के लिये सब सुविधाएं कर दी गई हैं और जैसा वे कह रहे हैं मिल की हालत बहुत अच्छी हो गई है...

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : हो रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसकी जरूरत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस रिलीफ अन्डरटेकिंग एक्ट की मयाद १५ मई, ६५ तक बढ़ाई है जो आज के एक महीने बाद करीब समाप्त होने वाली है तो आप उसकी मयाद अभी जब सदन चल रहा है तो उसमें और बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त क्यों नहीं कर लेते अगर उसको बढ़ाना ही चाहते हैं तो? अगर अभी नहीं ली जावेगी सदन से तो फिर वही काला कानून आर्डिनेन्स के नाम से जो पहले लागू किया था फिर उसके लागू करने का शक है। आप बोनस की बात करते हैं और सुविधाएं देने की बात करते हैं! पर बहुत से ऐसे मामले जो आज भी हमारे इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में पांच साल पहले के चल रहे हैं और वे पेंडिंग में पड़े हैं क्योंकि रिलीफ अन्डर टेकिंग एक्ट लागू है। उनका सिर्फ फैसला लिखना बाकी है ३३ मुकद्दमों के। इससे पांच साल से श्रमिकों को नुकसान हो रहा है क्योंकि शायद वे फैसले उनके पक्ष में भी निकल सकते हैं। उनको हटाया गया है। वापिस रखा जा सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य-मंत्री): आपका उद्देश्य यह है कि कन्ट्रोल से इस मिल को छोड़ दिया जावे?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नहीं, यह कतई नहीं है। मजदूरों को रिलीफ अन्डरटेकिंग एक्ट लागू करके उससे रिलीफ दिया जावे, यह चाहते हैं। सरकार के कब्जे में मिल रहे, इसकी तो सिफारिश करते हैं, पर रहने के साथ साथ मजदूरों पर काला कानून लागू कर रखा है उससे रिलीफ दिलाने की बात कर रहा हूं।

इसके साथ ही साथ जैसे अभी श्रम मंत्री ने कहा कि एक स्थगन-प्रस्ताव मैंने दिया था आज जैसा कि मुख्य मंत्री ने इस सदन में एमर्जेन्सी और पाकिस्तान के बोर्डर की बात को लेकर कहा, मैं कहना चाहता हूं कि वाच एण्ड वार्ड के लोग हैं उनको हमने होम गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिए इजाजत दी, गये साल भी एक महीने की ट्रेनिंग के लिये गये। तब पुलिस विभाग ने २) रोज उनको देने की घोषणा की। जितने दिन वहां रहे उतने दिन की तनख्वाह दी गई। पर इस साल १५ रोज पहले जो एक हफ्ते के लिये होम गार्ड की ट्रेनिंग में भेजे गये तो उनको न तो २) दिये गये न मिल की तरफ से सात दिन की तनख्वाह दी गई; बल्कि अपने इस सात दिन का वेतन मांगने गये तो ऑफिस से धक्का देकर बाहर निकलवा दिया और कहा गया कि तुमको यह पैसा नहीं दिया जावेगा।

यही नहीं, प्रेमसिंह नामक वाच एण्ड वार्ड को तो सस्पेण्ड भी कर दिया गया। उसका यह सस्पेन्शन का ऑर्डर आज भी मेरे पास

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

है। ३०-३-६५ को यह दिया गया और वह भी सिक्योरिटी अफसर की ओर से दिया गया है। उसको कोई जब कि अधिकार नहीं है किसी भी आदमी को या मजदूर को सस्पेन्ड करने का............

श्री भीखाभाई : सस्पेन्शन के क्या कारण हैं, बता दीजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसे पिछले साल सरकार से २) प्रति दिन मिला, वह भी इस बार मिलना चाहिये और मिल से सात दिन का पहले की तरह वेतन मिलना चाहिये, इस मांग को लेकर जब वे वहां गये तो उनको कहा गया कि वह यहां से मिलने वाले वेतन से कम नहीं था और उससे अधिक कोई नुकसान नहीं हुआ है इसलिये जब आपकी मांग को उचित नहीं बताया तो आपने कहा कि नौकरी नहीं करेंगे इत्यादि और अभद्रता से पेश आये तो दुराचरण होता है। अतः इस दुराचरण के लिये क्यों नहीं आपको सेवा से मुक्त कर दिया जावे, आप अपना स्पष्टीकरण पेश करें और दौराने जांच आप सस्पेण्ड रखे जावेंगे। यह ३०-३-६५ का आॅर्डर है उनका।

इसमें यह कहीं नहीं कहा कि कौनसा दुराचरण है जो दुराचरण की व्याख्या में आता हो। यह प्रमाण है। यह पत्र है। और यह टैक्सटाइल मिल के लैटर हैड पर लिखा गया है। एक बात कहना चाहता हूं। प्रेमसिंह को सस्पेण्ड क्यों किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : इन्डिविजुअल केसेज़ यहां पहले नोटिस में लाये होते तो We would have gathered information.

पर इस स्टेज पर क्या जवाब दे सकते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय मन्त्रीजी देर से आये हैं। यह इन्डस्ट्री का नहीं, लेबर का मामला चल रहा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह मालूम है कि डेढ़ पेज का टाइप शुदा स्थगन-प्रस्ताव किया गया है और उसकी नकल मुख्य मंत्रीजी को भी दी है जिसमें ये सारे फैक्ट्स हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : कौन से स्थगन-प्रस्ताव में है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : लेबर का मामला चल रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : उस स्थगन-प्रस्ताव में तो वर्णन कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (श्री ढाबरिया से) आप अपना समाप्त कर लें जो कुछ कहना है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने भी दिया है। उन्होंने भी दिया है। आप इसको और देख लीजिये।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस कानून को वहां भी लागू करने का आश्वासन दिया जावे।

Page No 52

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

दूसरी बात यह है कि श्रम विभाग की डिमाण्ड जिस वक्त रखी गई थी उस दिन मैंने एक प्रश्न यह उठाया था कि क्या इस टैक्सटाइल मिल के मजदूरों को भी जैसा राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में डिक्लेर किया ५) रु० जो इन्टेरिम पीरियड में बढ़ाने की सिफारिश की थी, वह मिलेगा या नहीं। तो श्रम मंत्री ने जल्दी में खड़े होकर कह दिया कि यह वहां दिया गया है। पर मैं आज भी चैलेन्ज करता हूं कि वह आज दिन तक भी उनको नहीं दिया गया है। तो इसका भी आश्वासन दिया जावे कि यह उनको भी दिया जावेगा। जिस तारीख से टैक्सटाइल मिल वालों को दूसरों को दिया गया उसी तारीख से आज दिन तक का उनको भी ५) के हिसाब से भुगतान कराया जावेगा।

(१ भ प)

मैं, माननीय अध्यक्ष, यह कहना चाहता हूं कि जो प्रकाशक महोदय हैं उनका व्यवहार इन वाच एण्ड वार्ड के लोगों के साथ इसलिए भी बुरा है कि आज उनको जो मकान बन रहा है उनके खुद का यह एक बहुत जरूरी बात है जो मैं कहना चाहता हूं चाहे वह अपने पैसों से मिल के अन्दर मकान बनाते हों लेकिन जब उस सामान को मिल के बाहर निकालते है तो गेट पास की जरूरत पड़ती है और यह वॉच वाण्ड वार्ड के लोग पहरा लगाते हैं और जब वह गेटपास मांगते हैं तो उनको सस्पेन्ड करने की हरकत और दूसरी हरकतें करके उनसे बदला लिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितना आपने किया है वह अच्छा काम किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं लेकिन जो कुछ मैंने कमियां बताई हैं उसको आप कर दें, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और अगर इसका आप यहां पर आश्वासन देंगे और कहेंगे तो मैं उसके भी इन एडवान्स आश्वासन का धन्यवाद देने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

आप थोड़ा संक्षेप में बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा टैक्टाइल मिल के सम्बन्ध में सरकार ने जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन एक्ट के तहत उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर उसका चलाना तय किया। इसका तमाम मजदूरों ने और मजदूर संगठनों ने स्वागत किया था, परन्तु उसको आपने हाथ में लेने के बाद रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट के जरिये जो लेबर लॉज से वहां के मजदूरों को वंचित किया तो उस समय भी आम तौर पर तमाम मजदूरों ने भी और जनतांत्रिक लोगों ने इस चीज का विरोध किया था कि आप लेबर लॉज़ को केवल इसलिए कि सरकार उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले रही है उससे वंचित न करें। उस समय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि मिल की चूंकि इकोनोमिक हालत अच्छी नहीं है, उसका सुधार करके चलानी है, अगर उसमें कुछ विशेष तरीके के कानून नहीं लगायेंगे तो मजदूर ही बेरोजगार हो जायेंगे और इसलिए बावजूद मजदूरों के विरोध करने के सरकार ने कानून को लागू किया। अध्यक्ष महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अब उस बात को लगभग ५ वर्ष बीतने वाले हैं और उस एक्ट की अवधि भी, जिस अवधि के लिए वह लागू किया गया था, वह १५ मई को समाप्त होने वाली है ।

अब प्रश्न यह है कि हम यह चाहते हैं कि इस पीरियड में सरकार ने जो उसका प्रबन्ध किया उससे निश्चित रूप से मिल की हालत अच्छी हुई है, मिल के ऊपर जो कर्जा था वह भी काफी बड़ी मात्रा में चुक गया है और मिल निश्चित रूप से, मैं यह कह सकता हूँ कि उसमें जो कुछ कर्जा दिखाया गया है वह भी वास्तविक रूप से नहीं है और मिल को मुनाफा है । लेकिन उसमें कुछ इस तरह की खामियां रही हैं जिससे मालूम होता है कि उसमें अनावश्यक रूप से खर्चा बढ़ाया गया । उसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बात का जो गवर्नमेन्ट ने क्लेम किया उसको मैं खुद स्वीकार करता हूँ । मिल की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, उसका बोनस वगैरह भी दिया गया है; इसलिए इस बात की और दलील की जाती है तब भी सरकार ने यह कह कर कि मिल की आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए उन्होंने लेबर लॉज़ से उनको डिप्राइव करने के लिए यह एक नया कानून लगाया था । अब चूंकि मिल कन्ट्रोल में आने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया है तो फिर उस पर उन लेबर लॉज़ से वहां लेबर को डिप्राइव करना अनुचित है, बल्कि इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । मैं समझता हूं कि सरकार यह तो क्लेम करती नहीं कि वह प्रबन्ध तब ही कर सकती है जब कि लेबर लॉज़ उनके ऊपर लागू नहीं हों । अब उस कारखाने की स्थिति ऐसी मानी जानी चाहिए जिस तरह से और राजकीय क्षेत्र में दूसरे उद्योग चलते हैं और उनके ऊपर जैसे लेबर लॉज़ लागू होते हैं और दूसरे कानून लागू होते हैं, उसी तरह से वैसी सुविधाओं को चाहे वह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो या और कानून हो वह उसी तरह से लागू होने चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस दौरान में जो इस कारखाने में इम्प्रूवमेंट हुए वे जो पुराने मालिक थे अनापशनाप उसके अन्दर खर्चा करते थे या मिसमैनेजमेंट था या उसका हिसाब-किताब रखने में गड़बड़ियां करते थे और उसका मुनाफा जो वास्तव में होता था उसको छिपा कर लेबर का शोषण करने की कोशिश करते थे और इसमें सरकार ने अपने प्रबंध में लेने के बाद इसमें सुधार अवश्य हुआ; लेकिन जो आदतें पुराने शासक की थीं वह अभी भी नये प्रशासन नियुक्त होने के बाद भी, जब नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, यह सरकार भी फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म से बाज नहीं आई और अभी भी अपने लोगों को घुसेड़ने में लगी हुई है । × × × × ×

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर...........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह हो कि माननीय सदस्य इस तरह से...........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर................

श्री रामानन्द अग्रवाल: ऐब करना

× × × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

छोड़ें । बजाय पोइन्ट आॅफ आॅर्डर उठाकर इस सदन का समय खराब करने के अपनी हेराफेरी करने की आदत को छोड़ें तो अच्छा होगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पोइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर...............

(घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके............

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता । अध्यक्ष महोदय, यहां की जो प्रथा रही है वह यह है कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हों या और कहीं हों और जो यहां नहीं है और जवाब जो नहीं दे सकते, उनके बारे में इस प्रकार की चर्चा करना उचित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौन से रूल में लिखा है, बता दें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से रूल मे लिखा है ? कल तो आप जबरदस्ती लोगों पर आरोप लगाते थे । अखबारों का नाम लेकर आरोप लगाते थे । अखबारों के अन्दर वह नहीं था, उस बात को डिफेन्ड किया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : × × × × तो आपकी एजेन्सी का दोष हो गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य (श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा), आपका पोइन्ट आॅफ आॅर्डर क्या है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पोइन्ट आॅफ आॅर्डर यह है कि यहां पर उन लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता कि जो लोग यहां पर जवाब नहीं दे सकते । उसमें सरकार भी चुप रहे और ये कुछ कहे जायें और बाहर जो इज्जत वाले हैं उनके नाम इस तरह से लिये जाने नहीं चाहिये । आपने कई दफा इसको पहले भी कहा है ।

श्री भैरोंसिंह : यह पोइन्ट आॅफ आर्डर तो नहीं पोइन्ट आॅफ मेनीफेस्टो जरूर है, मेनीफेस्टो इस तरह है कि कांग्रेस पार्टी के सारे वेटों को लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : अभी माननीय श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने जो बात कही वह उचित नहीं थी, कई कारणों से उचित नहीं थी । पहले तो इस सदन में ऐसी व्यवस्था रही है कि कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगायें तो उसकी पूर्व सूचना सरकार को दें ताकि उसका निराकरण हो सके और व्यक्तिगत आरोप जो कि मेम्बर आॅफ पार्लियामेंट हैं और इस तरह आरोप लगाना और यह कहना कि × × × × ये दोनों कार्यवाही में से निकाल दिये जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : एक बात तो आनी चाहिये कि रामानन्द जी का तो इतना तो बड़ा लड़का ही नहीं है कि जो कालटेक्स में नौकरी करे । लड़के के लिए वे तरस रहे हैं ।

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

Page No 55

श्री अध्यक्ष : आपकी तरह......

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि गवर्नमेंट इस बात पर विचार करे क्योंकि १५ मई नजदीक आने वाली है, वह एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रखे। लेकिन साथ में इस रिलीफ अण्डरटेकिंग की उस फैक्टरी पर लागू नहीं करें ताकि इसके रिजल्ट और भी बेहतर आयेंगे वर्ना इसका मतलब यह होगा कि गवर्नमेन्ट यह कहे कि रिलीफ अण्डरटेकिंग लगाना जरूरी है जो आपके एफर्ट्स कोड ऑफ कन्डेक्ट के जरिये जो आप क्लेम करते रहते हैं ठीक तरह से लेबर ने बिहेव किया है, तो आपके खुद के क्लेम में आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरीके से लेबर ने बिहेवियर दिखाया है उसकी बिना पर आपको यह और भी गुंजाइश पैदा हो गई है कि आप रिलीफ अण्डरटेकिंग को उनके सिर पर नहीं थोपें। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन-प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया है और जिसके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरह से आकर्षित किया गया कि यह जो रिलीफ अण्डरटेकिंग लग रहा है उसकी जो मयाद १५ मई को खत्म हो रही है उसको वापिस लागू नहीं किया जाये; इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अगर वे टैक्सटाइल के इतिहास को देखें तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से जो सूती मिल मजदूर सभा की यूनियन थी उसमें वहां के सेठ को लेकर किस प्रकार से मजदूरों का शोषण हो रहा है। इस मिल में बहुत घाटा हुआ और जब राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का ध्यान आकर्षित किया गया और उसके जरिये से जो राज्य सरकार ने और सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने कब्जे में लेकर और जिस प्रकार से इसका ५ साल से मैनेजमेंट किया और इस घाटे को कम किया है, वह सब आपके सामने है। अभी एक माननीय सदस्य ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि आज राज्य सरकार के तहत में यह चल रहा है, उसका तो वे खुद स्वागत करते हैं......

(१·२० म·प·)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो वहां की समस्याएं थीं, मजदूरी बढ़ाने का सवाल था, जो बोनस देने का सवाल था तो इस प्रश्न को जिस प्रकार हल किया गया है वह बड़ा ही प्रशंसनीय है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का पैसा चुक गया है, घाटे में नहीं है, लोन उस पर नहीं है, यह कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिल में बहुत बड़ा घाटा है और उसकी पूर्ति करनी है। जैसा कि पहले भी जवाब मिला कि मजदूर सभा ने सेठ से मिल कर मजदूरों का शोषण करवाया, अगर इस अन्डर्टेकिग को हटा देंगे तो उसके ऊपर जो मुकदमे करेंगे और यह मैनेजमेंट मुकदमों में फंसेगा तो जिस प्रकार की राहत मजदूरों को मिलनी चाहिये वैसी नहीं मिल सकेगी, जब कि मैनेजमेंटने मजदूरों को मैनेजमेंट में शामिल कर दिया है। वहां पर जो एक कमेटी बनी हुई है तो वहां पर सब मजदूरों की कठिनाइयां

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जितनी होती हैं वे हल होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ध्यान आकर्षित किया गया है कि रिलीफ अन्डर-टेकिंग के तहत इस मिल को ले लिया गया है उसको हटा दिया जाय। इस प्रस्ताव को मान कर उसको हटा देंगे तो जिस तरह की व्यवस्था इस वक्त चल रही है और घाटे की पूर्ति की जा रही है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हो जायेंगी और जो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में समन्वय चल रहा है और समझौते के तरीके से जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में बाधा पड़ेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि घाटे की पूर्ति नहीं होतब तक यह व्यवस्था कायम रखी जाय।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि इस मिल की हालत, जब सरकार ने लिया था, उस वक्त क्या थी ? यह मिल बिल्कुल बन्द हो गया था और जितने भी मजदूर वहां थे वे बेरोजगार हो गये थे। और भीलवाड़े के अन्दर काफी कपास पैदा होता है और वहां पर कारखाने में वह कपास नहीं आता था और इससे वहां के काश्तकारों को काफी नुकसान होता था। उन सारी चीजों को देखने के बाद भारत सरकार ने एक्ट के तहत में इस मिल को लिया। मिल के ऊपर फाइनेन्शियल लाएबिलिटीज़ काफी थीं। उन लाएबिलिटीज़ को देखते हुए इस कानून का एक्जेम्पशन लिया। आप लोगों ने जो कुछ कहा है यहां पर उसमें आपने यह झलक देने की कोशिश की है कि मजदूरों को लीगल प्रोसीडिंग करने की इजाजत नहीं है। इस एक्ट के तहत किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग करने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है ? अगर आज इजाजत दे दी जाती है तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं तो सरकार का जितना रुपया है वह मिल में नहीं लगेगा और वह क्रेडिटर्स को चुकाने में लग जायेगा। इस वास्ते इस लॉ के तहत कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इस मिल के खिलाफ जब तक वह इस रेग्युलेशन के नीचे है, एक्ट के नीचे है, नहीं ली जा सकती। यह १५-५-६५ तक है और यह भारत सरकार के पास मामला विचाराधीन है और जैसी भी स्थिति होगी उसके ऊपर वह निर्णय करेंगे।

रहा इस एक्ट का सवाल। तो अभी तक हम यह महसूस करते हैं कि मिल की हालत अभी भी ठीक नहीं है। इस वास्ते राज्य सरकार को इस एक्ट के तहत फिर इस मिल को लीगल प्रोसीडिंग से बाहर रखना पड़ेगा।

रह गया मजदूरों का सवाल, तो हर तरह से यह कोशिश की जाती है कि मजदूरों को जो भी उनकी उचित मांगें हैं उन उचित मांगों को लीगली तो नहीं, लेकिन और तरीकों से उनकी दिक्कतों को मिटाया जाय, और जैसा कि मंत्रीजी ने कहा कि जितनी बातें आती हैं तो अभी तक तो ऐसा टंटा नहीं फंसा। वहां पर जोइंट मैनेजमेंट कौन्सिल है और एक तरह से वह एक आइडियल मिल बन गया है जिसमें कि मजदूरों के हित सेफ हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एक मालिक के हिसाब से उनका पोइंट ऑफ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

व्यू बतलाया गया, लेकिन लेबर मिनिस्टर का क्या व्यू है उसको हम जानना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोई डिस्प्यूट तो नहीं है।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य जो बनेड़ा से आते हैं उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया है कि राज्य सरकार या भारत सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था उस मिल को लेकर की है वह सराहनीय है। मैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ।

मजदूरों के का काम जो यहां पर सवाल उठाया गया है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वक्त ४-५ साल के अन्दर जब हम इसको लिए हुए बैठे हैं, तो सिर्फ हिन्द मजदूर सभा की ओर से यहां कई प्रश्न उठे, मजदूरों की समस्याएं लेकर श्रम कानून के मुतल्लिक, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा उस वक्त बराबर सक्रिय रूप से श्रम विभाग की ओर से कार्यवाही होती रही। मैं मानता हूं, यहां पर जैसा कि उद्योग मंत्रीजी ने बताया अभी कि उद्योग की रक्षा के लिए और आज इस उद्योग की जैसी स्थिति थी, जिस प्रकार इसके अन्दर क्षति पहुंची हुई थी, जिस प्रकार लाएबिलिटी थी उसको देखते हुए जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, तो जैसा कि मैंने कहा कि "न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी"; अगर इन्डस्ट्री नहीं रही तो मजदूर नहीं रहेगा······

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस थ्योरी को बदलें। पुरानी चीजों को छोड़ दें। श्रम मंत्री जी यह कह कर एक तरह से श्रम की बहुत बड़ी तौहीन करते हैं कि इन्डस्ट्री नहीं रहेगी तो मजदूर नहीं रहेगा। असल बात तो यह है कि मजदूर नहीं रहेगा तो इन्डस्ट्री नहीं रहेगी। आप श्रम मंत्री होते हुए श्रम के महत्व को घटाते हैं और बार-बार ऐसा करते हैं। यह उनके लिए शर्म की बात है।

श्री भीखाभाई : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य जो अलवर से आते हैं······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : उपाध्यक्षजी, मेरा एक एतराज है······

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको कह लेने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य बार-बार रामानन्दजी को सेठ कहते हैं तो या तो लाख या दो लाख भुगता दें उनको सेठ बनाने के लिए या उनका जो कमाया हुआ है उसका ५० हजार रुपया इनको दे दें।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य सेठ तो जन्मजात हैं। यह खुशी है कि वे मजदूरों की पैरवी करने लगे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो कांग्रेस के गरीब से गरीब सदस्य से अपनी प्रोपर्टी बदलने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! आर्डर प्लीज !!

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सबसे पहले सुखाड़िया जी से बदल लें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय रामानन्दजी के बारे में आप बाद में ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लेबर मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, मैं यह फील कर रहा हूँ कि यह उनके कॉम्पीटेन्स में नहीं है कि ये जवाब दे दें और न इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर ही जवाब दे सकते हैं। ये कुछ मसले ऐसे हैं कि जब तक मुख्य मंत्रीजी अपना मानस नहीं बना लें तब तक इनका समाधान नहीं हो सकता, इसलिये हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनका इन्टेन्शन है वह बता दें, उनका मत है वह सामने रखें। उद्योग मंत्रीजी ने कहा कि कटौती आयेगी, लेनदार आयेंगे, हम यह चाहते हैं कि लेनदार आवें, रिलीफ इन्डेंटेडनेस चले न चले; लेकिन यह तो ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट का प्रश्न है; किसी के पैसे काट लिये जायं, किसी की तनख्वाह काट ली जाय, किसी की छुट्टी का झगड़ा, किसी का रेफरेन्स का झगड़ा। ये झगड़े लेबर कोर्ट के सामने जाने चाहियें, ट्रिब्यूनल के सामने जाने की इजाजत लेबर को मिलनी चाहिये। जब तक मुख्य मंत्रीजी इस बारे में अपना मानस नहीं बना लेंगे तब तक श्रम मंत्रीजी बेकार हमारा समय ले रहे है। उद्योग मंत्रीजी को तो पता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि ध्यान आकर्षण के प्रश्न पर अधिक डिबेट नहीं होनी चाहिये, काफी प्रकाश डाला चुका है; और भी प्रकाश डालने की आवश्यकता हो तो दूसरे तरीके से इसको उठाया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय को यहीं पर समाप्त करके, दूसरा आगे का कार्य शुरू करने दिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चीफ मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद हैं, वे इससे वाकिफ भी हैं, रोज भीलवाड़ा जाते हैं, इनको तो मालूम ही क्या है कि भीलवाड़ा की क्या परिस्थिति है; वे इस पर कुछ प्रकाश डालें तो अच्छा हो।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ५) रुपये इन्टेरिम देने के लिये श्रम मंत्रीजी ने कहा था कि दे दिये गये हैं और मैं कहता हूँ कि नहीं दिये, मैंने पूछा है नहीं दिये है। अब देने की नीयत है या नहीं, इसकी घोषणा कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) इस समय इस मिल को १५ मई के बाद राज्य सरकार के कंट्रोल में आगे चलाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को लिख कर भेज दिया है और आगे भी इसे कंटिन्यु करना चाहते हैं, अभी नोर्मल कंडीशन्स आ गई हों, ऐसा मान कर नहीं चला जाना चाहिये। मैं समझता हूँ, १५ मई से आगे चलाने के सम्बन्ध में यदि उससे पूर्व इसका नोटिफिकेशन जब निकल जाता है तो जो मैनेजमेन्ट इस वक्त कार्य कर रहा है उनके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

साथ बातचीत करके जो श्रम कानून के सम्बन्ध में विशेष तौर से बात यहां कही गई है उस बारे में भी उस मौके पर विचार करना उपयुक्त होगा। इस मौके पर मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को भी यह मान कर चलना चाहिये कि वहां की विशेष परिस्थिति है, नोर्मल कंडीशन नहीं आई है इसको आगे कंटिन्यु करने के लिये हमने लिख कर एक्सटेन्शन के बारे में भेजा है। इस पर अभी अधिक वादविवाद करने से लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं, जितना कहा है वह पर्याप्त होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ५) रु० के बारे में क्या किया है ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने कहा था ५) रु० के बारे में। मुख्य मन्त्रीजी ने अपील निकाली थी, तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को निवेदन किया गया था कि बढ़ती ई महंगाई को देखते हुए ५) रु० अन्तरिम महगाई बढ़ा दी जाय। पर्टीकुलरली मेवाड़ टैक्सटाइल का सवाल है, उन्होंने अपील की थी वह इस प्रकार थी कि जो इन्डस्ट्री लिन्क्ड नहीं है, सेन्ट्रल वेज बोर्ड से, जो-जो लिन्क्ड हैं, जिस प्रकार इन्डेक्स नंबर बढ़ता जाता है उस प्रकार रुपये मिल जाते हैं। माननीय सदस्य ने कहा था कि मैंने कहा था ५) रु० उनको मिल गये, मेरा आशय यह था कि जनवरी में उनकी वेसिक पे थी ३४) रु० और मंहगाई भत्ता था २५); उसके बाद मंहगाई भत्ता बढ़ता है ६.४५, बाद में जाकर दिसम्बर ६४ में १३६ के अनुसार ११.५६ रु० मिले हैं; कुल मिलाकर ५) की वृद्धि, माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, इस प्रकार मिली है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काम चलाऊ समझौता खत्म हो चुका है, कहां ले जा रहे हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : श्रम मंत्री जी ने पहले कमिटमेंट किया था कि ५) दे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(१.३४ म. प.)

राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री भीमसिंह (उप-मन्त्री, सहकार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

राजस्थान नगर-सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६५

(पुरःस्थापन)

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये निवेदन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दौलतराम सारण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान जन सेवा आयोग का १३ वें प्रतिवेदन (१९६२-६३)

(विचार-विमर्श)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान जन सेवा आयोग के तेरहवें प्रतिवेदन (१ अप्रेल १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक) पर, जिसकी प्रति दिनांक २४ मार्च, १९६४ को सदन की मेज पर रखी गई थी, विचार किया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जन सेवा आयोग का तेरहवां प्रतिवेदन विचारार्थ सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। यह प्रतिवेदन सन् १९६२-६३ के विवरणों से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय, जन सेवा आयोग का प्रतिवेदन इस विधान सभा के कार्य-काल में दूसरी बार प्रस्तुत होने जा रहा है। दो वर्ष पूर्व बारहवां प्रतिवेदन सदन के समक्ष बहस के लिये प्रस्तुत हुआ था। सन् ५२ से लगा कर ६१ तक कितने प्रतिवेदन १० वर्षों के अन्दर प्रस्तुत हुए और कितने प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुए, यह निश्चित रूप से मैं नहीं निवेदन कर सकता लेकिन यह स्पष्ट है कि बारहवां प्रतिवेदन इस विधान सभा के समक्ष आया उससे पूर्व जो प्रतिवेदन थे वे पहले की दो विधान सभाओं के कार्यकाल में प्रस्तुत हुए होंगे और उन पर बहस हुई होगी। जिस अनुपात से और जिस रेट से यह प्रतिवेदन इस विधान सभा के कार्यकाल में बहस के लिये प्रस्तुत किये गये हैं उस अनुपात के अनुसार मैं इस अंदाज पर पहुंचता हूँ कि शायद यह प्रतिवेदन इस विधान सभा के कार्यकाल में आखिरी बार विचारार्थ प्रस्तुत हो रहा है। मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, साधारणतया यह परम आवश्यक है कि जन सेवा आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में इस सदन में सालाना उसी वर्ष विचार-विमर्श हो। जनतन्त्र के अन्दर जिस प्रकार न्यायालयों या जुडिशियरी की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रखना परम आवश्यक है, जिसके द्वारा जनता को न्याय मिल सकता है, निष्पक्ष न्याय मिलने की सुविधा उपलब्ध है उसी तरह से मैं यह परम आवश्यक समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रखना अत्यन्त आवश्यक है। यह होने से ही पब्लिक सर्वेन्ट्स के अपोइन्टमेन्ट्स, जन सेवा में नियुक्तियां, जो व्यक्ति नियुक्त हों, पब्लिक सर्वेन्ट्स के हित का संरक्षण हो, उस सम्बन्ध में विचार-विमर्श इस सदन में हो सके।

इस सदन के सम्माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि जनसेवा आयोग स्वतन्त्र रूप से और निष्पक्ष रूप से अपना कर्तव्य-पालन कर रहा है या नहीं, इस सम्बन्ध में विचार किया जाय या परामर्श किया जाए और प्रकाश डाला जाए। इस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कारण से भी मैं यह समझता हूँ कि जन सेवा आयोग की रिपोर्ट हर साल सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत होनी चाहिये ।

पब्लिक सर्वेन्ट्स के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों पर तरह तरह के प्रतिबन्ध हैं और नियमित रूप से उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है और साथ ही साथ सरकार की सेवाएं भी करनी पड़ती हैं उनके लिये ग्रीवेन्सेज सरकार तक पहुंचाने के रास्ते भी बहुत सीमित हैं । वह कोई पत्रिका का सहारा नहीं ले सकता या पत्रकार तक अपनी शिकायत नहीं पहुंचा सकता इसलिये यह और भी आवश्यक हो गया है कि जनसेवा आयोग निष्पक्ष रूप से अपना काम संपादित करे । मुझे यह कहना पड़ता है कि जन सेवा आयोग की निष्पक्षता परम आवश्यक है और जन सेवा आयोग का सम्पर्क राजस्थान सरकार के साथ इस तरह का होना चाहिये कि जिससे जन सेवक का संरक्षण हो । भूतपूर्व अध्यक्ष जो जन सेवा आयोग के थे उनकी आलोचना करने की इतनी गुंजायश रह जाती है कि माननीय चीफ मिनिस्टर के निकट संपर्क के व्यक्ति हैं उससे पहले उन्होंने राजस्थान में अपनी सेवाएं कीं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे । आज जन सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री नार्लीकर हैं और दूसरे सदस्य श्री आहूजा, श्री श्यामलाल और डा० वी. एल. रावत हैं; इनमें से श्री श्यामलाल और डॉ रावत राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के अवकाश प्राप्त सदस्य हैं । मैं समझता हूं कि ये राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर उस समय सेवा कर रहे थे जिस समय माननीय चीफ मिनिस्टर राजस्थान के राजस्व मन्त्री थे और इस नाते भी यह कहा जा सकता है कि वे मुख्य मन्त्री के विश्वास-पात्र व्यक्ति होंगे, हालांकि जाहिर में ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता लेकिन आलोचना की गुंजाइश इसमें अवश्य रहती है और बराबर इस सम्बन्ध में ऐसी आलोचनाएं हुई हैं; ऐसी आलोचना की गुंजाइश भविष्य में नहीं रहे, मैं समझता हूँ कि परम आवश्यक है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ऐसी परिस्थितियां फिर पैदा होने वाली हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गुंजाइश पैदा होती है और पैदा होती जा रही है और आइन्दा गुंजाइश पैदा नहीं हो, इस सम्बन्ध में मैं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को और माननीय मुख्य मन्त्री को संकेत करना चाहता हूं । रिपोर्ट मैंने पढ़ी और रिपोर्ट पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि संतोषजनक और निष्पक्ष रूप से काय नहीं चलता हो, यह संदेहप्रद विषय है । यह कल्पना ही नहीं है किन्तु रिपोर्ट देखने से स्पष्ट है कि यह आयोग अनुकूलता से अपना कार्य संपादन नहीं करता है । प्रतिवेदन के अन्त में जो उपसंहार (कन्क्लूजन) कमीशन ने दिया है उसको भी मैं सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाना चाहूंगा । यह उपसंहार इस प्रकार है :

"The Commission recognise that the Government may, where they are convinced that they have good reasons to do so differ with the opinion expressed by the Commission

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

and may not act in accordance with the advice tendered by them. They are, however, becoming increasingly conscious of the fact that, apart from genuine non-acceptance of the advice of the Commission, the Government Departments are developing a tendency to avoid a reference to the Commission, even where such a reference is indicated by the rules, or to render such a reference infructuous by delaying it or withholding relevant information over long periods or not acting in accordance with the advice of the Commission within a reasonable time. This is evident from the numerous cases of delays and irregularities shown under various heads in this report. The Commission hope that the Government will take immediate and effective steps to curb this tendency for the sake of the good name of the Government and that of the Commission."

मैं समझता हूं कि यह कमीशन और सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और कमीशन की उपयोगिता और प्रमाणिकता का भी प्रश्न है। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों का कार्य-काल भी तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। अगर वह कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक होगा तो उसमें भी यह संभावना है कि कई तरह के लाग-लपेट उत्पन्न हो सकते हैं और तीन वर्ष का समय है उस पर सरकार को पूर्ण रूपेण पाबन्दी करनी चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि हमारे इस विशाल देश में कोई योग्य व्यक्ति हमें मिल सकते हैं। यथा-संभव बाहर के व्यक्तियों को लाना चाहिये और बाहर के व्यक्ति यदि रेवेन्यू के सम्बन्ध में भी एक्सपीरियेन्स्ड हो, जैसे कि वर्तमान सदस्य हैं तो उसके साथ साथ जुडिशियरी का भी एक्सपीरियेन्स भी होना परम आवश्यक है। अगर हो, सकता है तो आई० सी. एस. के सदस्य पी. एस. सी. में हों तो सरकार की और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हो सकते हैं। आई. सी. एस, मैं मानता हूं कि अमर नहीं हैं, इट इज डाइंग और बहुत से आई. सी. एस. जो ऊंचे पदों पर सर्विस कर रहे हैं कुछ दिनों में रिटायर हो जावेंगे, उसके उत्तराधिकारी आई. ए. एस. हैं। उसके योग्य व्यक्ति हों तो आई. सी. एस. या आई. ए. एस. रेवेन्यू के सम्बन्ध में किसी मामले के रेवेन्यू वोर्ड के अवकाश प्राप्त व्यक्ति हों, तो उसके साथ रिचनेस को डाईवर्ट करने के लिये उसको पूर्णतया उत्तरदाई बनावे। मैं यह भी आवश्यक समझूंगा कि जुडिशियल एक्सपीरियेन्स से इन्वेस्ट किया जावे।

मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार आई. सी. एस. ओफिसरों को घृणा की दृष्टि से देखती है, चाहे नफरत की दृष्टि से देखती हो...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : ये सब प्रश्न कैसे खड़े हो रहे हैं कि आई. सी. एस. को सरकार नफरत की दृष्टि से देखती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आई. सी. एस. का प्रश्न जब भी हुआ तब भी यह केन्द्रीय सरकार के सामने रखा कि ये नहीं होने चाहिये क्योंकि आप जानते हैं कि यदि दबंग आदमी आवेगा तो सरकार के मंत्रियों से दबेगा नहीं। इसलिये आई. सी. एस. यहां पर नहीं आवे इसलिये आपने कहा कि आई. ए. एस. यहां पर मिले और इस तरह से आपने आई. सी. एस. ऑफिसरों को नहीं आने के लिये भरसक प्रयत्न किये।

तो मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमिशन का बिल्कुल स्वतन्त्र होना उतनी ही हद तक परमावश्यक है जिस हद तक कि चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के बीच का पारस्परिक सहयोग। चीफ मिनिस्टर की आज्ञा मानने वाला, चीफ मिनिस्टर के फुल कॉन्फिडेन्स वाला चीफ सेक्रेटरी होना परमावश्यक है, उतनी ही हद तक पब्लिक सर्विस कमिशन का सरकार से इन्डिपेन्डेन्ट होना परमावश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि पब्लिक सर्विस कमिशन की निष्पक्षता का प्रश्न है, यह आवश्यक है जिसके बारे में मैंने चर्चा की। इसके साथ ही साथ मैं देखता हूं कि आज कल के वातावरण में सिफारिश का तांता इतना बढ़ गया है कि सिफारिश के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता है। जरा सी बात पर एक सिफारिश, फिर दूसरी सिफारिश, फिर तीसरीसिफारिश और फिर चौथी सिफारिश। सिफारिशों पर सिफारिशें होती हैं और सिफारिशों के परिणाम आज आम लोगों के सामने हैं। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था सरकार द्वारा हो या पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा हो, इस सिफारिश के तांते को काटना, मैं समझता हूं परमावश्यक है और वह तभी कट सकता है जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य दबंग, निर्भीक और स्वतन्त्र हों।

इस आयोग के सम्बन्ध में खर्चा भी ज्यादा होता है। प्रस्तुत वर्ष में यानी नये वर्ष में १८००० रुपया विशेष खर्च हुआ, ६२-६३ में ४, १६, ५१३ रु० व्यय हुआ था ६१-६२ में ४, ०१, ६५३ रुपया व्यय हुआ। जिस तरह खर्चा विशेष हुआ उसी तरह आमदनी भी घटी है और मैं समझता हूं इसके साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन की उपयोगिता भी घटी है। मैंने जैसा निवेदन किया कि खर्च में १८ हजार रुपया बढ़ा उसी तरह आमदनी में १८ हजार रुपया तक घटा है और यहां घटौती का कारण बताया गया है कि आवेदन-पत्र कम प्राप्त हुए। यह आवेदन पत्र का कम प्राप्त होना इस बात का द्योतक है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती नहीं है, अपितु घटती है।

जब तक कि कार्यालय का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमिशन का कार्यालय अजमेर में रवीन्द्र मार्ग पर स्थित है। सरकार सम्भवतः नया कार्यालय बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है। मैं समझता हूं नया कार्यालय बनाना फिजूल खर्चा बढ़ाना है। और सरकार मितव्यता के ऊपर अगर ध्यान देगी तो यह नया कार्यालय कई लाख रुपया खर्च करके बनाना एक फिजूल खर्ची होगी। माना, यह कार्यालय आम सड़क पर स्थित है, ऐसी स्थिति में संभवतः आम सड़क पर नोइज, आवाज, आहट होती है, उसके द्वारा

Page No 64

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भवन में कई डिस्टर्बेन्स उपस्थित हो सकते हैं। पर मेरे ख्याल से कम खर्च से ऐसे डोर्स बनाये जायें जिससे आवाज भवन में कम आवे; तो कम खर्चे में सुचारु ढंग से यह व्यवस्था हो सकती है।

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चयन दो रूप में होता है। एक तो डाइरेक्ट रिक्रूटमेंटस इन्टर्व्यूस के द्वारा। सिलेक्शन में दो श्रेणी के लोग आते हैं, एक तो उम्मीदवारों में जो उत्तीर्ण उम्मीदवार सिलेक्ट किये जाते हैं और दूसरे जो लोग राज्य की सेवा में हैं वे भी सिलेक्शन में आते हैं। ६२-६३ में ३८८१ आवेदनपत्र प्राप्त हुए, जब कि ६१-६२ में ५००१ प्राप्त हुए थे। संख्या के घटने से प्रकट है कि परीक्षाओं में आस्था दिन-बदिन उम्मीदवारों की घटती जा रही है। परिणाम महीनों तक घोषित नहीं होते। केवल एक ही श्रेणी के परिणाम घोषित हुए हैं। जो परिणाम घोषित हुए हैं वह यू.डी.सीज़. यानी अपर डिविजन क्लर्कस के एग्जामिशन्स के रिजल्ट्स घोषित किये गये हैं।

यूनिवर्सिटीज भी दो-तीन महीनों में अपनी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतनी ढिलंगाई पब्लिक सर्विस कमिशन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में क्यों करता है ? मैं कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। न्यायपालिका में १८ स्थानों के लिये इम्तिहान की व्यवस्था की गई। ६०४ उम्मीदवार इम्तिहान में बैठे, लेकिन उसके परिणाम अभी तक घोषित नहीं किये गये। मेरे ख्याल में यह होनहार व्यक्तियों के भविष्य को धूमिल करना है। इसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है फ्रस्ट्रेशन कराने का उत्तम ढंग से पब्लिक सर्विस कमीशन तरीका पेश करे, तो यह खेद का विषय है। तो इस ढिलंगाई की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करता हूं। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि ढिलंगाई का आरोप में यों ही लगा देता हूं, पर मैं रखता वास्तविक रूप से हूं; जहां रेड टेपिज्म हैं, ढिलंगाई है तो उसे मैं रखता हूं। हमारा कर्तव्य है कि सरकार का ध्यान उस ओर अवश्य आकर्षित करें।

एक और उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा विविध पदों के सम्बन्ध में। ४४ स्थानों को भरने के लिये ६४२ उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र दिये, उनके परिणाम घोषित नहीं किये गये। मैं समझता हूं यह परिणाम घोषित नहीं करने का कारण पक्षपात हो सकता है और मेरे ख्याल में संभवतः पब्लिक सर्विस कमिशन का दब्बूपन भी हो सकता है। इसी रिपोर्ट में कोई भी उल्लेख इस बारे में नहीं है कि परीक्षाएं किस दिन कौनसी तारीख को ली गई। यह परम आवश्यक था कि रिपोर्ट में परीक्षाओं की तारीख दी जाती, नहीं देने जैसी भारी भूल पब्लिक सर्विस कमिशन की मानते हैं और किसी न किसी तरह भुलावा देने के लिये संभवतः यह तारीख नहीं दी गई है। इम्तिहान जून और जुलाई में हुए और ८ माह पश्चात् ३१ मार्च तक परिणाम घोषित नहीं किये गये और अब तक भी मैं समझता हूं, जहां तक मैं अनुमान करता हूं परिणाम घोषित नहीं किये गये हैं।

(२ म. प.)

अकाउन्टेन्ट्स, रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट्स और स्टेनोग्राफर (शीघ्र लेखक) के सम्बन्ध में

Page No 65

(महारवल श्री लक्ष्मणसिंह)

सिलेक्शन के लिए इम्तिहान की व्यवस्था की गई। आवेदन-पत्र मांगे गये। आवेदन पत्र प्राप्त हुए और अचानक ही सिलेक्शन के सर्विस रूल्स के अन्दर परिवर्तन करने की बात सूझी; उसके फलस्वरूप इम्तिहान को केन्सल किया गया। जो पैसा प्राप्त हुआ था आवेदन-पत्रों के जरिये से वह भी वापिस किया गया। मैं समझता हूं कि इस तरह की कार्यवाही पब्लिक सर्विस कमीशन की अदूरदर्शिता, अनुभव-शून्यता की द्योतक है।

लगभग दो हजार पदों के लिये विभिन्न विभागों के द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों के सिलेक्शन के लिये मांग पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजी गयी। ये अधिकांश रूप से टेक्निकल पोस्ट्स थीं। बाद में इस रिक्विजिशन को भी केन्सल किया और एडवर्टाइजमेन्ट निकाला। किस कारण से यह हुआ, यह भी समझ में नहीं आता। इसका विवरण परिशिष्ट ५ पर है। वह समयाभाव के कारण, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें विशेष रूप से मैं नहीं जाना चाहता। किन्तु निवेदन करूंगा कि १८७ केटेगरीज के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कैसे हुई, जब नियुक्ति ही इस सम्बन्ध में कोई नहीं की। जो व्यवस्था थी वह बिल्कुल केन्सल कर दी गयी तो इस बारे में भी मैं जानना चाहूंगा क्योंकि रिपोर्ट में कोई विवरण नहीं है। जो स्थान रिक्विजिशन के द्वारा भरने की व्यवस्था थी उनमें कुछेक स्थानों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि वे स्थान किस तरह के थे, तकनीकी स्थान।

Deputy Director (Economics) for Industrial Surveys. Deputy Director (Statistics) Industrial Surveys, Assistant Mining Engineer for Industries Department, Statistician for Industrial Surveys, Demonstrator in Anatomy for Medical Colleges, Research Assistant for Agriculture Department, Lecturer in Pharmacology & Pharmaceautical Chemist for Medical Department; आदि आदि।

डाइरेक्टर, समाज कल्याण विभाग ने एक इन्स्ट्रक्टर के लिये योग्य व्यक्ति सिलेक्ट करने के लिये आवेदन-पत्र भेजा। इस सम्बन्ध में कमीशन ने २६ जून, १६५७ को एक व्यक्ति का चयन (सिलेक्शन) किया और उसके अपोइन्टमेन्ट के लिये सिफारिश की। लेकिन सन् १६५६ तक इस सिफारिश के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। तब फिर २२ अगस्त, १६६१ को रिमाइन्डर भेजा गया और यह निवेदन किया गया कि उस व्यक्ति को अपोइन्टमेन्ट दिया जाय। इसके उत्तर में डाइरेक्टर ने २०-१०-६१ को लिखा कि उस व्यक्ति का सिलेक्शन जब होगा उस समय डाइरेक्टर का होना अनिवार्य था किन्तु......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रोफ ग्रोर्डर, सर, कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डाइरेक्टर का होना सिलेक्शन के समय अनिवार्य था। इसके उत्तर में फिर कमीशन ने ६-५-६२ को लिखा कि सिलेक्शन के समय

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

डाइरेक्टर मौजूद था । डाइरेक्टर की विद्यमानता में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन डाइरेक्टर की इच्छानुसार हुआ; किन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया । तब कमीशन ने अपोइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट को लिखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ । ३१-३-६१ तक उस इन्स्ट्रक्टर की नियुक्ति नहीं हुई और अब तक भी नहीं हुई हो, यह भी मैं नहीं कह सकता । कम से कम डाइरेक्टर, समाज कल्याण विभाग से यह पूछना तो आवश्यक था कि यह गोलमाल किस कारण और क्यों हुआ ?

एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की नियुक्ति होर्टिकल्चरिस्ट के स्थान पर की गई और करने के पश्चात् आयोग की अनुमति मांगी । आयोग ने उत्तर में यह निवेदन किया कि यह नियुक्ति रूल्स के विपरीत है, विरुद्ध है । होर्टिकल्चरिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सुपरिन्टेन्डेन्ट गार्डन्स् के काडर का हो । गवर्नमेन्ट ने यह लिखा कि उसके ऊपर कि अगर रूल्स विपरीत है तो रूल्स में परिवर्तन कर दिया जावेगा और उस व्यक्ति को जो अपोइन्टमेन्ट दिया है उसको उस अपोइन्टमेन्ट में कन्फर्म कर दिया जायगा । इस पर आयोग ने असहमति प्रकट की । और सरकार ने इसके उपरान्त भी उस होर्टिकल्चरिस्ट को अपने पद पर ज्यों का त्यों रख छोड़ा है । इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार एक फाल्स सेन्स ऑफ प्रेस्टिज के द्वारा अपनी प्रेस्टिज को स्थापित करना चाहती है । मैं समझता हूं कि सरकार की प्रेस्टिज पब्लिक सर्विस कमीशन की साउन्ड एडवाइस, परिपक्व राय को मानने के अन्दर विशेष बढ़ेगी ही, अपितु घटेगी नहीं ।

गवर्नमेन्ट ने सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ आर्कियोलोजी और म्युज़ियम विभाग की पोस्ट के लिए एडवर्टाइज़मेन्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट की । कमीशन ने एडवर्टाइज किया, लेकिन कोई सुयोग्य व्यक्ति आगे नहीं आने के कारण पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह सुझाव दिया, और जो उचित सुझाव था, कि एज के अन्दर रिलेक्सेशन किया जाय ताकि योग्य व्यक्ति भरती हो सके । यह सलाह नहीं मान कर क्युरेटर को सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर नियुक्त किया गया और यह भी उसके साथ सिफारिश की कि क्युरेटर ऑफिशियेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट का काम कर रहा है और देखा जाय वस्तु स्थिति में तो वह क्युरेटर महोदय नोन मैट्रिक हैं । आयोग ने, मैं समझता हूं, जोरदार शब्दों में यह कहा कि असल जगह क्युरेटर की है उसको उस जगह वापिस भेजा जाय, रिवर्ट किया जाय; उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई । सुपरिन्टेन्डेन्ट आर्कियोलोजी का पद, उपाध्यक्ष महोदय, एक योग्य व्यक्ति के लिये होना चाहिये । संस्कृत, प्राकृत, पाली आदि प्राचीन लिपि स्क्रिप्ट का ज्ञान उसको होना चाहिये । शिलालेख ताम्र-पत्र पढ़ने का उसको ज्ञान होना चाहिये । एक तरफ तो यह रूख सरकार का है कि नॉन मैट्रिक को ऊंचा स्थान दिया जाय और दूसरी तरफ सरकार का यह रुख है कि भूतपूर्व राज्यों के आर्कियोलोजी के एक्स्पर्ट्स को स्थान न दिया जाय । जोधपुर के एक आर्कियोलोजी के एक्स्पर्ट और विद्वान् श्री अक्षयकीर्ति

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

व्यास थे जो मेवाड़ में भी सुपरिन्टेन्डेन्ट आर्कियोलोजी थे। विलीनीकरण पर उनको स्थान तक नहीं दिया गया। डूंगरपुर में भूतपूर्व आर्कियोलोजी विभाग के श्री सूरजमल थे, जो मेरे ख्याल से अपनी ढंग के एक ही व्यक्ति थे लेकिन वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। संस्कृत और हिन्दी के प्रकान्ड विद्वान् थे और महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकरजी ओझा के हाथ के नीचे ही ट्रेनिंग पाये हुए थे और विलीनीकरण के ऊपर उनको लोअर डिविजन क्लर्क का स्थान दिया। उनको इस पर इतनी ग्लानि हुई कि त्यागपत्र दे दिया और कुछ ही दिनों के बाद मर गये। ऐसे व्यक्तियों को निष्पक्ष रूप से स्थान मिलता तो मेरे ख्याल में वे राजस्थान की सेवायें कर सकते थे। लेकिन निष्पक्षता से कोई भी वास्ता हो तभी तो यह व्यवस्था हो सकती है।

अन्त में मैं यह समझता हूं, जन सेवा आयोग की प्रतिष्ठा बढ़ाना सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ाना है और जनसेवा आयोग की प्रतिष्ठा घटाना जनतन्त्र की हत्या है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जन-सेवा आयोग के बारहवें प्रतिवेदन पर सदन में विचार हो रहा है। यह रिपोर्ट सन् १९६२-६३ की है और आज ६५ में इस रिपोर्ट पर बहस चल रही है। संविधान के अनुसार जन सेवा आयोग का प्रतिवेदन हर वर्ष राज्यपाल महोदय की सेवा में भेंट होना चाहिये और उस पर सरकार का इस संबंध में जो एक्स्प्लेनेशन है उसके साथ वह प्रतिवेदन इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। मैं ऐसा समझता हूं, इस सम्बन्ध में कहीं कुछ कमी है; या तो यह कमी सरकारी पक्ष की है या इस कमी का जिम्मेवार जन सेवा आयोग है। ६२-६३ की रिपोर्ट के बजाय आवश्यकता इस बात की थी कि हम ६३-६४ की रिपोर्ट पर बहस कर सकते और ६४-६५ की रिपोर्ट वर्ष के अन्त में प्रस्तुत कर दी जाती। इस प्रकार का बैंकलोग पिछला चला आ रहा है उसके लिये खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनसेवा आयोग का इस समय के सम्बन्ध में जो बैंकलोग रहा है अभी पूरा नहीं हो पाया है; जिसके कारण वास्तविक मसले इमीजियेटली पकड़ में आ सकें और इस सदन में किस प्रकार के विचार व्यक्त हो सकते हैं उसके बारे में मत प्रगट नहीं किया जा सकता; उसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि सरकार और जन सेवा आयोग के मध्य में जो बातें विवादास्पद रहती हैं उन विवादास्पद बातों में सदन अपना मत प्रगट नहीं कर सकता। सरकार आर्बीट्रेरिली डिसीजन लेती हैं। ऐसे डिसीज़न कई बार ऐसे होते हैं जिसका जन सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जन सेवा आयोग पर इस बात का दबाव डाला जावे कि वह समय रहते अपना प्रतिवेदन सरकार को दे, ताकि वे सदन के समक्ष समय पर प्रस्तुत कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रतिवेदन में देखा और देखने के पश्चात् कम से कम एक बात के लिये राजस्थान के मुख्य मन्त्री

Page No 68

(श्री भैरोंसिंह)

जी को बधाई देना चाहता हूं। आज तक शायद इस बात को तारीफ उनकी लोग करते हैं कि उन्होंने राजस्थान का विकास किया लेकिन आज मुझे मजबूर होकर यह तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस समय में कांग्रेस की भी बड़ी भारी सेवा की है। वह सेवा इस प्रकार की नहीं कि किसी अमुक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाय या अमुक व्यक्ति को प्रोमोट कर दिया जाय; बल्कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत बड़ी सेवा की है जिसके आधार पर राजस्थान की जनता को यह मानने के लिये मजबूर होना पड़ा, राजस्थान का नहीं नेशनल एन्थेम और कोई चीज नहीं गांधी टोपी है। इसका उल्लेख जन सेवा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया है। जन सेवा आयोग ने जिन लोगों को इन्टरव्यू में बुलाया, जिनका एक्जामिनेशन लिया गया उनके सामने एक प्रश्न रखा गया कि नेशनल एन्थेम क्या है? उन लोगों ने उत्तर दिया नेशनल एन्थेम हिन्दी स्क्रिप्ट और गांधी टोपी है। यह इस बात का सुबूत है कि आखिर जन मानस पर एक चीज तो बैठाने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय धुन क्या है, गांधी टोपी। यह हमारी शिक्षा का स्टेन्डर्ड बताती है। एक गांधी कैप के बारे में किस प्रकार बताया गया है, किस प्रकार का इतिहास बन रहा है; इसके पीछे किस प्रकार का इतिहास था, इसके डिटेल्स में गये बिना आखिर मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान के जन-मानस पर एक चीज जरूर बिठाई है और वह यह कि नेशनल एन्थेम गांधी कैप है। इससे हमारा विकास का अन्दाज हो जाना चाहिए। हम किन लोगों का एक्जामिनेशन करने जा रहे हैं, यही एक प्रश्न नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य मंत्री और सरकारी प्रवक्ता बराबर एक बात का प्रचार सदन में करते हैं और बाहर भी करते हैं और योजना आयोग के सामने भी करते होंगे कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा के विकास को लेकर काफी प्रयास और काफी बजट अलोकेशन्स होते हैं, शिक्षा की दृष्टि से काफी प्रगति हो रही है और अभी इस वर्ष १७ करोड़ का बजट शिक्षा के लिये रखा है।

हमारी सरकार स्कूलों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ा रही है, उसके बारे में आंकड़े देने में कभी भी चूक नहीं करती। जिस समय सरकार को यह कहा जाय शिक्षा का स्टेन्डर्ड गिर रहा है, लेकिन हमारी सरकार की ओर से यह प्रयास किया जाता है; इस प्रकार की स्थिति आज दिन नहीं लग रही है। उसका परिणाम यह है कि नेशनल एन्थेम की जगह गांधी टोपी कहा जाता है। अमृतसर के लिये कहा जाय पाकिस्तान की राजधानी, हरिके कहां है, बिहार में है; सरदार पटेल फर्स्ट एण्ड दी लास्ट गवर्नर। राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति ही क्या सरदार पटेल के जीवन से या उन्होंने रियासतों के एकीकरण के लिये जो कार्य किया उससे देश का प्रत्येक व्यक्ति परिचित होना चाहिये। दुर्भाग्य की बात है कि ग्रेजुएट्स इस बात को नहीं जानते कि सरदार पटेल कौन थे और क्या काम करते थे और उन्होंने क्या किया। उनके लिये कहा जाय कि वे फर्स्ट एण्ड दी लास्ट गवर्नर हैं तो यह हमारी शिक्षा पद्धति पर प्रतिकूल छाप है, इस चीज को हमें स्वीकार करके

Page No 69

(श्री भैरोंसिंह)

चलना पड़ेगा और इसके निराकरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

इस समय देश के सामने बड़ा भारी संकट है। भाषा के प्रश्न को लेकर कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां की मुख्य भाषा, राजभाषा, आम बोली की भाषा हिन्दी है । राजस्थान के लिये सौभाग्य की बात है कि यहां की भाषा शुरू से हिन्दी रही है । हमारे द्वारा हिन्दी भाषा को स्वीकार करने के उपरान्त भी हमारे यहां हिन्दी की प्रगति किस प्रकार हो रही है, इसकी प्रगति का मूल्यांकन केवल सरकारी दफ्तरों की फाइलों से नहीं कर सकते, यहां से निकलने वाली रिपोर्ट से नहीं कर सकते । मूल्यांकन करने के लिये हमें इस बात का विचार करना होगा कि जन सेवा आयोग के समक्ष जो व्यक्ति एक्जामिनेशन के लिये या इन्टरव्यू के लिये उपस्थित होता है उसका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है; उसके सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा किस प्रकार उपस्थित होती है, किन बाधाओं के कारण योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हो पाता । इस पर जब विचार करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि राजस्थान में हिन्दी भाषी लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना होगा कि जन सेवा आयोग का माध्यम हिन्दी होनी चाहिये या अंग्रेजी ! मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारा प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, इल्लिटरेसी का परसेन्टेज बाकी प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा है; इसके अलावा इनहेरीटेड बैकवर्डनेस के कारण अगर हिन्दी के बजाय अंग्रेजी को इन्टरव्यू का माध्यम बनाते हैं तो हिन्दी भाषी प्रदेश होने के बावजूद इस प्रदेश के लोगों को अंग्रेजी के प्रति मोह पैदा करना संभव नहीं होगा । स्वयं पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अंग्रेजी के संबन्ध में लोगों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, ग्रामर एक्स्प्लेनेशन आदि के तरीके याद नहीं । अंग्रेजी के आधार पर योग्यता में फर्क किया जाता है तो सही नहीं हो सकता । जो व्यक्ति अंग्रेजी में अपने भावों को व्यक्त न कर सकता हो, समझा नहीं सकता हो, उसका केवल अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता ।

मैं यह मान कर चलता हूं कि जब तक सर्विसेज़ में से इस अंग्रेजी के आकर्षण को समाप्त नहीं किया गया तो मान कर चलिये कि अंग्रेजी पढ़ने-पढ़ाने की इच्छा, अंग्रेजी के द्वारा साधन जुटाने की इच्छा, अंग्रेजी के द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करने की इच्छा में कमी नहीं होगी और जब जीवन-निर्वाह का सम्बन्ध अंग्रेजी से जुड़ेगा तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो अंग्रेजी को छोड़ कर हिन्दी सीखने की कोशिश करेगा या अपनी मातृभाषा में काम करने की चेष्टा करेगा ।

पी. एस. सी. ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है :

"Quite a few candidates interpreted the proverb, the beggars cannot be choosers."

इसका मतलब लिखा है :

(श्री भैरोंसिंह)

'To mean that in democracy beggars should not be given the right to choose representatives, because they have not the proper mental equipment; Beggars cannot be the choosers.'

तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों ने पी. एस. सी. के सामने निकाला,पोलिटिशियन्स के बारे में,हमारे बारे में निकाला है कि जो भी चुन कर आते हैं वे प्रतिनिधि ठीक प्रकार के नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मामूली प्रोवर्ब का उनको सही अर्थ नहीं आता।

दूसरा प्रोवर्ब जो था वह था :

"One shallow cannot make a summer"

इसका मतलब दिया है जो बताया गया :

"To mean that union is strength."

अब इससे हमारे ग्रेजुएटों का कितना ज्ञान होता है, उनको नोलेज क्या है, इसका पता लगता है। किस स्थिति में बनकर वे इन यूनीवर्सिटियों से निकलते हैं इसका पता इससे लगता है और यह भी पता लगता है कि इनका इस अंग्रेजी के प्रति किस प्रकार का अभ्यास है और किस प्रकार इसे अपनी भावना को व्यक्त करने का साधन और माध्यम मान कर हम चले हैं, इसका अन्दाज चलता है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है हिन्दी की। हिन्दी ने थोड़ी प्रगति की है, इसको मानकर चल रहे हैं। इस हालत में यदि राजस्थान की सरकार ने इन सारी स्थितियों में पी. एस. सी. के माध्यम के सम्बन्ध में यदि इस प्रकार का डिसीजन लिया तो मैं मान कर चलता हूं कि राजस्थान का नाम हिन्दी की प्रगति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा और बाकी की हिन्दी भाषा-भाषी स्टेटों में भी हमारी देखा-देखी जल्दी से आदेश निकलेंगे। हम इस माने में उन सबका नेतृत्व करेंगे। पर जब तक ये आदेश नहीं निकलते हैं तब तक भले ही आप हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कर लें, सक्यूलर निकाल दें, कुछ नहीं होने वाली है हिन्दी की प्रगति। जब तक सर्विस और जीवन-निर्वाह का अंग्रेजी साधन बनकर रहेगी तब तक अंग्रेजी हट नहीं सकती और जब तक यह हटेगी नहीं तब तक यह मान कर चलिये कि आप कितने ही आदेश निकालें कि हिन्दी में काम करो, हिन्दी का अभ्यास करो, वे सब बातें समझ में आने वाली नहीं हैं।

एक कारण और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में पिछड़ी जाति वर्ग काफी है। पचास लाख के करीबये शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। इनके बारे में बार बार सदन में भी शिकायतें की जाती हैं कि इनके लिये सर्विसेज में रिजर्वेशन रखा है, पर वह पूरा पड़ता नहीं। बार बार हरिजन सदस्यों की तरफ

(श्री भैरोंसिंह)

से और बाकी के सदस्यों की तरफ से भी शिकायत की जाती है नियुक्तियां उनको नहीं मिलतीं और सरकार यह बहाना लेकर बचने की कोशिश करती है कि उनमें मैट्रिकुलेट और ग्रेजुएट्स जरूर मिल जावेंगे; पर क्वालिफाइड स्टेन्डर्ड के अनुसार नहीं हैं। अब स्टेण्डर्ड का मापदण्ड हमारी सरकार ने या नियुक्ति करने वाली एजेन्सी ने या अधिकारी ने जो बना रक्खी है वह स्टेन्डर्ड है अंग्रेजी का और यह स्वाभाविक है, जैसे चैम्बरलेन ने कहा था कि बच्चा माता के दूध के साथ जन्म से ही अंग्रेजी का अभ्यास करता है और दूसरे हमारे पिछड़े क्षेत्र में बच्चा जिस भाषा का अभ्यास करता है वह राजस्थानी भाषा अधिक अच्छी तरह बोल सकता है; क्योंकि उसने जन्म के साथ माता दूध के साथ उसी का अभ्यास किया है, उसे अगर हम राजस्थानी भाषा से निकालना चाहें तो उससे मिलती-जुलती हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें वह निष्णात् थोड़े ही हो सकता है; पर उसके लिये यह कतई सम्भव नहीं कि वह अंग्रेजी में उसका मुकाबला कर ले जो जन्म के साथ अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करता है तो यह सम्भव नहीं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में और खास तौर से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के घरों में जन्म लेने वाले बच्चे उन जन्म से अंग्रेजी का अभ्यास करने वाले वर्ग के बच्चों का मुकाबला किसी भी इन्टरव्यू में अंग्रेजी के लिये कर सकें। हां, कोई एक्स्ट्रा इन्टेलीजेन्ट निकल जावे तो उसे अपवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर आम तौर पर नहीं किया जा सकता।

तो उनको नियुक्ति दी जावे तो इस दृष्टि से भी विचार करें तो इसके लिये माध्यम पी० एस० सी० की परीक्षाओं का हिन्दी में बनाना पड़ेगा। परीक्षाओं का माध्यम, शिक्षा का माध्यम, सब आपको हिन्दी में बनाना पड़ेगा। यह आपकी उनके प्रति सबसे बड़ी सेवा होगी, अगर आपने ऐसा किया तो।

इस पी० एस० सी० ने कन्ट्रोल इतना ही नहीं किया बल्कि मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार ने जो पिछले कई वर्षों से जिनको मान्यता दे रखी थी उन परीक्षाओं को भी रिकग्नाइज न करने की स्थिति पैदा की है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है पिछले वर्षों में अनेक राज्यों में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाएं, साहित्य रत्न विशारद थी, जो मान्यता प्राप्त है, उनको हमारी इन पी० एस० सी० ने मान्य नहीं किया। विद्या वाचस्पति की परीक्षा, जिसको काफी स्टेटों ने रिकग्नाइज कर रखा उसको इसने मान्यता नहीं दी। सरकार ने भी लिखा। पर पी० एस० सी० ने नहीं स्वीकार किया। इन सबसे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पी० एस० सी० एक प्रकार की इंगलिश माइन्डेड लोगों द्वारा कन्ट्रोल की जाने वाली बॉडी है। एक प्रकार की इंगलिश माइन्डेड अपोइन्टिंग एजेन्सी है।

यह हिन्दी की परीक्षाओं को मान्यता नहीं दे, डिप्लोमा और डिग्रीज को मान्यता नहीं दे जिनको बाकी के कम से कम चार प्रदेशों में मान्यता प्राप्त है; पर राजस्थान में उनको मान्यता नहीं दी गई। इससे

(श्री भैरोंसिंह)

स्पष्ट प्रतीत होता है कि आज की यह पी० एस० सी० अंग्रेजी को प्रोटेक्शन देती है। माध्यम अंग्रेजी को बना कर चलती है अपनी परीक्षाओं का। वह यह चाहती है कि केवल आदमी में अंग्रेजी का एक्सप्रेशन अच्छा हो, उसकी योग्यता अच्छी हो, बाकी कुछ भी न हो तो चलेगा। इस प्रकार की स्थिति आज वहां चल रही है। इसलिये आज यह आवश्यक हो गया है कि कुछ न कुछ निश्चित रूप से आगे बढ़ कर राजस्थान कुछ ऐसा करे कि बाकी के प्रदेशों को भी वह प्रेरणा का श्रोत बन जाय और वह हिन्दी की परीक्षाओं को इसके द्वारा पूर्ण मान्यता दिलावे। एक परीक्षा के आधार पर ही नहीं मान्यता दे, बल्कि योग्यता के लिये भी इस हिन्दी को मान्यता दे। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार सर्विसेज में भी ऐसी मान्यता दे। एक ग्रेजुएट मैट्रीकुलेट अंग्रेजी से करके आता है और दूसरा साहित्य रत्न करके आता है, दोनों में एक ही बात का अन्तर रहता है। बाकी के विषयों में मैं दावे से कह सकता हूं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति को वह साहित्य रत्न पढ़ा लिखा व्यक्ति पांच दस वर्ष तक शिक्षा भी दे तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। साहित्य रत्न करने वाला बाकी के क्षेत्रों में, बाकी के विषयों में काफी अनुभवी होती है। केवल अंग्रेजी का नहीं होता। पर हमारे यहां से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोग निकलेंगे वे सब अंग्रेजी जानने समझने वाले होंगे, हिन्दी की परीक्षा पास किया हुआ व्यक्ति सर्विस में नहीं जा सके इस प्रकार की व्यवस्था सब जगह है। अब आप भले ही उसको संस्कृत कॉलिज में निकाल दो, यह अलग बात है या केवल उसका कहीं निकास हो सकता है तो वैद्यों के लिये हो सकता है, हालांकि वैद्यों की नियुक्ति में अभी अंग्रेजी पढ़े–लिखे लोग जाने नहीं लगे हैं। पर बेकारी बढ़ रही है तो यह भी डर लगता है कि मैट्रिक के साथ साथ यह कोर्स करना शुरू किया तो वैद्यों को जो मान-पत्र था आयुर्वेद की सेवा करने का हिन्दी के माध्यम से वह मान-पत्र भी टूट जावेगा। मैं मानपत्र के पक्ष में नहीं हूं।

मैं नहीं चाहता कि किसी क्षेत्र में किसी का एकाधिकार रहे। मैं विस्तार कराना चाहता हूं। विस्तार के लिये अपील करना चाहता हूं कि हिन्दी की परीक्षाओं को मान्यता देनी चाहिये। हिन्दी की परीक्षाओं को मान्यता योग्यता के लिये ही नहीं, सरकारी सर्विसेज के लिये भी मान्यता देनी चाहिये और पी० एस० सी० को कहना चाहिये कि शिड्यूल ट्राइब के लिये शिड्यूल कास्ट के लिये रिजर्वेशन फिक्स अप कर रखा है, सबोर्डिनेट सर्विसेज में उसका भी कोटा रिजर्व करके चलना चाहिये। हिन्दी की परीक्षाएं पास की हुई हैं, उनको स्थान मिलेगा तब जाकर हिन्दी की सही माने में सेवा हो सकती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि इस पी० एस०सी० की रिपोर्ट को मैंने देखा। देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजस्थान के अन्दर अधिकांश नियुक्तियों को पी० एस० सी० की परव्यू के बाहर रखे जाने की

Page No 73

(श्री भैरोंसिह)

कोशिश की जाती है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट उठाकर देखें और कम्परेटिव स्टेटमेन्ट बनाकर देखें तो इसका पता लगेगा कि गवर्नमेंट जिस जगह पी० एस० सी० की ओपीनियन को डिफर करती है एक पर्टीक्यूलर अपोइन्टमेन्ट को लेकर झगड़ा हो जाता है तो उसको पी० एस० सी० की पर्व्यू से निकाल दिया जावे, इसकी चेष्टा की जाती है। इस रिपोर्ट में एक बार नहीं, कई जगह उल्लेख आया है कि पी० एस० सी० और राजस्थान सरकार के बीच में उसकी नियुक्ति या फिक्सेशन को लेकर विवाद चला और उसका जन सेवा आयोग के बीच में पत्र-व्यवहार चल रहा था। इसी बीच में हमारी सरकार ने कानून के जरिये पी० एस० सी का पर्व्यू सीमित कर दिया और उस पोस्ट को उसके पर्व्यू से बाहर निकाल लिया।

मैं यह समझता हूं कि यह प्रवृत्ति बुरी है। आज हमने जन सेवा आयोग का विश्वास किया है, उसके पर्सोनल्स की चिंता किये बिना हमने उस पर विश्वास किया है तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम जनता में जनसेवा आयोग में आस्था निर्माण करने की बात करते हैं और सरकार का स्वयं का पब्लिक सर्विस कमीशन में विश्वास व्यक्त नहीं होता, जब सरकार उसके क्षेत्र को सीमित करने की चेष्टा करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पास यदि पब्लिक सर्विस कमीशन में टैक्नीकल पर्सोनल्स नहीं हैं, यदि किसी अमुक योग्यता के व्यक्ति नहीं हैं, तो हम विशेष योग्यता के व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्त करें। लेकिन सरकारी विभागों के द्वारा नियुक्तियां की जायें और उसको पर्व्यू से निकालने की चेष्टा की जाये, यह बहुत ही घातक प्रवृत्ति है और यह घातक प्रवृत्ति इस आधार पर है कि या तो इसमें सिफारिश का वातावरण बनता है या सरकारी अधिकारी मनमानी करना चाहते हैं। ऐसा अगर नहीं करना चाहते है तो पब्लिक सर्विस कमीशन से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके पर्व्यू में रख कर ये सारी बातें निर्धारित कराई जा सकती हैं जो कि हमारी सरकार कराती नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कि पब्लिक सर्विस कमीशन

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के क्षेत्र को जो सीमित करने की चेष्टा की जा रही है वह हमारी सरकार नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहे।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इन आकड़ों के आधार पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में दिये हैं एक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है और वह यह है कि जितने पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने रिटन एग्ज़ामिनेशन्स होते हैं उनके अन्दर जो व्यक्ति सिलेक्ट होते हैं उनका परसेन्टेज ज्यादा है और जो व्यक्ति इन्टरव्यू में जाते हैं और उनमें जो सिलेक्शन होता है उसका परसेन्टेज कम है। यह किस बात का संकेत करता है ? यह इस बात का संकेत करता है कि एक आदमी में केवल एक्सप्रेशन की योग्यता नहीं है या उसमें केवल विवक

(श्री भैरोंसिंह)

रिप्लाई देने की क्षमता नहीं है। केवल एक दो मिनट में एक व्यक्ति के २० वर्ष के कैरियर के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसके सारे बैकग्राउन्ड के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर एक या दो सवाल पूछकर उसकी सारी योग्यता के ऊपर एक प्रकार से कुठाराघात करते हैं। जब कि एक रिटन टैस्ट होता है और उसमें व्यक्ति अपनी योग्यता का परिचय देता है उसका पर्सेन्टेज तो बढ़ रहा है और जो इन्टरव्यू हो रहे हैं उसका पर्सेन्टेज घट रहा है; तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक या दो मिनट में किसी व्यक्ति के मेन्टल इक्विपमेन्ट को, किसी व्यक्ति के एजुकेशन को, किसी व्यक्ति के बैकग्राउन्ड को जांचा नहीं जा सकता। इसका परिणाम यह है कि जो इन्टरव्यू होते हैं उनमें पक्षपात की काफी गुंजाइश है और उसी के कारण पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकारी नियुक्तियों के प्रति जनता की आस्था नहीं बनती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां रिटन टैस्ट होता है उसका जो इन्टरव्यू लिया जाये यह समझ में आ सकता है, लेकिन कोरे इन्टरव्यू के आधार पर नियुक्ति होती है तो एक-दो क्वेश्चन के ऊपर ही उसकी योग्यता का मापदण्ड नहीं रखा जाये। इसके साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि राजस्थान में कुछ ऐसे भी विभाग हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि आज १७ वर्ष के बाद सन् ४७ में देश आजाद हुआ उसके बाद में राजस्थान का निर्माण हुआ, अजमेर का उसमें विलय हुआ और सब कुछ होने के बाद भी अजमेर के विलय को भी आज ८ वर्ष व्यतीत हो गये और राजस्थान को भी बने आज १३ वर्ष हो गए, हमारी सर्विसेज़ का आज तक फिक्सेशन नहीं हुआ।

आज एक डिपार्टमेन्ट ऐसा है एनीमल हस्बेन्डरी कि जिसमें कोई भी व्यक्ति एल० डी० सी० से डाइरेक्टर तक कोई भी कन्फर्म नहीं है। जहां डॉक्टर्स का फिक्सेशन नहीं हो, मैं समझता हूं कि यह सबके लिए शर्म की बात है। एक विभाग पूरा का पूरा अनकन्फर्म्ड चलता रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि माननीय उद्योग मंत्रीजी जानते होंगे कि झालावाड़ का एक वैटरनरी डॉक्टर है उसको कई दिनों से तनख्वाह नहीं मिली और तनख्वाह नहीं मिलने के कारण वह इतना दुःखी हुआ कि वह पागल हो गया और आज जयपुर के पागलखाने में पड़ा है। वहां आज लोगों का एक्सटेन्शन होता है, लोगों के सामने एक भयंकर चिन्ता होती है कि उनका ६ महीने का पीरियड खत्म हो रहा है और ए० जी० कब मूव करेगा और कब सरकार उनकी नियुक्ति करेगी। इस प्रकार की परेशानी मैं समझता हूं कि राजस्थान के कई विभागों में है। वैटरनरी डिपार्टमेन्ट में है, एनीमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट में है; इस प्रकार की परेशानी एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में है।

मैं चाहता हूं कि सरकार डिपार्टमेन्ट के आधार पर इन चीजों का कोई भी जल्दी से जल्दी इलाज नहीं करवा सकती। मैं तो यह उचित समझूंगा कि इस प्रकार के जितने भी केसेज़ हैं उनके लिए पब्लिक सर्विस

Page No 75

(श्री भैरोंसिंह)

कमीशन के मेम्बर्स की यदि संख्या बढ़ाना चाहें तो मेम्बर्स की टेम्पोरेरी बेसिस पर संख्या बढ़ा लें और एक स्पेशल बोर्ड बनाकर राजस्थान की सर्विसेज के इन्टीग्रेशन के पॉइन्ट ऑफ व्यू से, फिक्सेशन के पॉइन्ट ऑफ व्यू से जितने भी केसेज पड़े हुए हैं उन केसेज का डिस्पोजल करायें जिसके कारण से सर्विसेज में सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि एफीशियेन्सी भी गढ़े। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस सदन में केटेगोरीकली राजस्थान के डॉक्टर्स और बाकी के विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों के जो फिक्सेशन के मामले पेन्डिग हैं उनके बारे में इस सदन को आश्वासन दे कि यह कब तक कार्यवाही फिक्सेशन की खत्म हो जायेगी; हालांकि इस प्रकार के आश्वासन उस विभाग के मंत्री सदन में कई बार देते हैं। उप शिक्षा मंत्री जी तो आश्वासन देते देते परेशान हो गए, उनके आश्वासन आज चलते नहीं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ विभाग ऐसे हैं कि जिनके अन्दर इस प्रकार के रोजमर्रा केसेज और शिकायतें हमारे सामने आती हैं; एजूकेशन डिपार्टमेन्ट का मामला लें या और किसी डिपार्टमेन्ट का मामला लें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की तरफ से और माननीय मुख्य मंत्री जी ने, आज के दो वर्ष पहले मुझे अच्छी तरह से याद है कि सदन में एक बात की उन्होंने घोषणा की थी कि भविष्य में टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स नहीं किये जायेंगे, जिनके ६ महीने के अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजीशन नहीं भेजा जायेगा। मुझको याद है कि राजस्थान सरकार के नियुक्ति विभाग ने चार वर्ष पहले ऐसा सर्कुलर निकाला और ऐसे रिमाइन्डर्स दिये लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि इस प्रकार के सर्कुलर्स निकालने के बाद, इस विधान सभा में आश्वासन दे देने के बाद जो सरकारी अधिकारियों की टेन्डेन्सी डेवेलप होती जा रही है कि टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स किये जायें, पहले ६ महीने का अपोइन्टमेन्ट कर लिया और उसके बाद में जिस समय एक्सटेन्शन का क्वेश्चन आये फिर एक्सटेन्शन के लिए लिख दिया। इस प्रवृत्ति के लगभग ३४२ केसेज ऐसे हैं कि जिनमें एक वर्ष की अवधि निकलने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को इसके लिए लिखा गया है कि हमने टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्टर्स किये हैं, इनका कन्फर्मेशन किया जाये या इनको रिकग्नीशन दिया जाये। ऐसे दो-दो और तीन-तीन साल के मामले हैं कि जिनमें टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स किये और उसके बाद में भी कन्फर्मेशन के लिए चिट्ठी लिखी जाती है या पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्करेन्स लेने के लिए चिट्ठी जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह टेन्डेन्सी पक्षपात की टेन्डेन्सी है, अपने लोगों को अपाइन्टमेन्ट दिलाने की टेन्डेन्सी है। नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने योग्यता के आधार पर होती हैं और विभागों के अंदर पक्षपात के आधार पर होती हैं। इसलिए विभागाधिकारियों ने सारे अधिकार अपने हाथ में लेकर जिस समय चाहते हैं बजट में चाहे गुंजाइश हो या नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

हो उस पोस्ट को एडवर्टाइज कराया या नहीं, इसकी चिन्ता किये बिना टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स किये जाते हैं। यह लोगों के लिए हार्टब्रनिंग है और यही कारण है कि आम जनता में चर्चा है कि नियुक्तियां करानी हों तो सिफारिश कराई जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा टाइम और दें।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में बोलें।

श्री भैरोंसिंह : जल्दी ही कर दूंगा।

अब सिफारिशों का जहां सवाल आता है तो सिफारिशें कौन करा सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों को ही सिफारिशें मिल सकती हैं। बाकी के लोगों द्वारा सिफारिशें कराई जायें, यह संभव नहीं है। आज कई हरिजन छात्र नौकरियों के लिए सिफारिशें नहीं होने के कारण इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी सिफारिशें कोई नहीं करता है और यही कारण है कि उनको नियुक्तियां नहीं मिलती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे माननीय भीखाभाई जी स्वयं उनकी सिफारिशें करते होंगे, वे स्वयं बता सकते है कि एक महीने के अन्दर उनके पास शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोग आये हैं। वे उनकी कोशिश भी करते हैं, चिट्ठियां लिख कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। यह जो उनका प्रयास है, उसके लिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज उनको नौकरियां नहीं मिलें इसके लिए मुझे आपत्ति है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स का सिलसिला बिल्कुल बन्द कर दिया जाये, आवश्यकता हो सकती है जिसमें हम पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजीशन भेजें, एडवर्टाइजमेन्ट करें, सिलेक्शन करें उसमें कुछ समय लग जाये लेकिन जब सरकार ने ६ महीने की अवधि निर्धारित कर रखी है तो उसके बावजूद भी इस प्रकार की नियुक्तियां क्यों होती हैं? मुख्य मंत्रीजी ने इस रिपोर्ट के साथ जो आपने मेमोरेन्डम दिया उसमें इसका जिक्र नहीं किया। उस गलती को स्वीकार नहीं किया। जिन लोगों ने इस प्रकार की नियुक्तियां की हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस सदन में यह मांग करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार की नियुक्तियां की हैं, जिन अधिकारियों ने कानून और नियमों को तोड़ कर इस प्रकार से नियुक्तियां की हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में रिटायर्ड ऑफिसर्स को री-एम्प्लॉय करने की प्रक्रिया बड़े जोरों से चलती है। अब यह प्रक्रिया कुछ क्षेत्रों में इतनी भयंकर बन गई है कि एक अधिकारी को जो राजस्व विभाग के सलाहकार हैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। पिछले वर्ष मुझे याद है कि सेक्रेटेरियेट में एक दिन पार्टी हो रही थी। मैंने पूछा कि यह पार्टी किस बात की है

(श्री भैरोंसिंह)

तो कहा गया कि हमारे राजस्व एड्वाइज़र, सलाहकार, हैं। उनका एक्स्टेन्शन था वह खत्म हो रहा है और वे आज जाने वाले हैं। उनकी पार्टी का अरेन्जमेंट कर दिया गया। पार्टियां ले ली गई, चार्ज दे दिया गया; केवल एक फॉर्मल हैण्ड ओवर करने की बात थी वह बाकी थी, सेक्रेटेरियेट में चार्ज लेने वाले पहुंच गये। जिस समय जो अधिकारी जाने वाले थे वे वापिस पहुंच गये और कहते है कि मेरा एक्स्टेन्शन हो गया। कोई एक वर्ष का एक्स्टेन्शन ले तो समझ में आ सकता है, कोई ५५ से ५८ का एक्स्टेन्शन ले तो समझ में आ सकता है, कोई ५८ से ६० तक एक्स्टेन्शन ले तो यह समझ में आ सकता है, लेकिन कोई अधिकारी यह लेकर चले कि राजस्थान के अन्दर मेरे बिना राजस्व विभाग का काम नहीं चलेगा; राजस्थान के मंत्री इतने अयोग्य हैं कि एक अधिकारी पर राजस्थान का पूरा राजस्व विभाग डिपेण्ड करने लग गया। मैं समझता हूं कि लड्ढा साहब और कुम्भारामजी इतने अयोग्य नहीं है कि कम्पीटेन्ट उस अधिकारी की सलाह नहीं मिले तब तक कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, तब तक नियम नहीं बनाये जा सकते, तब तक सर्क्यूलर्स का ड्राफ्टिंग नहीं हो सके, किस प्रकार से कानून को इम्प्लीमेंट कराना है। इस सम्बन्ध में सब्सीक्वेन्ट सर्क्यूलर जारी नहीं किया जा सके। या तो यह मान कर चलें कि खेरी साहब के बिना राजस्थान सरकार का काम नहीं चल सकता है। मैं निवेदन करना हूं कि यह राजस्थान के मंत्रियों के ऊपर ही रिफ्लेक्शन नहीं है लेकिन राजस्थान की आई० ए० एस० या आर० ए० एस० सर्विसेज के लिए भी रिफ्लेक्शन आता है कि खेरी साहब चले गये तो राजस्थान का पटरा गोल हो जायेगा। राजस्थान के आई० ए० एस० ऑफिसर में ऐसा कोई नहीं है कि किसी प्रकार से जो उनके काम की गैंप होगी उस गैंप को फिल-अप नहीं कर सकता है या राजस्थान के मंत्री उनके काम के आदी पड़ गये हैं इसलिए उनकी सेवाओं को किसी प्रकार से दूर नहीं कर सकते।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि किसी एक का नहीं, इस प्रकार के कई केसेज़ हैं जो पर्मानेन्टली की तरह से चल रहे हैं और रिएम्प्लायमेंट के नाम पर चल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस प्रकार से रिएम्प्लायमेंट देने में इस प्रकार की जो व्यवस्था लेकर चले कि एक अधिकारी को यदि हमने अन्नेसेसरिली रीऐम्प्लाय किया तो बाकी के लोगों के अन्दर, इस प्रकार की बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हार्ट-बर्निंग क्रियेट होता है कि एक आदमी की नियुक्ति बार बार होती है। मुझे जानकारी मिली है कि इस साल फिर एक्स्टेन्शन दिया गया और एक्स्टेन्शन करके फाइल जब राजस्व मंत्रीजी को भेजी तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। यदि मेरी जानकारी सही है तो उस आधार पर मुझे खुशी हुई कि राजस्व मंत्रीजी ने उस पर अपनी असहमति प्रकट की है और यहां तक लिख दिया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस व्यक्ति की नियुक्ति में एतराज किया है तो फिर इसको क्यों रखा जाता है? यह एक

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की अनियमितता है और अन्त में यह लिख दिया है कि अनियमितताएं करने का मैं आदी नहीं हूं। इस प्रकार से राजस्व मंत्री इस प्रकार की बात लेकर चलें। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा भारी नोट लिखा कि उपराजस्व मंत्री और राजस्व मंत्री दोनों मिलकर तय कर लें। दोनों के बात करके तय करने की कौन सी स्थिति बनती है और कौन-सी स्थिति नहीं बनती है। लेकिन यह एक प्रकार से पक्षपात है। इसका असर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह निश्चित हो रहा है कि हमारी सर्विसेज में डिमोरेलाइजेशन आता है।

मैं अन्त में यह भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार ने........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी खत्म ही करता हूं।

...जो इस प्रकार का रीएम्प्लायमेंट दिया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस सम्बन्ध में काफी एडवर्स रिमार्क्स दिये हैं और एड्वर्स रिमार्क्स देने के साथ साथ उन्होंने एक बात की ओर संकेत किया है कि जो व्यक्ति परीक्षा में बैठ रहा है वह फोर्ज्ड सर्टिफिकेट पेश कर रहा है। फोर्ज्ड सर्टिफिकेट पेश करने के कारण उसका प्रोसीक्यूशन हुआ है। जो परीक्षा में बैठ रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन की वह फोर्ज्ड सर्टिफिकेट पेश करे, वह तो समझ में आ सकता है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, भूखों मर रहा है इसलिए फोर्ज्ड सर्टिफिकेट पेश करने से नौकरी मिल जाय, उसका तो चालान कर दिया जाय, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में बैठा हुआ व्यक्ति फोर्ज्ड सर्टिफिकेट पेश कर दे, लेकिन जैल डिपार्टमेंट का एक अधिकारी मेट्रिक का झूठा सर्टिफिकेट देकर प्रमोशन ले ले और जिसके बारे में इस विधान सभा में कई बार क्वेश्चन किये गये हैं लेकिन उस पर आज तक एक्शन नहीं लिया गया है। एक आदमी झूठा सर्टिफिकेट देकर काम चलाता है और बाकी के लोग झूठे सर्टिफिकेट देकर काम चलायें तो उनका चालान कर दिया जाय। विधि विभाग के सेक्रेटरी श्री लहरसिंह मेहता, सेशन्स जज झूठी जन्मपत्री पेश करें और उसके कारण अपनी आयु में वृद्धि करवाई। वह मामला आज भी डिपार्टमेंट में चल रहा रहा है। उसको जान-बूझ कर खड़ा कर रखा है, इसकी मन्शा यह है कि इनका प्रमोशन हो जाय। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि यह मेरी जानकारी में है कि उनका एपोइन्टमेंट जज के पद पर किया जाय, इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मंत्रियों ने सिफारिश की है जो कि नियुक्ति नहीं हो पाई है। उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया है। यह सिफारिशों का तांता है। वह सिफारिश तांता आज जो हाइएस्ट ऑथोरिटी है, जुडीशियरी के अन्दर भी सिफारिशों का तांता चलता है तो मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जुडीशियरी की सर्विसेज को पक्षपात से नहीं बचाना चाहते हैं तो बाकी की सर्विसेज को बचाने का सवाल नहीं आता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान की आई० ए० एस० और आर० ए० एस० ऑफिसर्स की इन दो केडर्स में एक इस प्रकार का भाव पैदा हो गया है कि आई० ए० एस० अपने आपको खुदा के घर का आया हुआ समझते हैं और आर० ए० एस० ऑफिसर में इस प्रकार की हीन भावना पैदा हो गई है कि आर० ए० एस० ऑफिसर कुछ नहीं है। आई० ए० एस० ऑफिसर कुछ नहीं जानता है, लेकिन सब कुछ जानता है लेकिन आर० ए० एस० ऑफिसर सब कुछ जानता है लेकिन कुछ नहीं है। इस प्रकार की भावना हमारी सर्विसेज़ में किसी न किसी कारण से निर्मित हुई है। मैं इसका कारण निवेदन करना चाहता हूँ। आई० ए० एस० ऑफिसर हमारे यहाँ ज्यादातर बिल्कुल नये हैं और दूसरी स्टेट में शायद, यह समझ कर चलना चाहिए, १०-१० साल तक एस० डी० ओ० की पोस्ट पर काम करना पड़ता, उसके बाद कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की जाती है। जो भी व्यक्ति आई० ए० एस० में आता है वह राजस्थान को प्रिफर करता है। इसलिए करता है कि राजस्थान में सीनियोरिटी बहुत जल्दी मिलती है। आज ६ महीने के अन्दर एस० डी० ओ० रहता है और फिर जेसलमेर का कलेक्टर रह कर राजस्थान के किसी जिले का कलेक्टर बनता है। इस प्रकार की सुविधा इस राजस्थान में मिलती है और इसी कारण से बिल्कुल ही जिनको अनुभव नहीं है इस प्रकार के व्यक्ति राजस्थान में कलेक्टर बने हुए हैं और उनके राजस्थान की आर० ए० एस० सर्विस के लोग जिन्होंने २०-२० वर्ष प्रशासनिक सेवा में काम करने की योग्यता हासिल की है लेकिन उन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता है तो उनका हृदय कुण्ठित होता है और वे किस प्रकार से राजस्थान का काम करेंगे। हिन्दुस्तान की सेवाओं में राजस्थान से आई० ए० एस० की केडर में जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं, सब से कम हैं जो प्रमोशन से हुए हैं उनको छोड़कर। उस कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यकता इस बात की थी कि हमारी अपनी एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हों, इस प्रकार की केडर तैयार करवाने के लिए जो इस प्रकार के सिलेक्शन में बैठ कर आई० ए० एस० के सिलेक्शन में आते। वह कर नहीं पाते हैं। इसका परिणाम यह है कि आई० ए० एस० में राजस्थान का सिलेक्शन सिवाय प्रमोशन के कोटा के नहीं है। मैं समझता हूं कि उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार आर० ए० एस० केडर से जो हीन भावना पैदा हो रही है उसको निकालने के लिए योग्यतम आर० ए० एस० ऑफिसर्स को इस प्रकार से काम करने का सुभीता दे कि वे अपनी एफिशियेन्सी को शो कर सकें। प्रमोशन के मामले हैं, सिलेक्शन ग्रेड देने के मामले में, सर्विस के कुछ स्ट्रक्चर हमारे आर० ए० एस० ऑफिसर्स के लिए क्रियेट करने पड़ेंगे जो कि बदकिस्मती से हम नहीं कर पाये हैं।

अन्त में एक बात यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के अधिकारियों की एन्क्वायरीज़ के लिए, उनके ऊपर पैनाल्टी इम्पोज करने के लिए हमने नियम बना रखे हैं और नियम इस सम्बन्ध में हमने बना रखे हैं कि सरकार यदि किसी को सजा देती है

(श्री भैरोंसिंह)

और उसकी नियुक्ति यदि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये हुई ये उसके परव्यू में आते हैं तो उन सब के बारे में अंतिम निर्णय के लिये कोई व्यक्ति पी० एस० सी० के सामने जा सकता है। लेकिन यहां तो दुर्भाग्य इस बात का है कि पब्लिक सर्विस कमीशन किसी को सजा देना चाहे तो सरकार उसको सजा नहीं देने देती- किसी के बारे में पी० एस० सी० कहे कि इसका डिसमिसल किया जाय तो सरकार उसके बीच में रोड़े अटकाती है, यदि पी० एस० सी० किसी को अपग्रेड करने का कहे तो सरकार उसमें भी रोड़े अट-काती है।

इसके साथ साथ एक बीच में एजेन्सी क्रियेट की गई है कमिश्नर फोर डिपार्ट-मेन्टल इन्क्वायरीज। मैं जानना चाहूँगा कि राजस्थान के कितने अधिकारियों के खिलाफ कितने वर्षों से कमिश्नर फॉर डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरीज़ के पास चल रहें है, चाहे रिश्वत के हों, चाहे गबन या सरकारी धन के दुरूप-योग के हों; चाहे सरकारी सामान ज्यादा कीमत देकर खरीदने के हों, चाहे बाकी इर्रेगुलेरिटीज़ के हों, इस प्रकार के चार्जेज़ कई अधिकारियों पर लगाकर कमिश्नर फॉर डि० इ० के पास पड़े हैं। कमिश्नर बदलते रहते हैं, इन्क्वायरी कम्पलीट नहीं होतीं उसका अल्टीमेट इफेक्ट यह होता है कि जिनके खिलाफ किसी प्रकार के चार्जेज़ हैं उनको एक धोखा हमेशा रहता है, पता नहीं कब निकाल दिये जावें; इसलिये वे अच्छा काम चाहे करें फिर भी उनको इस बात का डर रहता है इसलिये वे इन्सेन्टिव लेकर काम नहीं करते,इसका इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है और एफिशियेन्सी में कमी आती है। मैं सरकार से और खास करके मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कमिश्नर फॉर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के पास कितने मामले किस किस वर्ष के पेन्डिग पड़े हैं, कितने आई० पी० एस०, कितने आई० ए० एस० और आर० ए० एस० के खिलाफ पड़े हैं और उनको निपटाने के लिये क्या किया जा रहा है। यदि एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है तो दो या तीन कमिश्नर क्यों नहीं अपोइन्ट किये जाते ? मैं यह आवश्यक समझता हूं कि लोगों के सामने, शिकायत करने वालों के सामने और जिसकी शिकायत की जाय उसको सस्पेन्स में रखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है आज शिकायत की और जल्दी से जल्दी उसका डिस्पोजल हो। इस संबंध में जो पी० एस० सी० के पव्यू में आते हैं और कमिश्नर फॉर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के पव्यू में आते हैं और किसी समानान्तर रूल पर चलना चाहते हैं तो कोई इन्डिपेन्डेन्ट बोडी बनावें तो ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी डिस्पोज आफ होंगे और समस्या खतम होगी। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एक रिपोर्ट सदन के समक्ष

(श्री शीशराम ओला)

विचारार्थ प्रस्तुत है। इस विषय में मैं भी कुछ अपने तरीके से जो आपत्तियां नजर आई हैं वे पेश करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बनने के बाद आर. ए. एस., आर. पी. एस. और दूसरी प्रकार की सर्विसेज़ में लोग आये हैं राजस्थान के कितने लोग हैं और बाहर के कितने हैं, मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में राजस्थान हीं एक ऐसा प्रान्त होगा जिसमें बाहर के लोग हर नियुक्ति पर आते हैं. राजस्थान के लोगों की अवहेलना होती है, वे सिलेक्ट नहीं होते, नियुक्त नहीं होते। उसके दो-तीन कारण नजर आते हैं। सबसे पहले, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइज़मेंट निकलता है तब ढेर की ढेर एप्लीकेशन्स आती हैं और इतने बड़े ढेर को देख कर पब्लिक सर्विस कमीशन वाले थर्ड डिवीज़न के लोगों की एप्लीकेशन्स पर तो विचार ही नहीं करते। सेकण्ड डिवीज़न और फर्स्ट डिवीज़न वालों को कंसीडर करते हैं उनमें से भी फर्स्ट डिविजन वालों का नम्बर पहले आता है। उसमें भी मुख्य काइटेरिया और मुख्य उद्देश्य इंग्लिश वालों को पहले स्थान देने का होता है। हिन्दी भाषा और लोकल भाषा वाले बहुत कम लिये जाते हैं। मैंने सुना है कि पहले इस प्रकार का पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन में होता था, जो अब नहीं होता। दूसरी स्टेट्स में ऐसे पेपर्स होते हैं जिनसे स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है और वे लोग सर्विस में आ जाते हैं।

हमारे यहां क्या देखा जाता है कि राजस्थान के लोग कहीं भी किसी भी प्रोविन्शियल सर्विसेज जो दूसरे प्रान्तों में होती हैं उनमें नहीं पाये जाते लेकिन दूसरे प्रान्तों के लोग अच्छी संख्या में हमारे यहां राजस्थान की सर्विसेज में पाये जाते हैं चाहे आर. ए. एस. हो, चाहे आर. पी. एस. हों चाहे पंचायतों में डेवलपमेंट ऑफिसर ही सब जगह बाहर के लोग पाये जाते हैं। यही नहीं यदि राजस्थान के शिक्षा विभाग का सर्वेक्षण करेंगे तो पायेंगे कि साठ परसेन्ट लोग दूसरे प्रान्तों के हैं, यू. पी. के और दूसरे प्रान्तों के। मैं नहीं समझता हमारे वहां के लोग जो दुखी हैं उनको नहीं लिया जाता, उसका क्या कारण है और दूसरे प्रान्तों के लोग क्यों लिये जाते हैं? दूसरे प्रान्तों के लोग यहां आकर जगह ले लें, इससे हमारे प्रान्त को बहुत नुकसान होता है। एक आदमी पंजाब या मद्रास का रहने वाला अंग्रेजी का माहिर हो सकता है इसलिए कि जन्म से उसने इंग्लिश पढ़ी है लेकिन उसको यदि बाड़मेर में भेज दिया जायगा जहां के लोग हिन्दी भी पूरी तरह से नहीं समझते, शुद्ध हिन्दी को भी नहीं पहचानते हैं उनमें जाकर वह किस तरह से अपने आप को एड्जस्ट कर सकेगा और वहां के एक किसान की बात को समझकर उसका हल निकाल सकेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि जहां सरकार रीति नीति–निर्धारित करती है कि पी. एस. सी. में इस प्रकार के लोगों को जाना चाहिये जिनकी इतनी उम्र हो, इतनी एज्युकेशन हो, इतनी पोस्टों पर आदमी चाहिये, यह पी. एस. सी. को लिख कर देती है उसी प्रकार सरकार को चाहिये कि एक नीति ऐसी बनावें जिसके जरिये राजस्थान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा

(श्री शीशराम ओला)

लाभ हो और एक तरह से हमारे प्रान्त की एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है उस प्रान्त की सर्विसेज में दूसरे प्रान्तों के लोग जाकर बैठ जाते हैं. यह इस प्रान्त के लिये शर्म की बात है, अफसोस की वात है इसलिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह सर्विसेज का मामला है, उसमें केवल इंगलिश को प्रधानता दें, यह उचित नहीं है। इसमें राजस्थान के लोगों को नुकसान है, प्रान्त को नुकसान है। सबसे बड़ी दलील यही है। यह तो रही राजस्थान और बाहर के लोगों की बात। लेकिन गांव के लोग जिनका एज्युकेशनल बैकग्राउन्ड कमजोर है, जो सेन्ट जेवीयर्स और पब्लिक स्कूल्स में शिक्षा नहीं पा सकते वे लोग आर. पी. एस., आर. ए. एस. और दूसरी सर्विसेज में कितने आ पाये हैं, इस ओर सरकार ने शायद कभी नहीं देखा होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार शिड्यूल कास्ट के लोगों के लिए और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिये रिज़र्वेशन है उसी प्रकार रूरल एरिया के लोगोंके लिये, देहात के लोगों के लिये रिज़र्वेशन कराना चाहिये लेकिन वह रिज़र्वेशन किसी जाति को लेकर न हो, बल्कि रूरल एरियाज़ के लोगों के लिये हो और ४० या ५० परसेन्ट स्थानों का रिजर्वेशन रूरल एरियाज़ के लिये हो ताकि आज जो लोग उनसे आगे चले गये हैं, रूरल एरियाज़ को पीछे छोड़ गये हैं उसके मुकाबले में रूरल एरियाज़ के लोगों को अवसर मिल सके कि जो लोग आगे चले गये हैं उनके साथ आकर वे भी अपना स्टेन्डर्ड बढ़ा सकें, राजस्थान की सेवा कर सकें और उनको भी विकास करने का अवसर मिल सके। यह भी सम्भव है, मैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स् के खिलाफ बात नहीं कह रहा हूं लेकिन यह स्वाभाविक है कि यदि मेरे यहां का कोई आदमी मेरे पास आयेगा तो निश्चित तौर से मेरे दिमाग में यह बात आयगी कि मैं उसकी सहायता करूं। कमजोरी हर आदमी से होती है। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर रखते समय यह ध्यान रखा जाय कि इसी प्रान्त के लोग यहां अधिक हों ताकि बाहर के लोग आवें उनके प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं हो कि प्रान्त के लोगों को अधिक स्थान देना चाहिये। यह भी कमी आज नजर आती है। इसलिए सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिये कि इसमें जो कमियां नजर आ रही हैं, जो दिक्कतें राजस्थान के सामने हैं उन पर गम्भीरता से सोच कर इस प्रकार का हल निकाला जाय जिससे प्रान्त को लाभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ग्रहण करता हूं।

(३. म. प.)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) मुझे इजाजत दे दी है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, आज पब्लिक सर्विस कमीशन...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जोहरी-बाजार जयपुर) जो है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रतिवेदन रखा है उस पर बहस की जा रही है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो है !

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो बात कही गई कि पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो अपोजीशन के माननीय लीडर हैं उन्होंने यह कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे सदस्य हैं जो कि राज्य सरकार में रहे हुए लोग हैं और जिनके कि मुख्य मंत्री जो हैं जब वे रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो उनके अधीन रहे थे, इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पक्षपात करने का जो है मौका मिलेगा। जब हमारी सर्विसेज हैं आर० ए० एस०, आर० पी० एस० और आर. अकाउंट्स सर्विस के आफिसर हैं उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इम्तिहान लेकर नियुक्त किया जाता है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लिए लोगों का इम्तिहान लेकर उन लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्ति करते है तो इन नियुक्ति किये जाने वाले लोगों को जिन जिन सदस्यों के द्वारा इम्तिहान लेकर सलेक्ट किया जाता है उन लोगों के ऊपर यह आरोप लगाया जाय कि एक आदमी जिस आदमी का मंत्री से सम्बन्ध है, तो उनका कोई आदमी होगा तो उसके साथ पक्षपात करेगा। मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की धारणा रखना कि इस प्रकार की व्यवस्था चालू है, ठीक नहीं है, और न कभी इस प्रकार हुआ है।

जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं वे ऊंचे कैडर के लोग हैं और उन्होंने काफी अर्से तक राज्य की सेवा की है। इस प्रकार के लोगों के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना, मेरे ख्याल में, नितान्त असत्य है और इन आरोपों के ऊपर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट का ताल्लुक है, जो रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की गई है और डिपार्टमेंट की तरफ से जो टिप्पणियां दी गई है उनसे साफ प्रतीत होता है कि सिर्फ दो-तीन मसलों को छोड़कर हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य सरकार के बीच में कभी मतभेद नहीं हुआ है और जो मसले छोड़े गये हैं उनमें भी कोई टैक्निकल डिफीकल्टी की वजह उन लोगों के ऊपर कुछ न कुछ मतभेद रहा है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन की एप्रूवल के बिना राज्य सरकार ने नियुक्त कर लिया और उनके केस को बाद में कॉन्करेंस के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की एप्रूवल नहीं ली गई है और बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉन्करेंस ली गई। लेकिन ये इस प्रकार की पोस्ट्स हैं जिनके लिए योग्य आदमी नहीं थे। आपको मालूम

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

होगा कि राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं, जैसे डाक्टरों की पांच सौ, सात सौ जगह खाली पड़ी हुई हैं लेकिन उनके लिए आदमी नहीं मिलते हैं।

इसी प्रकार हमारे यहां इन्जीनियर्स की पोस्ट्स हैं जिनके लिए हमारे यहां पर लोगों की कमी है। ऐसी टेक्निकल पोस्ट्स के लिए राज्य सरकार के द्वारा कोई एडवर्टाईजमेंट निकाल कर उन पर आदमी रख लिये जायं और बाद में कांनकरेंस के लिए भेज दिया जाय। अब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यह कहा जाय कि पहले हमारे यहां से एप्रूवल लेनी चाहिए। तो ऐसे लोगों की, टेक्निकल लोगों की पहले ही कमी है और जरूरत को पूरा करने के लिए और कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठा लिया है तो मेरे ख्याल में वह कोई अनुचित कदम नहीं है जिसको इस प्रकार से यहां पर क्रिटिसाइज किया जाय और यह कहा जाय कि पक्षपात किया गया है या घोटाला किया गया है, और इसके लिए राज्य सरकार को दोष दिया जाय। इस प्रकार की कार्यवाही अगर राज्य सरकार की ओरसे नहीं हो तो जो अभी हमारे यहां पांच सौ डिस्पेंसरियों में पोस्ट्स खाली पड़ी हैं, जहां पर डाक्टरों का अभाव है, उसके बाद अगर यह प्रावधान हो जाय कि पब्लिक सर्विस कमीशन से कांनकरेंस बाद में न लेकर पहले ही उससे सलेक्शन कराया जाय तो करीब करीब सारी डिस्पेंसरीज खाली पड़ी रहेंगी और एक भी डाक्टर मिलना असम्भव हो जायगा। इस लिए ऐसी जगहों पर, जहां टेक्निकल आदमियों को रखने का सवाल है, यदि राज्य सरकार किसी प्रकार जल्दी नियुक्ति करने के लिए, लोगों को सहूलियत देने के लिए और राज्य के काम को ठीक तरह से चलाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करती है तो मेरे ख्याल में राज्य सरकार के कदम को अनुचित कदम नहीं कहा जा सकता। इसके अन्दर मेरा एक और सुझाव है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे राज्य में राज्यभाषा का प्रयोग शुरू कर दिया जाए, इसके लिए सरकार ने घोषणा कर दी है कि हमारे यहां पर हिन्दी राजभाषा है और सारा का सारा काम हिन्दी में करेंगे। मगर अब तक पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो सारे इम्तिहान होते हैं वह अंग्रेजी में होते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर, जो राजस्थान के लोग हैं जैसा कि अभी इस सदन में कहा गया इधर से भी कहा गया और उधर से भी कहा गया कि राजस्थान में ऐसे लोगों की कमी है जिनकी अंग्रेजी के ऊपर पूरी मास्टरी हो। इसके सम्बन्ध में दो तीन कोटेशन सुनाये गये कि किस प्रकार ग्रेजुएट और दूसरे लोगों ने उत्तर दिए हैं उनसे साफ प्रतीत होता है कि राजस्थान में जितने रहने वाले लोग हैं उनकी अंग्रेजी के ऊपर इतनी मास्टरी नहीं होती जितनी कि दूसरे प्रदेशों के, दूसरी जगहों के लोगों की होती है। इसके साथ ही हमारे यहां पर भी दो फिरके हैं—गांव वाले अलग हैं और शहर के लोग अलग हैं। शहरों के वह लोग अलग हैं जो मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं जिनमें ऊंचे दर्जे की फीस ली जाती है। उनमें बड़े

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बड़े आदमियों के लड़के पढ़ते हैं उनकी अंग्रेजी में और गरीब आदमियों और गांव के आदमियों के लड़कों, जो गांवों में स्कूलों में और गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, की अंग्रेजी में बहुत फर्क है। इस प्रकार जो लोग मिशनरी स्कूलों में पढ़ कर जाते हैं, उनके लिए अगर अंग्रेजी कम्पलसरी हो तो उनको हर प्रकार की सहूलियत रहेगी लेकिन जो हम गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे गांव के स्कूलों में और गवार्नमेंट के स्कूलों में पढते हैं, उनके लिए अंग्रेजी के सब्जेक्ट रखे जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में तो उनको अंग्रेजी के पेपर्स में कठिनाई आती है। मेरा सुझाव है कि हिन्दी में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान होने चाहिए और एक हिन्दी का सब्जेक्ट हो क्योंकि हम हिन्दी को मातृभाषा मानते हैं इसलिए हिन्दी कम्पलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जिसके द्वारा गारन्टी हो कि वह आदमी हिन्दी में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है या नहीं और हमारे प्रदेश की भाषा है उसको समझ सकता है या नहीं, हमारे विचारों को वह अच्छी तरह से समझ सकेगा या नहीं।

दूसरा मेरा अर्ज करना यह है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इम्तिहान होते हैं उसमें राजस्थान के कानून कायदों के सम्बन्ध में कुछ न कुछ पेपर्स होने चाहिए ताकि मालूम हो सके कि राजस्थान के कानून कायदों की जानकारी रखते हैं या नहीं और उनके सम्बन्ध में वह समझते हैं या नहीं। इस प्रकार का प्रावधान होगा तो मैं समझता हूं कि जो तमाम बाहर के लोग हैं, यू. पी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मद्रास के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर हमारे यहां आने पर कोई रोक नहीं है और तमाम इंडियन सिटीजन्स को हम सर्विसेज में ले सकते हैं तो इसके साथ साथ यह प्रावधान भी रख दिया जाय कि तमाम राजस्थान के कानून कायदों की जानकारी हो। इससे वह राजस्थान के कानून कायदों की जानकारी करने की चेष्टा करेंगे और यदि फ्यूचर में उनको अपाइन्ट किया जायगा तो उस वक्त उनको काम काज करने में सहूलियत मिलेगी और राजस्थान के कानून कायदों की जानकारी से फायदा होगा।

इसी प्रकार जो इन्टरव्यू लिये जाते हैं और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिन पोस्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट किये जाते हैं, और इम्तहान लिये जाते हैं तो इम्तिहान होने और इन्टरव्यू लिये जाने के बीच में काफी समय का फासला होता है और जो रिजल्ट्स निकलते हैं उसमें भी काफी समय लग जाता है। इस प्रकार जो बिलम्ब होता है उससे जो लोग इम्तिहान में बैठते हैं उनको काफी कठिनाई होती है। जब कि हमारे प्रदेश में और सारे देश में बहुत से लोग बेकार हैं तो इस बेकारी को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को काम देना चाहिए। जो अपने आपको क्वालिफाई किसी पोस्ट के लिए कर देते हैं उनके इन्टरव्यू लेने में एक्जामिनेशन के बाद में ज्यादा टाइम लगता है तो उससे उन लोगों को कठिनाई होती है। इसलिए जल्दी से जल्दी पब्लिक सर्विस कमीशन को राज्य सरकार की तरफ से ऐसा सुझाव

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

भेजना चाहिए कि जो इम्तिहान लिया जाय और जो इन्टरव्यू हो और जो रिजल्ट निकले-यह सब जल्दी करके जिस जगह के लिए लोग काबिल हों उनको जल्दी वहां पर अपोइन्ट किया जाय।

अब एक प्रश्न और है कि बहुत से डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपनी डिमान्ड भेजते हैं कि इतने स्थान खाली हैं और इतने आदमी चाहिये। उनके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि किस किस समय पर उनकी एप्लीकेशन्स आनी चाहियें। बहुत से टेक्निकल स्थान होते हैं वहां पर लोगों को रखा जाता है। जैसे मैं लेबर डिपार्टमेंट के बारे में कहूँ, लेबर ऑफिसर हैं, इन्सपेक्टर होते हैं, ट्रेनिंग लेकर लोग आते हैं और जगह खाली होने पर उनको नियुक्त कर दिया जाता है। उनके इन्टरव्यूज़ और एग्ज़ामिनेशन्स नहीं होते। पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं जायें तो ठीक है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में एडवर्टाइजमेंट निकलता है और एज लिमिट का प्रश्न आता है तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और होती है और डेट ऑफ बर्थ जिसको शुमार की जाती है, वह दूसरे तरीके से की जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि वह व्यक्ति एज बार हो जाता है और इससे लोगों को बड़ी डिफिकल्टी होती है और इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि लास्ट डेट ऑफ एप्लिकेशन भेजी जाये उसी तारीख को आखिरी तारीख मान कर एप्लीकेशन्स कन्सीडर करनी चाहिए ताकि यह कठिनाई तो दूर हो और लोगों में गलत भावना नहीं फैले।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसी प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां राजस्थान सरकार में १२॥ परसेन्ट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जगह मिलनी चाहिये। जहां तक प्रयत्न सरकार की तरफ से होते हैं और जो रिपोर्ट है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि रिजर्व सीट में ऐसे हैं कि काबिल आदमी होते हुए भी नहीं लिया, ऐसा नहीं है। जैसा कि यहां सुझाव माननीय सदस्यों ने दिया कि स्टेन्डर्ड से बिलो भी कोई व्यक्ति हो तो उसको रख लिया जावे। चाहे वह आर. पी. एस. हो, चाहे आर. ए. एस. हो हर स्थान पर उनको ले लेना चाहिये। तो मेरा यह ख्याल है कि जो जगह है और उसके सूटेबल व्यक्ति उपलब्ध हो तो उसका कोटा पूरा किया जावे तो वह ठीक है। मगर मैं यह कहूँगा कि अगर वे काबिल नहीं है और उनको ले लिया जाता है तो यह उचित नहीं होगा। अगर वह उपयुक्त नहीं होता है तो उसको नहीं लेना चाहिये। क्योंकि अगर इन-एफिसियेन्ट व्यक्तियों को लिया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाता है क्योंकि जो आदमी काबिल नहीं हैं उसको लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जावेगा इसलिये मैं यह कहूंगा कि उनको लेना उचित नहीं है।

जहां तक आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अधिकारियों का प्रश्न है, आई. ए. एस. के ऑफिसरों के सामने आर. ए. एस. के ऑफिसर्स इन्फीरियोरिटी कम्पलेक्स रखते हैं। इसके लिये एग्ज़ामिनेशन्स अलग अलग होते हैं और जिस प्रकार की योग्यता होती है उसी तरह के एग्जामिनेशन पास करते हैं।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हमारे यहां पर शुरू से आर. ए. एस. ऑफिसर रहे हैं और जिनको १० वर्षो तक का अनुभव है और वे आई. ए. एस. में प्रोमोशन प्राप्त कर चुके हैं, उनको डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन मिला है। जहां तक आर. ए. एस. ऑफिसरों के प्रोमोशन का प्रश्न है राजस्थान सरकार और सेन्ट्रल गवर्नमेंट....

(समाय समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा समय और चाहिये।

इन्फीरियोरिटी कॉम्पलेक्स का प्रश्न है। मैं यह कहूंगा कि उनमें काबलियत होते हुए भी इन्फीरियोरिटी कॉम्पलेक्स होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग अंग्रेजों की स्कूल में पढ़ कर आते हैं और हम लोग गांवड़ों की स्कूलों में पढ़ते है, अगर हम यह महसूस करने लग जावें कि ऊंचे दर्जे की पढ़ाई वे लोग कर रहे हैं और हम जो लोग गांवड़ों की स्कूलों में पढ़ते हैं उतनीं ऊंचे दर्जे की पढाई नहीं करते यह नहीं समझा जाना चाहिये। अगर ऐसा समझते हैं तो इससे कोई बात हल नहीं हो सकती है।

इस प्रकार से जो बातें कही गई कि, हमारी सरकार पक्षपात रखती है और भेदभाव रखती है इस प्रकार की बातें करना मेरे खयाल से उचित नहीं जंचता....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रार्यासह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन की १३ वीं रिपोर्ट आज राज्य के मुख्य मंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत विचारार्थ है। इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखे हुए काफी समय हो गया और इस सदन के पिछले अधिवेशन में मैंने यह मोशन मूव किया कि इसको विचार विमर्श के लिये लिया जावे। लेकिन उस समय नहीं लिया गया। यह रिपोर्ट २१ मार्च, ६३ तक की रिपोर्ट है। अभी सदन में सन् ६४ की रिपोर्ट आ जानी चाहिये थी। जबकि आपकी सन् ६५ की रिपोर्ट प्रोग्रेस में है। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, यह १२ वीं रिपोर्ट आई है और पिछले चार वर्षों में केवल दो ही रिपोर्टों पर विचार विमर्श हो सका है जबकि विधान के मुताबिक विधान सभाओं में इन रिपोर्टों पर बकायदा डिस्कशन होना चाहिये। लेकिन सरकार क्या समझती है, इसका उत्तर स्वयं यह रिपोर्ट, सरकार की सर्विसेज़ के सम्बन्ध में जो नीति है, उनके अपोइन्टमेंट के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, उनके प्रोमोशन की क्या नीति है, सर्विसेज़ के रूल्स और रेगुलेशन्स की क्या नीति है और कुल मिला कर सर्विसेज के सम्बन्ध में नीति है इन सारी बातों का चित्र, यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगर इस रिपोर्ट को देखी जावे तो जिस प्रकार से इस रिपोर्ट में लिखा गया है वह राज्य सरकार के लिये काफी एलार्मिंग होना चाहिये बल्कि जनरल ओब्जरवेशन्स में पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है और वह यहां तक कहने के लिये मजबूर हो गया है कि उनके द्वारा दिये हुए निर्णयों की अवहेलना हुई है और जो कमीशन ने एडवाइस दी है उस पर सरकार द्वारा अमल नहीं किया गया है। यह एक गहराई की स्थिति पैदा होती हुई चली जा रही है।

Page No 88

(श्री योगेन्द्रनाथ हाडा)

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं १३ वीं रिपोर्ट के सम्बन्ध में अर्ज करूं मैं यह कहूंगा इस रिपोर्ट को बनाने के सम्बन्ध में कि पिछले तीन ग्रौर वर्षों में काफी दोषों की वृद्धि हुई है ग्रौर इस रिपोर्ट के अनुसार चार सदस्यों में से दो सदस्य बहुत लम्बी छुट्टी पर रहे हैं। कम बैठकों के बावजूद भी १३ वीं रिपोर्ट में सबसे ज्यादा केसेज डिसाइड किये गये हैं इसको मैं मानने के लिये तैयार हूं। मैं ग्रापको बताना चाहता हूं कि सन् ६१-६२ में २१५ दिन बैठकें हुईं उसके मुकाबले में १३ वीं रिपोर्ट में ६२-६३ में १६४ दिन की बैठकें हुईं।

सन् ६१-६२ में ३०० केसेज डिसाइड किये।
सन् ६२-६३ में ३३० केसेज डिसाइड किये।
मैं तो यहां तक कहूंगा कि उन्होंने सरक्यूलेशन ग्रोफ फाइल के जरिये ५४ बैठकें की लेकिन इसके साथ साथ जो शिक्षार्थी कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स में जो डाइरेक्ट एग्जामिनेशन में और दूसरे किस्म के एग्जामिनेशन्स में स्टुडेन्ट्स बैठे उनके ग्रांकड़े मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कम आए हैं क्योंकि सिलेक्शन, एग्जामिनेशन्स डिफरेन्ट विभागों में लोगों को ट्रेनिंग में भेजने के लिए, उनके एग्जामिनेशन्स बड़े कम आये हैं ग्रौर मैं उनके ग्रांकड़े ग्रापको बताता हूं।

६०--६१ में १२२३।

६२--६३ में ३८८।

लेकिन इस वर्ष ये आंकड़े २१६३ हैं।

डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट में ४००१ से घट कर २८६३ पर ही रह गया। उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन कहां तक जिम्मेदार है यह इस बात से प्रकट हो जाता है कि सरकार ने कई विभागों के रूल्स बना कर नहीं भेजे, जिससे कई डिपार्टमेंट्स के एग्जामिनेशन्स होल्ड नही किये जा सके। कई जगह तो ऐसी स्थिति आई कि गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोर्टेन्ट अमेंडमेंट्स, केन्डिडेट्स की एप्लीकेशन्स मिलने की आखिरी तारीख के बाद में, केन्डिडेट्स की एलिजिबिलिटी के बारे में निकाले, हिन्दी इंग्लिश थर्ड ग्रेड स्टेनोग्राफर्स के कम्पिटीटिव एग्जामिनेशन्स राजस्थान सेक्रेटेरियेट के लिये और सबोर्डिनेट ग्राफिसेज़ के लिये ३० जून, १९६२ और २७ अगस्त, १९६२ को नोटिफाई किये गये पर एप्लीकेशन्स की लास्ट डेट के बाद में और एग्जामिनेशन लेने की तारीख से थोड़ा पहले गवर्नमेंट द्वारा अमेंडमेंट किये गये, जैसे २५ को इम्तिहान होंगे, लास्ट डेट निकल गई, लोगों ने पैसे जमा करा दिये, उन्होंने स्टडी की, समय नष्ट किया उसके बाद केन्डिडेट्स की इलिजिबिलिटी के बारे में इम्पोर्टेन्ट ग्रमेंडमेंट्स कर दिये और स्थिति यह हुई कि ११६ ग्रौर १६० केन्डिडेट्स को फीस लौटानी पड़ी। यह सब इसलिए हुग्रा कि समय पर रूल्स में अमेंडमेंट्स नहीं किये गये। तहसील रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट्स के एग्जामिनेशन्स के लिये रेवेन्यू बोर्ड ने कमीशन को रिक्विजिशन भेजा पर रूल्स नहीं बने थे इसलिये एग्जामिनेशन्स नहीं होसके। गवर्नमेंट ने अकाउन्टेन्ट्स के एग्जामिनेशन्स होल्ड करने के लिये कमिशन को रिक्विजिशन भेजा पर नियमों के ग्रभाव में एग्जामिनेशन्स नहीं हो सके ग्रौर इस प्रकार राज्य के नौजवानों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को, जीनियेसस को, पढ़े लिखे लोगों को सरकार ने अपनी शिथिलता के कारण राज्य को, देश की सेवा करने से वंचित रखा, केवल इसी कारण कि समय पर रूल्स रेगुलेशन्स नहीं बनाये। उनकी स्थिति गम्भीर होती चली जा रही है।

पब्लिक सर्विस कमिशन ने पहले की साल की ३७६५ पोस्ट्स के अगेन्स्ट में इस साल केवल १२७६ पोस्ट्स एडवरटाइज की, इनमें भी ७२७ पहले की साल की जिनका रिक्विजिशन पहले की साल में प्राप्त किया गया था वे शामिल थीं। इस कमी का कारण कमीशन द्वारा यह बताया गया है कि जहां ३४३ पोस्ट्स के रिक्विजिशन विगत वर्षों में कमीशन को प्राप्त हुए, उनमें से १७५ वापिस रिक्विजिशनिंग ओथोरिटीज को रिटर्न कर दिये गये क्योंकि प्रोपर रूल्स रेगुलेशन्स नहीं थे। इन १२७६ पोस्ट्स की रिक्विजिशन्स बार-बार मांगने पर भी उनकी गलतियों को सुधार कर नहीं भेजे गये।

कमिशन के पास ४६६६ एप्लीकेशन्स रिसीव हुई ११०५ पोस्ट्स के लिये। ३११६ केन्डिडेट्स को इन्टरव्यू के लिये काल किया गया, उनमें से २०४३ इन्टरव्यू के लिये अपीयर हुए, उनमें से ४०८ सेलेक्ट हुए और उनके अपोइन्टमेंट के लिये अपोइन्टिंग ओथेरिटीज को रिकमण्ड किया गया। ४६६६ केन्डिडेट्स में से केवल २०४३ का इन्टरव्यू लिया गया, बाकी को बिना इन्टरव्यू के ही रिटर्न कर दिया। इसके अलावा २६५ जोब्स इस प्रकार की थीं जो कि पब्लिक सर्विस कमिशन के लिमिटेशन्स एण्ड फंक्शन्स के रेगुलेशन में अमेंडमेंट कर देने के कारण या विथड्रा कर लेने के कारण, उसके अगेन्स्ट में सेलेक्शन नहीं किया जा सका। सेवन्थ रिपोर्ट से थर्टीन्थि रिपोर्ट तक के आंकड़ों का मैंने अवलोकन किया है जिसमें ऐसी गम्भीर स्थितियां हैं कि पब्लिक सर्विस कमिशन अपोइंटमेंट कर देता है, वर्ष गुजर गये, उनको जोब्स नहीं मिली है। कमीशन लगातार पोइन्ट आउट करता रहा है, पर इर्रेगुलेरिटीज को दूर नहीं किया गया है, टाइम पर एक्स्टेन्शन नहीं मांगा गया है, हजारों की तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, मैं धीरे धीरे सदन के सम्मुख समय रहा तो प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन इससे पहले कि इन आर्डिनरी डिलेज़ के केसेज़ को सदन में रखूं, मैं ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स रखना चाहता हूँ सदन के सामने कि केन्डिडेट को सेलेक्ट कर लिया, अपोइंटमेंट के लिये भेज दिया पर उसका एम्प्लायमेंट नहीं हुआ, ५७ की २६ जून से अब तक अपोइन्टमेंट नहीं हो पाया है। चीफ सेक्रेटरी को पब्लिक सर्विस कमिशन ने लेटर लिखे हैं पर वह केन्डिडेट घूम रहा है, वह स्मिथरी का केन्डीडेट है। मैं, माननीय सदस्य जो सरकार की वकालत कर रहे थे, उनसे निवेदन करूंगा कि वे जरा गौर फरमावें। २६ जून १९५७ को एक व्यक्ति बाकायदा नोटिफिकेशन के बाद अपोइंट कर दिया, अगस्त २२, १९५७ में विभाग से पूछा, डायरेक्टर आफ सोशियल वेलफेअर से पूछा कि क्यों नहीं अपोइन्ट किया, १२ अक्टूबर, १९६१ को जवाब आया, डायरेक्टर से कि अपोइन्टमेंट नहीं हुआ, दुबारा पूछा कि क्यों नहीं अपोइन्टमेंट हुआ तो डायरेक्टर साहब फरमाते हैं कि २६ जून, १९५७ में जब उस व्यक्ति का अपोइन्टमेंट हुआ था तो उस समय वहां डाय-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रेक्टर का बोर्ड में होना आवश्यक था, चूंकि मैं वहां बोर्ड में नहीं था। इसलिये यह रेगुलर अपोइन्टमेंट नहीं माना जा सकता। ९ मई, १९६२ को डायरेक्टर साहब को वापिस कमीशन के द्वारा लिखा गया कि २९ जून, १९५७ को रिमथरी इन्स्पेक्टर का अपोइन्टमेंट हुआ उस समय आप बोर्ड में बाकायदा मौजूद थे आपकी सलाह से अपोइन्टमेंट हुआ है। इसके बाद डायरेक्टर साहब का जवाब नदारद।

१९६२ में पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा कि यह क्या मामला है, क्यों नहीं अपोइन्टमेंट हो रहा है आज तक? चीफ सेक्रेटरी ने जवाब नहीं दिया है और वह रिमथरी का इन्स्पेक्टर आज भी अनअपोइन्टेड घूम रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपका कोई भाई-बन्धु तो नहीं था?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा कोई भाई-बन्धु नहीं। वैसे देखा जाय तो सारा विश्व मेरा भाई बन्धु है।

एक दूसरे केस में सुपरिन्टेन्डेन्ट बेसिक एग्रीकल्चर स्कूल, उदयपुर के लिये ११ नवम्बर, १९५५ को रिक्विजिशन भेजा गया। उस रिक्विजिशन फार्म में टेम्प्रेरी या पर्मानेन्ट का कालम नहीं था। पेन्शनेबल जोब बताया, और पेन्शनेबल जोब को पब्लिक सर्विस कमिशन ने पर्मानेन्ट माना। उसका अपोइन्टमेंट कर दिया पर टेम्परेरी रखा। पब्लिक सर्विस कमिशन ने कहा कि इसको आपके रिक्विजिशन के माफिक पर्मानेन्ट होना चाहिये, आप इसको पर्मानेन्ट कीजिये। पर उसे टेम्प्रेरी ही रखा। उसके बाद उस व्यक्ति का डिपार्टमेंट चेंज हो गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डवेलपमेंट डिपार्टमेंट में चला गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डवेलपमेंट डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट्स को लिखा कि इसकी पर्मानेन्ट जोब की जाय, पर नहीं की गई। आज तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डवेलपमेंट डिपार्टमेंट यह डिसाइड नहीं कर पाये हैं कि उसकी जोब पर्मानेन्ट होनी चाहिये या नहीं; जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी डेफिनेट राय दे दी है कि इसे पर्मानेन्ट करना चाहिये।

पब्लिक सर्विस कमीशन का टेक्निकल जॉब्स और एज्यूकेशनल जॉब्स के सम्बन्ध में डेफिनिट व्यू था, जिसको पब्लिक सर्विस कमिशन ने अपनी ११ वीं रिपोर्ट में प्रकाशित किया। मैं उनके व्यू से सेंट परसेंट सहमत हूं। वह व्यू था :

"The Commission did not however agree to the substitution of the criterion of Seniority-cum-merit in the Rajasthan Educational Service College branch. They advised the Government if greater importance was attached to the seniority than merit.........

यही का यही एटीट्यूड टेक्निकल जोब्स के सम्बन्ध में होना चाहिये पर सरकार का क्या एटीट्यूड है, इस सम्बन्ध में ग्लेयेरिंग

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एग्जाम्पल सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

नवम्बर १९५९ के अन्दर डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर के कहने के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन ने रेन्डरपेस्ट कन्ट्रोल इन्स्पेक्टर की दो जॉब्स अनाउन्स की जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बोटोनी और ज्यूलोजी रखी । केन्डीडेट्स केवल दो आये जो कि स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन्स फुल फिल नहीं करते । पब्लिक सर्विस कमीशन ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया । डिपार्टमेंट को यह एडवाइस की कि दो आदमियों को फिक्स अप कर लिया जाय । २ दिसम्बर, ६० को कमीशन ने डिपार्टमेन्ट से पता किया कि दो आदमी फिक्स अप कर लिये या नहीं । डिपार्टमेन्ट ने कोई जवाब नहीं दिया । जनवरी ६, १९६१ को कमीशन ने फिर डाइरेक्टर को लिखा । जवाब दिया कि बोटेनी और ज्यूलोजी कर दिया जाय । चाहिये था बोटेनी एन्ड ज्यूलोजी । मारने चुहे । उसके लिये बोटनी बी. एस-सी. होना चाहिये ? डिपार्टमेन्ट ने बोटेनी के दो ग्रेजुएट्स अपोइंट कर लिये । पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्री नहीं किया । पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा इस सम्बन्ध में केन्डीडेट्स नहीं मिलते हैं तो एट्रेक्टिव सेलेरी कर दें जिससे बोटेनी एन्ड ज्यूलोजी में आ जाय । २९ दिसम्बर, ६१ को डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने तो दो उसी प्रकार के केन्डीडेट अपोइन्ट कर लिये हैं जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन्स नहीं रखते थे । इसके साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन को यह देख कर बहुत ही हैरानी हुई कि २ दिसम्बर, ६० से ही उन दोनों का अपोइन्टमेन्ट हो चुका था । पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने डिपार्टमेन्ट ने उन दोनों केन्डीडेट्स को अपोइन्ट करके उनको एडजस्ट करके क्वालिफिकेशन्स चेन्ज करने की बात कही । आदमी को लगाते हैं उसके एडजस्टमेन्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी उसके अनुसार एडजस्ट की जाती है । कार्य को चलाने के लिये व्यक्ति को नहीं लगाते हैं ।

ग्रोस इर्रेगुलेरीटीज़ में एक केस ऐसा भी हुआ कि कोआपरेटिव विभाग का इन्स्पेक्टर टेक्सेशन विभाग के अन्दर अपोइन्टमेन्ट चाहता है । पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवाइस सीक की । उसने रिफ्यूज कर दिया कि यह किसी प्रकार का प्रमोशन आदि का केस नहीं हो सकता लेकिन उसके बावजूद भी कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर महोदय को एक्साइज विभाग में इन्स्पेक्टर लगा दिया जाता हैं । पैथोलोजी का सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिये हिन्दी का एम. ए. जा सकता है । जिस जगह ज्यूलोजी की जरूरत है, बोटेनी का आदमी एडजस्ट हो जाता है । व्यक्ति के लिए उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार क्वालिफिकेशन को एडजस्ट किया जाता है न कि किसी कार्य के लिए उस कार्य की योग्यता के लिये उस योग्यता को एडजस्ट किया जाय । अगर मैं इस प्रकार के केसेज को कोट करूं तो अधिक केसेज हो जावेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन एक चीज अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा । वह चीज है उन टेम्परेरी

Page No 92

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सर्विसेज़ वालों के लिये जिनकी स्थिति काफी दुर्लक्ष्यपूर्ण होती चली जा रही है । केसेज़ ग्रॉफ टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स जो कि १९६१-६२ में ४४२६ थे वे १९६२-६३ में ४४९६ हो गये । उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ वे केसेज़ भी डिले होते जा रहे हैं और उसके सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने ही वर्ड्स में सदन के सामने रखना चाहता हूं जो मेरे विचार में काफी कीमती शब्द हैं :

"It was mentioned in the last two Reports of the Commission that the provisions of the said regulation were honoured by the appointing authorities more in the breach than in the observance. The year under report was no exception. The various circulars and instructions issued by the Government in this behalf from time to time proved quite infructuous. Not only were the references to the Commission inordinately delayed but even the particulars furnished to them were so scanty that they could not decide the cases without a prolonged correspondence with the appointing authorities for collecting the usual information. This was so, despite the fact that the Commission had simplified the matter by introducing a proforma for furnishing such information while asking for extension. The resultant delay in the diposal of such cases caused a hardship to the Government servants who had to go without salaries for months together for want of the concurrence of the Commission. Apart from references being late and infoimation being incomplete, instances were not lacking where unqualified persons were appointed by the appointing authorities for no valid reasons. Naturally, the Commission could not accord concurrence in such cases."

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अन्त में केवल एक चीज कहनी है कि राज्य के इस कमीशन के अन्दर एल. एल. जोशी चैयरमैन रहे उस सम्बन्ध में सदन के लोगों ने एतराज किया । मैं उस बात से नहीं लेता । एल. एल. जोशी चैयरमेन रहे । डाक्टर भारद्वाज का अपोइन्टमेंट हुआ । डाक्टर भारद्वाज माइक्रोस्कोप को चुरा लें, चोरी कर लें माइक्रोस्कोप की, गलत टी. ए. और डी. ए. ड्रॉ कर लें, गलत मेडीकल बिल ड्रा करें, मैं इन सबको रेफर नहीं कर रहा हूं लेकिन डाक्टर भारद्वाज पब्लिक सर्विस कमीशन को चीट करें । जब कि वे नेशनल कालेज बोम्बे में लेक्चरार रह चुके थे, कालेज की ओर से उनको अमेरिका भेजा गया जिसके लिए तीन साल की गारन्टी वहीं पर सर्व करने की रखी गई हो उस दौरान में पब्लिक सर्विस कमीशन में आये और पब्लिक सर्विस कमीशन को धोखा देकर राज्य में पैथोलोजी के डाक्टर अपोइन्ट हो जायं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मि० हांडा, आप इस केस में बिलकुल मिस्इन्फोर्म्ड हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सही हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कम्प्लीटली मिस्इन्फोर्म्ड हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन्हीं डाक्टर भारद्वाज को सस्पेन्ड किया गया और फिर उनको यह कह कर बहाल किया कि यहां टैक्निकल डर्थ थी । उपाध्यक्ष महोदय, जहां यह सब हो सकता है वहां अब आगे और कुछ होगा । पब्लिक सर्विस कमीशन इतनी अलार्मिंग रिपोर्ट्स देता है वह इस राज्य के लिए एक मीनेस होती चली जा रही है और इसीलिए कांग्रेस की बैन्चेज ने, ट्रेजरी बैन्चेज ने एक पोलिटिशियन को लाकर पब्लिक सर्विस कमीशन में डाला है । वह आदमी जो हर जगह पोलिटिकल मैदान में पिटा, उन्हीं चौधरी रामचन्द्र को पब्लिक सर्विस कमीशन में ले लिया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो पब्लिक सर्विस कमीशन में इस प्रकार के करप्शन और पोइज़न का काम करे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री निरंजननाथ आचार्य : आज ही इस आसन से ऑब्जरवेशन दिया गया है इसी संबंध में । आब्जरवेशन यह था कि जो व्यक्ति यहां सदन में न हो उसके संबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाय ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरे जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है वह व्यक्ति पी० एस० सी० के सदस्य हैं और पी० एस० सी० की सैंकटिटी को जिस सम्मान से देखा जाता है उस आधार पर उस सदस्य पर ऐसी छींटाकशी करना उचित नहीं है । यह हमारी परम्परा इस संबंध में रही है और इस आसन से कई बार आब्ज-रेवेशन्स हो चुके हैं । इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ऐसी आब्जर-वेशन्स जो पी० एस० सी० की डिग्निटी के विरूद्ध हों, ऐसी छींटाकशी से बाज आए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उप-मंत्री ने जो एतराज किया....

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण न दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने राज्य का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि पी० एस०सी०को पोलिटिशियेन्स का अखाड़ा न बनाएं । पहले ही इर्रेग्युलेरिटीज हो रही हैं, वह डिपार्टमेंट आउट ऑफ कन्ट्रोल हो रहा है, उसमें पोलिटिशियन्स न लाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : (कौलायत) यह बहस ४ बजे खत्म हो जायगी । हमारी पार्टी से कोई नहीं बोलेगा । मुझे बोलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : वे थोड़ा ही समय लेंगे ।

श्री फूलचन्द जैन : (सुजानगढ़) जन सेवा आयोग के तेरहवें प्रतिवेदन पर इस सदन में हम विचार कर रहे हैं। आयोग की प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट प्रकाशित होनी है और जहां तक संभव होता है, हम विचार करते हैं। आयोग उसमें अपने साल भर के कार्य के बारे में रिपोर्ट देता है और अपने कुछ सुझाव भी उसके अंदर दिए जाते हैं वे भी हमारे सामने आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में बोलें।

श्री फूलचन्द जैन : जितना समय है उसके अनुसार बोलने की कोशिश करूंगा।

जनसेवा आयोग की सिफारिशें या उनके काम की जो प्रोग्रेस है, उस संबंध में हम जो चर्चा करते हैं तब भी हमारा दिमाग किस प्रकार से काम करता है उसका एक चित्र हमारे सामने आता है। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि किसी भी प्रश्न को लेकर इस सदन में, चाहे बाहर, यह बताने की कोशिश की जाती है कि राज्य सरकार जो कुछ भी कर रही है वह सब गलत कर रही है, वहां पर सब प्रकार से गड़बड़ियां हो रही हैं। जनसंघ के नेता ने भी अभी सदन में इस प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह बताने की कोशिश की। पी० एस० सी० में योग्य व्यक्तियों का चयन हो नहीं पाता और उन्होंने शिक्षा के बारे में भी अपने विचार रखे और फिर भाषा के प्रश्न को हमारे सामने रखा। साथ ही उन्होंने जैसा कि पिछले दिनों से बराबर उनकी कोशिश चली आ रही है, आज कल ऐसा लगता है कि पिछड़े वर्ग की समस्याओं को जोर से उठाने में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है। बहुत खुशी की बात है कि पिछड़े वर्ग की समस्याओं की ओर हम सब का ध्यान जाय इससे किसी की नाराजगी होने का प्रश्न नहीं। जितना भला हम उनका कर सकते हैं उतना करना चाहिए।

इसी तरह से अस्थाई नियुक्तियों के संबंध में और राज्य सरकार के अन्दर जो भी काम-काज होते हैं, उन सब के संबंध में अनियमितताएं होती हैं, ये सब माननीय सदस्यों ने बताई। मैं समझ नहीं पाता, हम यहां पर बैठकर कानून बनाते हैं और कानून के अन्दर जो हमने प्रावधान रखे हैं उनके अन्दर सरकार ने नियम बनाए। उनके आधार पर सारा वर्किंग होता है। कानून हम बनाते हैं, नियम सरकार बनाती है, उनको भी हम विधान सभा के विभिन्न उपसमितियों के अन्तर्गत एग्जामिन करते हैं और इस प्रकार से डाइरेक्टली और इन्डा-इरेक्टली हमारी सहमति उनके अन्दर रहती है। फिर उन नियमों के तहत अगर सरकार काम नहीं करती है तब तो एक प्रश्न ऐसा आता है जिसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और उस संबंध में विशेषतया उल्लेख होना चाहिए कि इस प्रकार से नियमों में प्रावधान है उसके बावजूद भी सरकार ने अमुक प्रकार से गड़बड़ियां की।

जहां तक सर्विसेज के नियमों का सवाल है, मैं समझता हूं कि काफी सर्विसेज के नियम राज्य सरकार द्वारा बना दिए गए हैं, उनके अन्दर जो इन्टरव्यू हों और एपाइंटमेंट होता है, उसके अन्दर पी० एस० सी० का चेयरमेन या मेम्बर एक्सआफीश्यो चेयरमेन होता है। इस तरह से आयोग की जो प्रतिष्ठा है, उसके जो अधिकार हैं उनको

(श्री फूलचन्द जैन)

किसी प्रकार से कम करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। फिर सवाल यह आता है कि उनके अधिकार कहां पर सीमित किए जाते हैं।

मैं अधिक न कहकर सबसे पहले पिछड़े वर्ग की समस्याओं के बारे में जो माननीय सदस्य ने विचार रखे उनके बारे में कहूंगा। जनसेवा आयोग के संबंध में उन्होंने कहा कि इनके अधिकार बढ़ने चाहिए। हम कहते हैं कि जो अधिकार उचित हैं और दिए जा सकते हैं, कानून के अन्तर्गत जो आयोग के गठन का मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए जो कुछ संभव है, वह किया जाना चाहिए। एक तरफ ऐसा कहते हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार को दोष देते हैं। पिछड़े वर्ग के १२।१।२ प्रतिशत रिज़र्वेशन के बारे में बारबार कहा जाता है कि राज्य सरकार ने क्या किया? जहां तक मेरी जानकारी है, २७ या २८ फरवरी १६५६ को सरकार ने आदेश निकाले और उनमें कहा है कि जितनी वेकेंसीज़ अब तक फिल नहीं की गई है, उनके संबंध में जो रिज़र्वेशन १२।१।२ प्रतिशत रखा गया है उस रिज़र्वेशन के आधार पर उनकी तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए और फिर यह भी कहा गया है कि अगर नियुक्ति करने वाला अधिकारी अगर नियुक्ति नहीं कर पाया है तो जन सेवा आयोग से भी निवेदन किया गया है, वह उन नियुक्तियों को रिज़र्वड मानकर ११।१।२ का जो प्रोवीजन है, वह रिजर्व्ड मानकर उनकी नियुक्तियां करें। इस प्रकार के अधिकार आयोग को सरकार ने दिए हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि राज्य सरकार चाहती है कि १२ १।२ प्रतिशत जो रिज़र्वेशन रखा गया है वह फुल फिल न हो। सरकार ने तो यहां तक कहा है कि अगर उस रिज़र्वेशन में क्वालीफिकेशन्स की दिक्कतें आती हों तो उनके अन्दर रिलैक्सेशन भी किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी कहां इस बात की दिक्कत है क्यों नहीं रिज़रवेशन १२ १।२ प्रतिशत का फुलफिल हो पाता है। इस संबंध में सरकार को ही दोषी ठहराने के बजाय हम गंभीरता से विचार करें। आयोग की ऐसी मन्शा हो, यह भी हमें नहीं कहना चाहिए। परन्तु इसका गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, पहले इसके कि हम किसी को दोषी मानें कि अब तक राज्य सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं, कितने आदेश निकालें हैं और उनके अन्दर किस प्रकार से अपने विचार रखे हैं; फिर भी क्यों नहीं रिज़र्वेशन फिल अप हो पाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के १२½ परसेन्ट का प्रश्न है अगर माननीय सदस्य यह बतलाते कि अमुक प्रकार की कार्यवाही सरकार को करनी चाहिये कि जिससे इस परसेन्ट को पूरा किया जा सके, कोई ठोस सुझाव देते तो समझ में आ सकता था। पर स्लोगन के आधार पर बात करके उन पिछड़े वर्गों को यह बताना कि हम उनके बड़े हिमायती हैं और कांग्रेस नहीं हैं तो इसका असर उन पर पड़ने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) आपका तो पड़ने वाला है।

Page No 96

श्री फूलचन्द जैन : मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि सर्विसेज के बारे में कहा गया कि टेम्पोरेरी सर्विस वालों की संख्या बढती जा रही है। कन्फर्मेशन उनका नहीं होता। इसका उल्लेख करने से पहले गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। टेम्पोरेरी सर्विस किस प्रकार से बढती जा रही है, कौनसी एमर्जेन्सी अराइज हो रही है कि उनकी संख्या बढ़ी है और इसके बावजूद यह भी देखना होगा कि राजसरकार ने इसके लिये क्या एफर्टस किये हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार काफी इस में कर रही है और सरकार बराबर जागरूक है।

समय समाप्ति सूचक घण्टी

हिन्दी भाषा पर बहुत कहा गया। इसमें कोई मतभेद नहीं कि हिन्दी हमारी भाषा है और इसको जितनी जल्दी और ज्यादा व्यवहार में लाया जाय उतना ही अच्छा है, हमें काफी प्रयत्न इस दिशा में करने चाहिये।

मैं इसके लिये सरकार को एक सुझाव देना चाहूँगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हिन्दी के प्रश्न पर हमें आज इस दृष्टिकोण से सोचना होगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हम हिन्दी का व्यवहार करके आम लोगों को सुविधा दे सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रसंग में जैसा अभी मेरे एक माननीय सदस्य ने बताया। आर. ए. एस. का एग्जामिनेशन होता है उसमें हिन्दी कम्पलसरी सबजेक्ट नहीं है तो इसे निश्चित रूप से रखा जाना चाहिये। इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी उठाया गया है और हम निवेदन करना चाहते हैं कि हिन्दी कम्पलसरी सब्जेक्ट निश्चित रूप से रखा जाना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : आप पहले-उनसे 'हाँ' करवा लें।

श्री फूलचन्द जैन : जो जन-साधारण के व्यवहार में आने वाले कानून हैं उनके सम्बन्ध में जो इन्टरव्यू और एग्जामिनेशन होते हैं उनमें कम से कम एक पेपर हिन्दी में होना चाहिये।

हिन्दी का अधिक से अधिक फैलाव हो, वह प्रयोग में आवे और लोगों को इस बात की सही तौर से जानकारी हो कि उनकी सरकार का काम उनके सम्बन्धित मामलों में किस तरह से चल रहा है किस तरह से सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं; इस दिशा में प्रयत्न किये जाने चाहिये।

समय-समाप्ति-सूचक घण्टी

मैं बहुत संक्षेप में दो एक सुझाव और प्रस्तुत करना चाहूंगा।

आज आई. ए. एस के बारे में कई प्रकार की बातें कही जाती हैं। मैं राज्य सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज हमारी दूसरी सर्विसेज में यह व्यवस्था की गई है कि नीचे के काम

(श्री फूलचन्द जैन)

करते आने वालों को प्रोत्साहन और प्रमोशन दिया जाय। तो इसी तरह से ये आर. ए. एस. और आई. एस. की परीक्षाएं पास करके सीधे ऊपर से आते हैं उनको नीचे का अनुभव नहीं होता तो किया यह चाहिये कि वे जनता की सारी समस्याओं को नीचे से सही तौर से समझ कर अनुभव हासिल करें उनको सीधा कलेक्टर या एस. डी. एम. नहीं बनावें, बल्कि उनको प्रेक्टिकल फील्ड का अनुभव हासिल करने के लिये तहसीलदार या बी. डी. ओ. बनाव ताकि जनता के सीधे सम्पर्क में आकर उनके सुख दुख का अनुमब उनको हो और यह अनुभव फिर ऊपर की पोस्टों में उनका बहुत सहायक हो सकेगा। तो पांच दस साल के इस अनुभव के बाद उनको कलेक्टर या ऐसी ही ऊपर की पोस्ट पर लिया जाय। इस स्थिति में वे मासेज के के रीयल थिंकिंग को सही रूप में समझ सकें और उनकी समस्याओं को सही हल निकालने में उनको मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सुराणा से) संक्षेप में रक्खें। दस मिनिट में।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, १५-२० मिनिट का समय तो लगेगा ही क्योंकि हमारी पार्टी से किसी ने भाग नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : १५ मिनट में आप समाप्त करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमारी पार्टी ११ सदस्यों की है, एक-दो की नहीं है।

पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ विचार जाहिर किये है और इस सम्बन्ध में जो बातें कही जा चुकी हैं मैं उनको नहीं दोहराऊंगा।

सबसे पहले तो जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन के विधान का प्रश्न है और जिस तरीके से राजस्थान में यह कान्स्टीट्यूटेड है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक विशेष दृष्टिकोण से इसका निर्माण किया गया है और वह दृष्टिकोण यह रहा है कि जितने भी अधिकारी मुख्य सचिव से सीनियर थे उन सबको इसमें बिठा दिया गया ताकि···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मुख्य सचिव से क्या मतलब ? सीनियर कौन ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यही मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य सचिव से सर्विस में सीनियर पड़ते थे उन लोगों को लाकर इसमें बिठा दिया। और उनको बिठाने में आउट वर्ड शो तो यह रहा है कि हमने उनको एक बहुत ऊंचे पद पर भेज दिया है पर इसके पीछे इन्टेन्शन यह रहा है कि मुख्य सचिव जो आज हैं उनसे कोई सीनियर आदमी एड-मिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में न रहे। वह यदि रह गया तो उसका क्लेम चीफ सेक्रेटरीशिप का रह जावेगा, पर हमारे मुख्य मन्त्रीजी नहीं चाहते कि इनके सिवाय और कोई दूसरा आदमी चीफ सेक्रेटरी के पद पर आ पावे, इसलिये यह आउटवर्ड शो किया गया। मिस्टर हूजा, बी. एल. रावत और एक सदस्य

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं जो तीनों मुख्य सचिव से सीनियर हैं। एक है के. पी. यू. मेनन। उनको भी इसीलिए स्टेट से बाहर स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन में भेज दिया कि अगर ये यहां रहे तो उनका क्लेम चीफ सेक्रेटरीशिप के लिये रहेगा और मुख्य मन्त्रीजी नहीं चाहते कि मुख्य सचिव के पद के लिये झगड़ा खड़ा हो और भारत सरकार को रिप्रजेन्टेशन जाने और भारत सरकार इसमें कुछ इन्टरफीयर करने की स्थिति में बने। इसलिये उनको उधर भेज दिया और इनको स्टेट ट्रेडिंग कोर्पोरेशन में बिठा दिया।

(:४ म. प.)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस दृष्टिकोण से जो पब्लिक सर्विस कमिशन कांस्टीट्यूट किया हुआ है उसमें जो इन्टेन्शन रही है जिस तरीके से उसको कांस्टीट्यूट करने को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन्टेन्शन सारा का सारा बोनाफाइडी नहीं रहा है। उसमें यह प्रवृत्ति भी रही है कि किस तरीके से राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ पर मुख्य मत्री जी का खुद का कन्ट्रोल कम्पलीट रहना चाहिए और उसमें कोई इन्टरफियरेन्स दूसरों का या ऐसे लोगों का जो कि मुख्य मंत्री जी के विशेज के अनुसार कार्य नहीं कर सकते ऐसे लोग मुख्य सचिव के पद पर नहीं रहने चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में भी सदन यह देखगा कि इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी बहुत से आब्जर्वेशन्स दिये हैं और जो आब्जर्वेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो इस रिपोर्ट के आखिर में उन्होंने किया है वह आब्जर्वेशन किया है :

"They are, however, becoming increasingly conscious of the fact that, apart from genuine non-acceptance of the advice of the Commiss' ion, the Government Departments are developing a tendency to avoid a reference to the Commission, even where such a reference is indicated by the rules, or to render such a reference infructuous by delaying it or withholding relevant information over long periods or not acting in accordance with the advice of the Commission within a reasonable time."

ये आब्जर्वेशन्स हमारे नहीं हैं यह आब्जर्वेशन पेज ३५ पर पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में हैं और मुख्य मंत्रीजी ने उसको पढ़ा होगा यदि नहीं तो दुबारा मुलाहजा करें। यह आब्जर्वेशन उनका है जो कि हाइएस्ट पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन में होल्ड कर रहे हैं और यह रिफ्लेक्शन आपकी सरकार का जो उन्होंने दिया है यह अपने आप में एक कहानी है जो कि उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में लिखी है। मैं यह कहना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष, महोदय कि किसी एक इन्सटान्स को ले लें। उन्होंने जहां लिखा है कि डाइरेक्टर ऑफ सर्जरी, इन्चार्ज मोबाइल सर्जीकल और उसके साथ ही साथ प्रिन्सिपल आर० एन० टी० मेडीकल कॉलेज, उदयपुर इनका विज्ञापन अखबार में पढ़ते हैं। विज्ञापन क्या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से फार्म ले लो और इन इन पदों के लिए आप लोग नौकरी के लिए एप्लाई कीजिए। पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि बड़े ताज्जुब की बात है हमको तो पता नहीं कि डाइ-

Page No 99

(श्री मनिकचन्द सुराणा)

रेक्टर सर्जरी की पोस्ट कब क्रियेट हुई और किसको वह पोस्ट दे दी गई और पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस एडवर्टाइजमेंट को विद्ड्रा करने के लिए लिखा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह और कोई नहीं हो सकने सिर्फ डा० बी० एन० शर्मा के अलावा। क्योंकि मुख्य मंत्रीजी की उसके ऊपर पूरी मेहरबानी है और बी० एन० शर्मा कितनी पोस्ट होल्ड करते थे। वे उदयपुर में बैठे हुए प्रिन्सिपल आर० एन० टी० मेडीकल कॉलेज हैं, डाइरेक्टर ऑफ सर्जरी जयपुर के मेडीकल कालेज के और इन्चार्ज मोबाइल सर्जीकल यूनिट्स जो कि सारे राजस्थान में घूमता फिरता है उसके भी वही इन्चार्ज हैं। ३ पदों पर एक ही व्यक्ति नियुक्ति है और पब्लिक सर्विस कमीशन को मालुम नहीं है कि उनकी पोस्ट कब क्रियेट हुई और कब एडवर्टाइजमेंट निकला तो उनको मालूम हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोगों को जो बैठा दिया जाता है जिसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है यह यूनीवर्सिटी के रूल्स के अनुसार, मेडीकल सर्विस के रूल्स के अनुसार जिनको प्रिन्सिपल नहीं बनाया जा सकता था उनको यह पद दिये गये। यह सब साफ तौर से पब्लिक सर्विस कमीशन ने आब्जर्व किया तो हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने जब आब्जर्वेशन हो रहा है और जब यह झगड़ा चला तो उन्होंने मेडीकल कालेज के सर्विस रूल्स में ऐसी रद्दोबदल की कि जिन इन्कम्बेन्ट के झगड़े हैं और सरकार नहीं चाहती कि वे वहां से हटें उनके लिए रूल्स बना दिये कि जो एक्सपीरियेन्सड हैं उनका ५० परसेन्ट कालेज में टीचिंग का एक्सपीरियेन्स ट्रीट कर लिया जायेगा, मेडिकल विद्यार्थियों को पढ़ाने का मान लिया जायेगा जबकि उन्होंने एक दिन नहीं पढ़ाया। तो कानून के द्वारा फिक्शन बनाया गया कि उनकी डाक्टरी की सेवाओं में ५० परसेन्ट विद्यार्थियों को पढ़ाने की योग्यता मान कर उनका अपाइन्टमेंट कर लिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब धींगा धींगी इस बात से अराइज होती है कि आप अपने ही आदमियों को सब जगह रखना चाहते हो। यह सदन में चार्ज आता है कि सरकार को हाईकोर्ट में भरोसा नहीं, सरकार को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भरोसा नहीं और चूंकि सरकार को पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूरा भरोसा नहीं है इसलिए उनकी एडवाइज भी हमारी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक इन्सटान्स तो मैंने यह डाइरेक्टर ऑफ सर्जरी का दिया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सहकारी विभाग को ले लें। यह पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट मुख्य मंत्रीजी ६ साल की देख लें यह सब जाती जागती कहानी है कि इस सहकारी विभाग में क्या हुआ। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार आपके मथुरादासजी माथुर के भाई, आपके कुम्भारामजी के जवाई और तीसरे जो पहले कभी होम मिनिस्टर थे श्री रामकिशोरजी व्यास उनके भतीजे हैं। इस तरह के लोग जिनके लिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन कहे कि उन पदों पर रह नहीं सकते लेकिन आपकी सरकार ५ साल तक उनको बनाये रखे और फिर डिप्टी रजिस्ट्रार बना दें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तो आप यह कर सकते हैं लेकिन यह भी मुख्य मंत्री

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जी ग्राप याद रखिये कि आज नहीं तो कल यदि कोई कमीशन आपके विरुद्ध कभी बैठ गया तो मुख्य मंत्रीजी इन कुम्भारामजी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इन मथुरादास जी माथुर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, यदि कोई हमारी चार्जशीट ग्राने वाली है तो आपके खिलाफ आने वाली है । यह मिस-यूज़ ग्रॉफ पॉवर्स सारा ग्रापके विरुद्ध कन्सन्ट्रेट होगा इसलिए मुख्य मंत्रीजी मैं ग्रापको आगाह करना चाहता हूं यह एड-मिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में बावजूद पब्लिक सर्विस कमीशन के रिपोर्ट के आप कुछ नहीं सुनें, कुछ कार्यवाही नहीं करना चाहें और ग्रापके जो मंत्रीगण हैं जो ग्रापके सहभागी हैं आपकी सत्ता में उनको खुश करने की नीयत से जब उनके रिश्तेदारों को बड़े बड़े पदों पर नियमों की अवहेलना करके और सर्विसेज़ में असंतोष करके बैठा रहे हैं इससे राजस्थान में गलत परम्परा तो कायम होती ही रहती है परन्तु इससे ग्रापकी सत्ता के अन्त की शुरुग्रात हो रही है, यह भी मैं ग्रापको निवेदन करना चाहता हूं ।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने एक घटना सहकारी विभाग के बारे में और डाइरेक्टर सर्जरी, प्रिन्सिपल ग्रार०एन०टी० मेडीकल कालेज के लिए निवेदन किया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कौन-सा ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन ऐसे हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट हैं कि जिनके विरुद्ध इस तरह के सीरियल इर्रेगुलेरिटी और इल्लीगेलिटी की शिकायत पब्लिक सर्विस कमिशन ने नहीं की । कोई आदमी कोआॅपरेटिव विभाग में सर्विस करता हो उसके मन में आ जाये कि एक्साइज़ एण्ड टेक्सेशन में यदि इन्सपेक्टर बन जायें तो उसमें खूब घूंस मिलती है और कोआॅपरेटिव में इन्सपेक्टर रहने से क्या होता है । यह किसी के मन में ग्रा जाये और यदि कोई रिश्तेदार हो किसी मंत्री का या किसी बड़े अधिकारी का तो वह आदमी दर्ख्वास्त दे दे और वहां ले लिया जाये पब्लिक सर्विस कमीशन कहे कि इसको नहीं ले सकते क्योंकि यह कोई इन्टीग्रेशन ग्रॉफ सर्विसेज़ का प्रश्न नहीं है, यह एब्जार्पशन का सवाल नहीं है और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर इस तरह से नहीं हो सकता, ग्रापके यहां कोई पोस्ट खाली हो तो बतायें हम उसका विज्ञापन करेंगे और उस वक्त में यह महानुभाव भी अपनी दर्ख्वास्त दें तो नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी । लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे कुछ भी कहता हो लेकिन उसके दौरान में उन्हें इन्स-पेक्टर बना दिया और जब कोई शिकायत करे तो यह कह दें कि यह तो एम. ए. सेकिण्ड क्लास है और जब ग्राप एग्जामिन करेंगे तो हमने सोचा कि इसको ग्राप कन्फर्म कर ही देंगे । इसलिए हमने प्रावीजनल अपाइन्टमेंट कर दिया । यह धींगा-धींगी जो राजस्थान में चल रही है और जिसके ऊपर हमारे नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्णन हैं यह मैं करना चाहता हूं, कि बहुत गंभीर मामले हैं । यह इसकी ओर इशारा है कि हमारी प्रशासनिक सेवाओं में क्या हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं कि किन्हीं मुद्दों पर सरकार कोई वैलिड रीजन्स हों, वैलिड ग्राउंड्स हों, कुछ गुड रीजन्स हों तो पब्लिक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सर्विस कमीशन की रिकमन्डेशन से डीसेन्ड कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक बात में छोटी से छोटी बात में डीसेन्ट हों जायें, नहीं मानी जाये, इन्डीविजुअल केसेज़ में नहीं मानी जाये तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परा अच्छी नहीं है। जहां सैंकड़ों और हजारों इम्पलाईज का सवाल हो पब्लिक सर्विस कमीशन दूसरा एटीट्यूट ले ले तो उस हालत में सरकार डीसेन्ट कर सकती है लेकिन छोटे छोटे केसेज़ में डीसेन्ट करना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के लिए शोभनीय नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेनल्टीज़ का सवाल है, कुछ सरकारी कर्मचारी अनियमितताएं करते हैं अपने एक्शन्स के अन्दर उनको सरकार किस तरह से पेनेलाइज़ करती है और किस तरीके से राजस्थान में आज वे पेनल्टीज़ की जाती हैं ? किसी बेचारे ने ६ महीने में वे टूर कर लिए जो उसको सारे साल में टूर करना है उस अधिकारी को तो सजा यह दी कि उसका इन्क्रीमेंट रोक दिया जाय, और कोई यदि २००) रुपये में अजमेर की दरगाह की जमीन को डिप्टी कलेक्टर जागीर के पद पर होते हुए भी, मुख्य मंत्री जी, यदि ले लें तो हमारी सरकार उनको सजा नहीं दे पायेगी । मैं नाम बताता हूं । इसके मेरे पास डिटेल्स हैं । श्री जी० के० भगत आपके यहां आइ० ए० एस० ऑफिसर हैं । जब वे डिप्टी कलेक्टर जागीर अजमेर में थे उस वक्त में एक दरगाह की जमीन, ख्वाजा दरगाह की जमीन, दो बीघा जमीन केवल २००) रु० में ले ली । उस वक्त उस ख्वाजा दरगाह की एप्लीकेशन कम्पेन्सेशन की उनके सामने पेंडिंग थी, और वह जमीन दो बीघा जो उन्होंने ली उस दो बीघा जमीन की कीमत, मार्केट वैल्यु से २० हजार रुपये होती थी। उसको २००) रु० में ले लिया। और ऐसा किया है कि जिस तारीख को १-७-५८ को चूंकि वह जागीर सारी रिज्यूम होती थी गवर्नमेंट में इसलिए १-७-५८ की उस पर्टीक्यूलर डेट के परव्यू से अपने आपको बाहर रखने के लिए २ बीघा जमीन ५-६ दिन पहले का ट्रांजेक्शन दिखा कर ले ली और ट्रान्जेक्शन उसके पहले का दिखाते हैं, मुख्य मंत्री जी, इसलिए कि कोई रजिस्टर्ड डाक्युमेंट नहीं है। हिन्दुस्तान का कानून कहता है कि १००) रु० की इम्मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रान्सफर हो तो रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाय, उसको दर्ज कराया जाय, लेकिन वे आई० ए० एस० ऑफिसर कानून की उतनी सी भी परवाह नहीं करते हैं। परवाह कैसे करते ? इन्होंने बाद में खरीददारी की और पुरानी डेट में उसको दिखाया है। खुद डिप्टी कलेक्टर, जागीर अपने आप उसके परव्यू से बाहर रखना चाहते हैं। आपकी सरकार में रिपोर्ट हुई तो आपकी सरकार ने क्या व्यू लिया। आपकी सरकार ने इस बात को माना है—

"Morever, you took two bighas of agricultural land and you intended to use it as such. As is evident from your application dated 31st March, 1958, the price paid by you for the aforesaid land was much below its market price. It was a mistake on your part to have taken

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

the land on lease from the Durgah, when it was a party before you; but since no malafide motive has been proved, the Government has been pleased to administer only a warning to you.

You should be more careful in future.

मुख्य मंत्रीजी, २० हजार की जमीन...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): लैण्ड का क्या हुआ ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि उस जमीन का क्या हुआ ? जमीन के लिए जब झगड़ा चला तो उन्होंने लिख दिया, तहसीलदार को यह दर्ख्वास्त दे दी कि यह जमीन जो दरगाह ने मुझे दी है वह मैं उसको वापिस रिकन्वे करता हूं, लेकिन रिकन्वे करने में जमीन जो लिखी है उनके नम्बर अलग हैं। जिस जमीन की उन्होंने दर्ख्वास्त दी है कि यह मैं रिकन्वे करता हूं उसके नम्बर अलग हैं और उस दर्ख्वास्त को तहसीलदार के पास भेज दिया। तो रिकन्वेंस भी इल्लीगल है। रिकन्वेंस वापिस बिना रजिस्टर्ड डाक्युमेंट के नहीं हो सकता है। उस इल्लीगल डाक्युमेंट के जरिये यदि रिकन्वेंस किया जाय तो वह नाजायज है, नहीं कर सकते हैं। वह इसलिए भी नाजायज है कि वह जमीन आज भी रेवेन्यू के कागजों में जी० के० भगत के नाम से खाते पर है। मुख्य मंत्रीजी, उनके नाम पर स्टैण्ड करती है। वे अपना नाम जी० के० भगत लिखते हैं और दर्ख्वास्त में नाम दिया है गोदूमल। और, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ताज्जुब की बात क्या है कि उस दरगाह को रुपये नहीं दिये गये। उन दो सौ रुपयों के लिए यह कहा कि यदि दाखिल खारिज हो गया तो दाखिल-खारिज होने के बाद, जब जमीन का दाखिल-खारिज रेवेन्यू के कागजों में कर दिया जायेगा तब २००) रु० दिये जायेंगे। यह किस कारण से ? उपाध्यक्ष महोदय, यह इस कारण से किया गया है कि दरगाह में भी रोजाना का एकाउन्ट रहता है। दरगाह बहुत बड़ी है उसका एकाउन्ट मेन्टेन किया जाता है। चूंकि रुपये उस तारीख में नहीं दिये गये जिस दिन की यह कागज लिखा है नहीं तो वहां एकाउन्ट में दिखाये जाते। इसलिए यह कहा गया कि जिस दिन दाखिल-खारिज हो जायेगा कागजों में उस दिन २००) रु० दे दिये जायेंगे।

आपके आई० ए० एस० ऑफिसर की केडर के लोगों के यह कारनामें हैं। उनके सामने कागज आ जायं और २ बीघा जमीन जिसकी मार्केट वेल्यू चूंकि वह अजमेर के इनहेबिटेबल एरिया के बीच में पड़ता है उसकी कीमत २० हजार रुपया है जो कि आज भी उसके नाम रेवेन्यू के कागजों में स्टैण्ड करती है ऐसे अधिकारी को आई० ए० एस० में प्रमोशन भी मिल चुका है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन रेवेन्यू के कागजों में गोदूमल के नाम से दर्ज

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नहीं हुई और अपने नाम से दर्ज करवा लिया है और आज तक कब्जा ख्वाजा दरगाह का नहीं हुआ है। यह रेवेन्यू रेकार्ड्स में साफ है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको वार्निंग दे दी गई। डिप्टी कलेक्टर जागीर के इतने बड़े कारनामे पर उनको वार्निंग देकर छोड़ दिया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार में यह इतनी बड़ी बीमारी है उस बीमारी के प्रति इतना लीनियेन्ट व्यू क्यों लेना चाहती है। आप जितने लोगों को पेनेलाइज करते हैं उनके अपने रिव्यू गजट में छापिये। आपके रिव्यूज को आप स्वयं भी यदि दुबारा पढ़ेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा कि एक केस में जितना लीनियेन्ट व्यू ले लिया और दूसरे केस में कितना स्ट्रिक्ट व्यू ले लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस जमीन को गैर-कानूनी तरीके से हासिल कर लिया उनके बारे में एक तरह से नर्म एटीट्यूड लिया जबकि आपको यह जाहिर नहीं है कि वह जमीन वापिस दरगाह को मिल गई, लेकिन वह जाहिर कैसे हो ? वहां जो कमिश्नर थे मि० मेहता। वह कमिश्नर अब रिटायर्ड हो गये। वे बीकानेर डिवीजन में भी कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह की जमीन ली कमिश्नर होते हुए। क्योंकि श्री जी० के भगत ने कहा कि यदि मैंने गुनाह किया है तो उन्होंने भी गुनाह किया है और मि० मेहता भगवन्तसिंह जी मेहता चीफ सेक्रेटरी हैं उनके मिलने वाले हैं। मुख्य मंत्रीजी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी ताकत नहीं है कि उनको कुछ कह सकें। इसलिए श्री भगत भी बच गये और मेहता साहब भी बच गये और यह जमीन इल्लीगली उनके नाम पर स्टैंड कर रही फोर्ल्ड तरीके से। यह बिल्कुल फ्राड है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी सरकार के ऊपर ऐसा काला धब्बा है कि इस धब्बे को टालरेट नहीं किया जा सकता है······

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। मुझे २–३ मिनट का समय दिया जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कहां तक इस तरह चलता रहेगा ? लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, यदि आप इन सारी घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे देश भी हैं जहां से करप्शन मिटा है और सरकार ने उसको रोका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी मुख्य मंत्रीजी यह हिम्मत करें कि नहीं इस तरह की गड़बड़ प्रशासन में नहीं चलने देंगे तो सारी गड़बड़ियें रुक सकती हैं। लेकिन आप स्वयं भी ऐसी परिस्थितियों में आयेंगे कि आप भी किसी को फेवर नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान को दो करोड़ जनता का आप भला करना चाहते हैं तो इन्डिविजुअल फेवरेटिज्म से ऊपर उठ जाइये। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन निश्चित रूप से व्यक्तिगत महरबानी नहीं कर सकेंगे, यह बात साफ है। लेकिन आप व्यक्तिगत महरबानी करना चाहते हैं और व्यक्तिगत महर-

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

बानी का नतीजा यह होता है कि ऊपर से नीचे तक वह चलती हैं। आप दो आदमियों पर महरबानी करना चाहते हैं और आपके साथी केबिनेट मिनिस्टर को मालूम पड़ता है तो वह भी एक को कर देता है क्योंकि वह जानता है कि आपने दो को किया है और आप बोल नहीं सकते हैं। उसको यह मालूम हो जाये कि आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो नहीं कर सकता है। सेक्रेटरी को मालूम पड़ता है तो दो महरबानियां वह कर देता है, वह तो ५ महबानियां कर देता है क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसलिए यदि आप इन सारी गड़बड़ियों को रोकना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को पहले प्रशासनिक सेवाओं के बारे में सारा दृष्टिकोण बदलना होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मंत्रियों के साथ में एक विभाग का दृष्टिकोण बदलता जाता है। महाराजा भालावाड़ जब प्रिंटिंगप्रेस के मंत्री थे इफ्तखारुद्दीन सुप्रिन्टेन्डेन्ट थे उनकी फाइल पर कम्पलसरी रिटायरमेंट की सजा का नोट दिया और उस कम्पलसरी रिटायरमेंट की फाइल में मेरे पास में नोट है,जिस समय महाराजा साहब मिनिस्टर इनचार्ज थे उस समय उन्होंने नोट दिया था इनके खिलाफ सारे सेक्रेटरीज़ ने नोट दिया था डिपार्टमेंटल हैड्स नोट दिया था, बहुत कुछ राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के लिए ये जिम्मेदार हैं इनका कंपल्सरी रिटायरमेंट किया जाय, इनका केस कमेटी के सुपुर्द किया जाय। क्यों नहीं कमेटी को सुपुर्द किया? इसलिये नहीं किया मुख्य मंत्रीजी कि आपने यह विभाग उनसे लेकर दूसरे मिनिस्टर को दे दिया।···

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ आप फर्मा रहे हैं वह स्कोप ऑफ दि डिबेट के बाहर है। पी. एस. सी. की रिपोर्ट की प्रोप्राइटी पर बहस हो रही है, पर मालूम ऐसा हो रहा है कि आप किसी डिमान्ड पर बोल रहे हैं।······

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं किसी डिमान्ड पर नहीं बोल रहा हूं। आप वकील ज्यादा रहे हैं इसलिये आपकी काबलियत की तारीफ करूंगा।······

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी काबलियत का कोई प्रश्न नहीं है।······

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रियों के साथ जो नीतियां बदलती हैं उन पर प्रहार करना चाहता हूं। पहले जो मंत्री थे वे इनका कंपलसरी रिटायरमेंट करना चाहते हैं, उनसे लेकर मथुरादासजी को यह विभाग दिया गया ये इफ्तखारअलीजी, जोधपुर सर्विस में रह चुके हैं इसलिये ये इनको डिप्टी डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। इनके खिलाफ ७ रिपोर्ट दी जा चुकी हैं जो एग्जामिन हो चुकी हैं,इनको चार्जशीट दी जा चुकी है फिर भी आप इनको डिप्टी डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। एक तरफ तो आपकहते हैंकि प्रोसीक्यूशन किया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जाय और दूसरी तरफ डिप्टी डायरेक्टर बनाना चाहते हैं बिना पी. एस. सी. की मंजूरी के और जो सम्मान आप इनको देना चाहते हैं वह बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज जन सेवा आयोग की इस रिपोर्ट पर जो बहस हो रही है उस बहस के दौरान में बहुत से सुझाव इस प्रकार के आये कि जिन पर सरकार को भी सोचने के लिए अवसर मिलता है। साथ ही कुछ माननीय सदस्य के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे ढांचे पर अलग अलग प्रकार से आक्रमण करने का, पक्षपात और कई प्रकार की बातें बताने का प्रयत्न किया।

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे आश्चर्य हुआ, अभी कुछ देर पहले इस बात को सुन कर, जब कोलायत से आने वाले योग्य माननीय सदस्य ने इस बात को कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर, जो लोग चीफ सेक्रेटरी से सीनियर व्यक्ति हैं, उनको भेज दिया गया जिससे किसी प्रकार से भी दूसरा चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सके इस बात को टाला जा सके। मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आई. ए. एस. सर्विस रूल्स के मुताबिक जो आई. ए. एस. सर्विस का केडर है जिन क्षेत्रों के लिए उनको नियुक्त किया जा सकता है उसके अलावा यदि कहीं भी नियुक्त करने का प्रश्न आवे तो यह उनके ओप्शन पर होता है. वे स्वयं ना कह सकते हैं, मैं अमुक जगह नहीं जाना चाहता। लेकिन जो यहां पर कहा गया, आई. ए. एस. की सीनियोरिटी लिस्ट यदि माननीय सदस्य ने देखी होती तो मैं समझता हूं यह कहने का अवसर नहीं होता कि जो लोग पी. एस. सी. में नियुक्त किये गये हैं आया वे चीफ सेक्रेटरी से सीनियर थे या उनसे जूनियर थे यह चीज और किसी आधार पर कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं माननीय सदस्य आसानी से जान सकते हैं; कहने के लिए तो उन्होंने यह भी कहा कि के. पी. यू. मेनन जो कि सीनियर हैं चीफ सक्रेटरी से इसलिए उनको बाहर भेज दिया। मैं कहता हूं यह भी आसानी से देखा जा सकता है। यह तो सारी की सारी लिस्ट पब्लिश होती है। जिस लिस्ट से यह आसानी से देखा जा सकता है कि किस की सीनियोरिटी किस स्थान पर है। उनका सीनियोरिटी के लिहाज से क्या स्थान है यह देखा जा सकता है। मैं समझता हूँ इस तथ्य को कह कर सारा स्वरूप बदल करके पेश किया जाता है वह सही नहीं है...

श्री भानप्रतापसिंह (महुआ) : सीनियोरिटी लिस्ट मेरे पास है इसमें नं० १ पर के. पी. यू. मेनन का नाम है और दूसरे नम्बर पर भगवतसिंहजी मेहता का नाम है। यह १९६५ की लिस्ट मिली है आज।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कौनसी लिस्ट आई है, मुझे मालूम नहीं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री राजस्व) : जरा पढ़िये, एम. यू मेनन का नाम है या किसका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एम. यू. मेनन है उनको रिटायर कर दिया गया अन्यथा वे सी. एस. वन सकते थे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कोलायत के माननीय सदस्य यदि एम. यू. मेनन की पैरवी कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना । जहां के. पी. यू. मेनन के लिए कहा उनके लिए शायद माननीय सदस्य को भ्रान्ति हो गई है और दूसरे के लिए दूसरे को भ्रान्ति हो गई है । दरअसल में तथ्य से यह गलत है आसानी से देखा जा सकता है । सभी व्यक्ति जानते हैं कि आहूजा साहब, आज के चीफ सेक्रेटरी जब से चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त आहूजा साहब कमिश्नर रहे हैं, कमिश्नर फोर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर रहे हैं, चेयरमैन भी नहीं, पी. एस. सी. में बाद में गये हैं । इसलिए जो चीफ सेक्रेटरी से सीनियर होने की बात कही जाय कि वे सीनियर थे इसलिए उधर भेज दिये गये यह बात निराधार है बिल्कुल गलत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन में इस बात को कहा जाता है जो महत्वपूर्ण राय पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव को दे उसके बारे में एग्जीक्यूटिव का रुख आम तौर से क्या होता है मैं जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले ७ सालों में जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें सात सालों में केवल ६ केसेज में- राजस्थान गवर्नमेंट से डिफर किया है, वरना पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ पूरी तौर से सहमत होकर चले हैं...

एक माननीय सदस्य : केवल ६ केसेज ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करूं वह सुनने की कृपा करें । जिन केसेज के हवाले से बात करते हैं, एक रिपोर्ट का तब तक एक्सेप्टेन्स नहीं होता है. हमारे पास जो केसेज रेफर होते हैं उनको और कुछ पेन्डिंग होते हैं उनको भी साथ में लेते हैं जब तक उनके बारे में निर्णय नहीं हो जाता है तब तक पेन्डिंग माने जाते हैं कुछ का बाद में फैसला होता है । जैसे १७ केसेज इसमें लिखे गये हैं, १० मान लिये गये, पिछले साल २५ लिखे थे दो केसेज की बाद मे कान्करेन्स पहुंच गई इस बात का उल्लेख मिलता है, जिनमें डेफिनेट रिकमन्डेशन हमारे पास आई, पिछले सात सालों में ६ केसेज में डिफर करने की बात सामने आती है और इन ६ केसेज के अन्दर भी रिजन्स मिलेंगे । बिना रिजन्स के डिफर करने की बात नहीं होती है । जिन रिजन्स से डिफर करने की बात है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मानता हूं कि हमारा कर्त्तव्य है कि जुडिशियरी और पी. एस सी. जो बोडिज कांस्टिट्यूशन के द्वारा किसी फंक्शन के लिये बनाई गई हैं, उनकी इन्डिपेन्डेन्स को खास तौर से रेस्पेक्ट करें, उनकी राय पर ज्यादा से ज्यादा अमल करके चलें । और वहां पर नियुक्ति के बारे में कहा गया कि एक पोलिटिशियन की नियुक्ति करदी इसलिए सारी बातें और हो गई । मैं कहना चाहता हूं कि जन सेवा आयोग

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के मेम्बर्स के अपोइन्टमेंट के लिए टर्म ऑफ अपोइन्टमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को ट्रान्सफर करने का, ऑप्शन लेने का, प्रमोशन करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास होता है लेकिन अपोइन्टमेंट होने के बाद यह इन्डिपेन्डेन्ट बोडी समझी जाती है। आज हाई कोर्ट के जजेज के स्थान पर कई पोलिटिशियन्स के अपोइन्टमेंट हो गये। आज हमारे यहां हाई कोर्ट के जजेज में लीडर ऑफ ओजिशन नजर आयेंगे, कांग्रेस के एक एम. पी. थे वे भी आज हाई कोर्ट के जज हैं, दूसरे लोग भी जो पोलिटिकल पार्टीज़ में भाग लेते थे वे भी जज हैं, लेकिन एक बार अपोइन्टमेंट होने के बाद अपना फक्शन वे इन्डिपेन्डेन्टली करते हैं। इसी तरह से हिन्दुस्तान में कई जगह नॉन ऑफिशियल्स पी. एस. सी. में रखे गये हैं। कांस्टिट्यूशन में ५० पर्सेन्ट से ज्यादा नॉन ऑफिशियल न हों इसकी लिमिट रखी है। यह भी कॉन्स्टीट्यूशन में मानकर चला गया है कि आज के दिन किसी व्यक्ति की योग्यता और दूसरी बातों को ख्याल में रख कर नियुक्त किया जाता है तो किसी पालिटिकल पार्टी को ध्यान में रख कर या किसी और ऐंगल को ध्यान में रख कर किया जाता हो यह मानने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि नॉन ऑफिशियल के तरीके के हमारे आज के चैअरमैन हैं नार्लीकर, जो नॉन-ऑफिशियल चैअरमैन के तौर पर फंक्शन कर रहे हैं। आज सभी सदस्य मानेंगे कि उन जैसे व्यक्ति की नियुक्ति से राजस्थान को गौरव प्राप्त हुआ है, उनके इन्डिपेंडेंट वर्किंग के बारे में किसी को सोचने का मौका प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए सर्विसेज़ के लोग हों या नॉन ऑफिशियल हों, उनमें यह एक जनरल एटीट्यूड डवलप हो सके और सलेक्शन वगैरह के बारे में ठीक ठीक काम हो इसमें उनके द्वारा मदद की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के बाद हमारे यहां इन्टेग्रेशन हुआ। कई दूसरी बातें हुई। इसलिए कई सर्विसेज के रूल्स बनाने पड़े। और आज के दिन ज्यादातर सर्विसेज़ के लिए रूल्स बन गये हैं। एनीमल हसबेन्ड्री के रूल्स बन गये हैं लेकिन उस सर्विसेज के अन्दर फिक्सेशन और इन्टेग्रेशन फाइनल नहीं हुआ है। उसमें भी हम उम्मीद करके चलते हैं कि सिनियोरिटी तीन एक महीने के अन्दर फिक्स कर दी जायगी और जल्दी से जल्दी उस मामले में कार्यवाही की जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय,जो टेम्प्रोरी अपोइन्टमेंट का सवाल आता है, उसके अन्दर दो प्रकार के अपोइन्टमेंट हैं एक तो छः महीने की अवधि के लिए करने का अधिकार है और उसके साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफरेन्स भेज देना चाहिये रिक्वीजीशन भेज देना चाहिए कि जिसके जरिये वहां पर उन लोगों का रिक्रूटमेंट किया जा सके। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बराबर हिदायतें दी गई हैं कि ज्यों ही किसी आदमी को अपोइन्ट किया जाय टेम्प्रेरिली, त्यों ही उसके साथ उनके लिए एडवरटाईजमेंट करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास रिक्वीजीशन चला जाना चाहिए। इस वक्त जो टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की तादाद आम तौर से चर्चा के अन्दर आती है एक उसका यह भी कारण है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन प्लानिंग डिपार्टमेंट की प्लान एक्टीविटीज के लिए जो अपोइन्टमेंट होते हैं नये वह एक प्लान पीरियड के लिए किये जा रहे हैं यह समझ कर टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट के तौर पर चलते रहे। बीच में हमने कुछ पर्सेन्टेज को परमानेन्ट करने के लिए कहा और अभी कुछ दिन पहले हमारी केबिनेट ने फैसला किया है कि प्लानिंग में अधिकांश पोस्ट्स ऐसी हैंजो परमानेन्टली चलने वाली हैं और जिसमें कोई कमी करने का सवाल हमारे प्लान पीरियड के बाद नहीं आना चाहिए यह हो सकता है कि क्लर्क हों या दूसरी ऐसी पोस्ट हों जिनमें यह सवाल आ सकता है। लेकिन ज्यादातर पोस्ट्स ऐसी हैं जिनको परमानेन्ट किया जा सकता है। तो उसके लिये विशेष तौर पर एग्जामिन करने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ कि दो तीन महीने के अन्दर जो टेम्प्रेरी पोस्ट प्लानिंग की वजह से टेम्प्रेरी समझी जाती हैं उन लोगों को परमानेन्ट करने के बाद जो नम्बर ज्यादा नजर आता है वह रिड्यूज हो जायगा।

पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कार्य क्षेत्र...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एक प्रश्न है कि इसमें टेम्प्रेरी अपोइन्टमेंट का प्रश्न नहीं है, इसमें यह प्रश्न है कि आपके सर्क्यूलर्स के बाद में भी पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज कर अपोइन्टमेन्ट क्यों नहीं करा रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं उस पर आता हूँ। मैंने निवेदन किया, क्योंकि उस प्रकार टेम्प्रेरी अपोइन्टमेंट के द्वारा जहां पर एक व्यक्ति को उन्होंने अपोइन्ट किया छः महीने के लिए और उसके बाद फिर उसका एक्सटेंशन करते हुए चले गये। मैं समझता हूँ कि जिस बात को गवर्नमेंट को सख्ती के साथ अमल करवाना चाहिए, वह यह बात है कि छः महीने के लिए टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट करने के बजाय जैसे ही अपाइन्टमेंट का ऑर्डर मिलता है, वैसे ही रिक्वीजीशन पब्लिक सर्विस कमीशन में चला जाना चाहिए। हो सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के यहां पोस्ट भरने में छः महीने से ज्यादा वक्त लग जाय, वहां जब ज्यादा वक्त लगता है तो छः महीने के पीरियड को एक्सटेंड करना पड़ सकता है। इस बात पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ कमियां हैं और मैं माननीय सदस्य को इस बारे में स्पष्टतया कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट निश्चित तौर पर चाहती है क्योंकि टेम्प्रेरी टेम्प्रेरी ज्यादा चलते रहें तो उसमें न गवर्नमेंट को लाभ है और न जो एम्प्लायमेंट करते हैं उनको लाभ है, क्योंकि उनके दिमाग में अनिश्चितता रहती है और गवर्नमेंट को भी बाद में जाकर कई परेशानियां उठानी पड़ती है- वह ओवर ऐज हो जाय और हो जाय, उसका एम्प्लायमेंट कहां पर हो। इन बातों के बारे में हरएक डिपार्टमेंट को हिदायतें दे रहे हैं और मैं और भी चैक अप करवाऊंगा कि किस डिपार्टमेंट के अन्दर से रिक्वीजीशन नहीं गया है और लोग टेम्प्रेरी चल रहे हैं। जहां पर हमारी हिदायतों के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है, उन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आफिसरों के खिलाफ भी आवश्यक कार्यवाही करने के अन्दर गवर्नमेंट नहीं झिझकेगी। हमारी क्लीअर पॉलिसी है, क्लीअर डाइरेक्शन है और हममें से कोई नहीं चाहता है कि टेम्प्रेरी वाली बात बढ़ती हुई चली जाय, क्योंकि बाद में जाकर कॉम्प्लीकेशन होते हैं उनसे मुश्किल हो जाती हैं। उसको हम ठीक करना चाहते हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): रिक्वीजीशन नहीं जाने के केसेज में पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से ले रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, यह पुरानी वाली बात है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, इसके बाद की एक रिपोर्ट कम से कम और आ जानी चाहिए जिस पर हम चर्चा कर पाते। यह चीज सदन के सामने आने के बाद, जैसे पिछले वर्ष भी यह कहा गया था, उस पर हम बराबर सख्ती के साथ अमल करते हुए चले जा रहे हैं। विना रिक्वीजीशन भेजे हुए टेम्प्रेरी पोस्ट्स चल रही हैं उसके खतरनाक रिजल्ट्स हो सकते हैं। आज जो सिचूएशन हैं, आपको उसकी जानकारी डिपार्टमेंट में से करने पर मालूम हो सकती है। हरएक पोस्ट पर काबिल आदमियों के अभाव में भी दूसरी जगह से करने की आवश्यकता पड़ सकती है, यह कार्यवाही भी की जायगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर जो सर्विस रूल्स बनाये, उनमें हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में से, पहले जो उनका काम था, वह हटा लिया है। यह भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई है। उसके बारे में स्पष्ट है कि जो टेक्निकल नेचर की पोस्ट है, जिसके बारे में विशेष काम्पिटीशन जैसी बात नहीं है लेकिन जल्दी से जल्दी इन्टरव्यू करके, पिक एण्ड चूज करके अपाइन्टमेंट करने की बात आती है, ऐसी पोस्ट्स को उससे अलग किया है। वैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के जुरिस्डिक्शन में कितना काम काज हो और क्या क्या उनके अन्दर में हो, और दूसरे स्टेट्स के कम्पेरीजन में हमारे यहां पर क्या स्थिति है यू. पी. एस. सी. में क्या स्थिति है—इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए केबिनेट की एक सब कमेटी बनाई हुई है, जो उसका सारा अध्ययन कर रही है जिससे कहीं दूसरों से ज्यादा जुरिस्डिक्शन हो तो उसमें क्या करना चाहते हैं और यदि कम जुरिस्डिक्शन हो तो क्या स्टेप उठाने चाहिए— इसके बारे में विचार किया जा सकता है और एक ठीक पैटर्न पर इस सारी बात को ढाला जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर हिन्दी का एक कम्पलसरी पेपर हो या केवल हिन्दी माध्यम समझ कर उसके अन्दर चला जाय। यह भी साथ में कहा गया कि जो हिन्दी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थायें हैं और उनके द्वारा जो साहित्य-रत्न, विशारद या दूसरी उपाधियां दी जाती हैं उनको भी पब्लिक सर्विस कमीशन दूसरी उपाधियों के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

समकक्ष समझ कर चले। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान का माध्यम क्या हो-इस विषय पर सारे भारतवर्ष के अन्दर विचार किया जा रहा है। उस माध्यम के बारे में एक स्टेट के अन्दर अगर हम इस बात का निर्णय करते हैं कि केवल हमारे यहां पर हिन्दी का ही माध्यम होगा और दूसरा माध्यम कोई भी नहीं होगा हमारी राजस्थान की सर्विसेज के लिए तो आज अकेले राजस्थान के निर्णय करने की प्रतिक्रिया दूसरे तरीके से और स्टेट्स के अन्दर होंगी। आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के ऊपर आज कुछ क्षेत्रों के अन्दर जोर दिया जाता है कि यू.पी. एस.सी. की भाषा जो देश की चौदह भाषायें हैं, वह माध्यम बन जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, देश के इन्टेग्रेशन के लिहाज से, देश की एकता के लिहाज से मैं समझता हूं कि इस बात की आवश्यकता इस देश के अन्दर है कि जो यू. पी. एस. सी. की माध्यम हो, या हमारे यहां पर जो माध्यम हो तो उस माध्यम के अन्दर केवल एक प्रदेश की भावना न आये, और सारे देश के रहने वाले लोगों को समान अवसर देने की बात को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं हो-खास तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा, मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। हमको इस बात का पूरी तौर से अध्ययन करके यह देख कर चलना चाहिए कि हम दूसरों का रास्ता हिन्दी के द्वारा रोक देना नहीं चाहते। हम पसन्द इस बात को करेंगे कि भाषा का माध्यम देश के अन्दर यू. पी. एस. सी. के बारे में हो तो वह भाषा हो, जिसको भारत वर्ष की भाषा मानते हैं, उसके जरिये अंग्रेजी जब तक चले तब तक वह भी हो या हिन्दी हो, लेकिन चौदह भाषाओं के अन्दर हो गया तो हम उसके परिणाम का अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है और क्या नहीं बन सकती है। इसलिये यह काफी गंभीर प्रश्न है कि अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर भाषा के माध्यम को काम में लेते हैं तो इसके जरिये देश के दूसरे लोगों के लिये दरवाजे बन्द कर देते हैं या देश एक है इस भावना को लेकर चल सकते हैं। इससे इन परिणाम को और भी हमें सजग रह कर कार्यवाही करनी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष, जो हिन्दी की परीक्षाएं हैं, उनको समकक्ष समझा जाने के लिये माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आम तौर से पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस बात को मान कर चला जाता है कि यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट ग्रान्टेड युनिवर्सिटी या इम्पोर्टेन्ट इन्सटीट्यूशन्स का एक्ट है उसके द्वारा स्वीकृत प्राप्त परीक्षाओं को ही पब्लिक सर्विस कमीशन मानती है। इसको स्वयं यह मान कर चलते हैं कि स्टेन्डर्ड अलग अलग हो जाते हैं तो कम्पीटीशन में फरक पड़ जाता है और इसके सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है मैं इतना ही कह कर चल सकता हूं कि बंदिश डाली तो आज के दिन यह उपयुक्त नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होगा। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे यहां पी. एस. सी. में एग्जामिनेशन्स होते हैं। हिन्दी और इंग्लिश दोनों माध्यम हैं। इसलिये यह कहना कि हिन्दी जानने वाले एग्जामिनेशन नहीं दे सकते यह ठीक नहीं है। यह भी मान लें कि किसी स्कूल का नाम हायर सेकन्डरी है और उसने एग्जामिनेशन का माध्यम अंग्रेजी माना है क्योंकि उसका नाम हायर सेकन्डरी है और दूसरी का नाम हिन्दी में है इसलिये उसका माध्यम हिन्दी में एग्जामिनेशन का है। अगर हम इस प्रकार से समझते हैं तो यह ठीक नहीं है। एक इन्स्टीट्यूशन में पूरे दिन भर की पढ़ाई और सारे कार्य किये जाते हैं उसको एक एग्जामिनेशन का और दूसरे हिन्दी के लिहाज से मान्यता देकर चलना होगा और हम चलते हैं।

उपाध्यक्ष, यह बात भी कही गई कि आइ. ए. एस. के ऑफिसरों के बारे में कि उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है और उनको किसी बात का अनुभव नहीं होता। और वे अनुभवहीन व्यक्ति कलेक्टर बन जाते है और दूसरी सीनियर पोस्ट पर चले जाते हैं और इस वजह से बहुत सी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि बहुत से लोग आई. ए. एस., राजस्थान में इसलिये आना चाहते हैं कि उनको प्रोमोशन जल्दी प्राप्त हो जावे और दूसरी जगह उनको प्रोमोशन के चान्सेज बहुत कम होते हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक ५ साल की सर्विसेज नहीं हो जावे तब तक उनको सीनियर स्केल नहीं मिलती है और कलेक्टर की पोस्ट सीनियर पोस्ट होती है। उनको ट्रेनिंग के लिये जैसे एक्साइज हैं, रेवेन्यू आदि हैं, भेजते हैं। ट्रेनिंग के ५ साल के पीरियड को समाप्त करने के बाद ज्यों ज्यों पोस्ट खाली होती हैं उनको प्रोमोशन दिया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दूसरी स्टेटों की जानकारी करेंगे तो उनको मालूम होगा कि जो सीनियर स्टेज प्राप्त करते हैं उनको इतना ही समय ट्रेनिंग आदि के लिये खर्च करना पड़ता है। चाहे यू. पी. में हो या मध्यप्रदेश में हो या दूसरी स्टेट में हो। आम तौर पर बाहर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जोइन्ट सेक्रेट्री १५ या १६ साल में बन जाते हैं। लेकिन राजस्थान में ज्यादा समय लगता है। यह परिस्थिति पैदा होती जा रही है। कोई आर. ए. एस. का सीनियर हो या योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो उसे भी अवसर दिया जाता है इससे इनकार नहीं करते। जो आई. ए. एस. की सर्विसेज़ के हैं उसमें से २५ पर्सेन्ट के लिये हमने आर. ए. एस. के लिये रिजर्व रखा है कि २५ पर्सेन्ट आर. ए. एस. के व्यक्तियों को प्रमोट किया जावे। इसलिये जो आर. ए. एस. हैं उनको भी अवसर दिया जाता है। दूसरी जो सीनियर स्टेज थी अब कुछ दिन पहले उनका बड़ा केडर होने से उनकी सिलेक्शन पोस्ट ज्यादा बढ़ादी हैं। इसलिये जो ओपोरचुनिटी कम होती थी वह अब प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा सिलेक्शन ग्रेड पर भी इसके लिये रखा है।

आज सरकार यह चाहती है कि आर.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पी. एस., आर. ए. एस. आदि हैं सबका अपना अपना महत्व है और सब को अपना अपना रोल प्ले करना है। इसलिये यह मान कर चलते हैं कि आर. ए. एस. आई. पी. एस. आदि हैं उनकी बराबर कदर हो और उसके बारे में जो कुछ कदम उठाया जाना चाहिये इसके लिये समय समय पर कार्यवाही की गई है और मैं समझता हूं कि राजस्थान में काफी बड़ा आर. ए. एस. का केडर है और वे योग्यतापूर्वक अपना कार्य पूरा कर रहे हैं।

हमारे यहां विरोधी दल के माननीय नेता ने अपने भाषण में कहा था कि आई. सी. एस. को आई. ए. एस. का स्थान दिया जाए। तो मैं कहूंगा कि पी. एस. सी. है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वालों को ज्यादा प्रोपोरशन देकर चलेंगे। आई. सी. एस. पहले थे नहीं। पहले दूसरी स्टेटों में जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में स्टेटें थी वहां कहीं कहीं आई. सी. एस. ऑफिसर थे। हमारे यहां पर भी डिपार्टमेंट में दूसरी जगह पर काफी योग्य व्यक्ति हैं और जब मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी हमारे व्यक्ति काम कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और जो पी. एस. सी. एक तरीके से जिन बातों की तरफ लक्ष्य आधारित किया गया है तो इस पर काफी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया और काफी चर्चा आई। आम तौर से वह पोइन्ट था जो इस रिपोर्ट में दिया गया है और जो दर्ज पोइन्ट किये हैं उसका सरकार की तरफ से प्रतिवेदन रखा गया है जिसमें इन चीजों को बताया गया है कि जिनको रेफर किया गया है। नोन इम्प्लीकेशन की बात कही गई है उसमें बहुत से केसेज में सबसी क्वेन्टली उस राय को गवर्नमेंट ने मान ली है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि कुछ जगह ज्यादा सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है, इस बारे में मैं इनकार नहीं कर सकता, इस बारे में मैंने कहा कि पूरी तरह से ध्यान देकर चला जावेगा।

डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के द्वारा कई मामले पेन्डिंग हैं उसमें काफी वक्त लग जाता है और इससे इन्क्वायरी में नुकसान होता है और जल्दी फैसला नहीं होने से सस्पेन्स में चला जाता है। मैं यह कहूंगा कि ऐसी बात नहीं है। हम बराबर देख कर चलते हैं कि पुराने केसेज़ खतम हों और यह देखते हैं कि पुराने केसेज कितने साल के हैं और कितने हैं। साल से कम के कितने हैं और साल भर से पुराने केसेज के लिये माननीय सदस्य ने संकेत किया वह भी मैं समझ पाया हूं और यह कहना चाहता हूं कि जरूरत होगी तो स्पेशल ऑफिसर उसके लिये मुकर्रर किया जावेगा ताकि वह पेन्डिग नहीं रहे और हम असिस्टेन्स भी प्रोवाइड करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई ऑफिसर सस्पेन्डेड हो और अगर सस्पेन्डेड नहीं हो तो काम कर रहा हो। देरी के लिये यह लिखा गया है, हम समझते है कि इन सारी बातों को लक्ष्य में रख कर चला जावे।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इसके अलावा यह सवाल भी उठा था कि एक रेवन्यू के ऑफीसर हैं, उसका एक्सटेन्शन बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड रेवन्यू कमीशन जिसके ज़रिये लैंड रेवेन्यू एक्ट में, टीनेन्सी एक्ट में संशोधन करने के लिये कमेटी अपोइन्ट की थी उसमें इनको साथ में रखा था, उस सिलसिले से वे वाकिफ हैं। हम चाहते थे कि इस बिल को यहां प्रस्तुत कर दिया है तो कई वर्षों तक उन्होंने काम किया है, उनकी एड्वाइज़ प्राप्त हो सके। तो कभी-कभी काम के हित में किसी को रखना पड़े तो माननीय सदस्य मानकर चलें कि कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। कन्सीडरेशन कर रहे हैं लॉ का, लॉ के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेना भी गलत बात नहीं होगी........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दूसरे नहीं मिल सकते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले से इतनी जानकारी रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में पहले से इतनी जानकारी रखने वाला और कोई नहीं है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले से जानकारी रखने वाला नहीं है। दूसरों की योग्यता कम है यह मैं नहीं कहता। उनको इतनी पहले की जानकारी है, उसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। रेवेन्यू लाज़ को ठीक करने के लिये ही यह किया जा रहा है।

एक यह सवाल भी उठाया गया कि जेल के एक अधिकारी ने रोंग सर्टिफिकेट दिया, उसे कन्टिन्यू किया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस अधिकारी को चार्जशीट दे दिया गया है, उसे सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्री मानधातासिंह : जिस रेवेन्यू ऑफीसर का जिक्र किया गया वह ६० साल से ऊपर की उम्र के हैं, जब कि राजस्थान सरकार के यह नियम है कि ५८ साल से ज्यादा उम्र का सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकता, इनकी उम्र ६० साल से ज्यादा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि जो जेलर के बारे में कहा गया, उनको सस्पेन्ड कर दिया है और चार्जशीट दी जा चुकी है, आगे कार्यवाही चालू है।

अन्त में मैं एक एक इन्डिविजुअल केस में इसलिये नहीं जाना चाहूंगा कि गवनमेन्ट ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जो गवर्नमेन्ट को पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिदायतें दी हैं, उसमें सम्बन्धित अधिकारी कार्यवाही करेंगे या तो हम उनको कन्विंस करेंगे या उनकी इन्स्ट्रक्शन्स है उनके ऊपर अमल करेंगे।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि श्री भगत ने अजमेर में एक जमीन दर्गाह की ली और उसके बाद एन्क्वायरी हुई, उसके डिसिजन को भी पढ़ कर सुनाया। डिसिजन के वर्ड मैं नहीं जानता, उनके पास ओथेंटिक कॉपी होगी, मैं यह

Page No 114

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मान कर चलता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जमीन लेने का सवाल पढ़ा था और वापिस लेने का सवाल खड़ा हुआ वह जमीन रीकन्वे की गई रजिस्टर्डडीड से। रीकन्वे किया जाता है, ६०-६१ से दर्गाह के नाम जमीन चलती है, उनके नाम से नहीं चलती।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैंने खुद ने कहा है कि रीकन्वे की गई है। आपने कहा कि रजिस्टर्ड डीड से रीकन्वे की गई है, यह सूचना गलत है। मेरे पास कम्प्लीट फाइल है। रजिस्टर्ड डीड से रीकन्वे नहीं की गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मेरी सूचना अगर गलत है तो मैं करेक्ट कर लूंगा और आपकी सूचना गलत हो तो आप करेक्ट कर लेना।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मेरे पास गवर्नमेंट के ऑर्डर की ओथेटिन्क कापी है, यह मैं टेबिल ऑफ दी हाउस पर रखता हूं, इसके नम्बर हैं:

मैं कापी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मेरे पास सूचना है कि उन्होंने रीकन्वे किया, रजिस्टर्ड डीड से रीकन्वे किया और ६०-६१ से वह जमीन दर्गाह के नाम चलती है, उनके नाम नहीं चलती।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह गलत है: जिस जमीन को रजिस्टर्ड डीड से रीकन्वे किया, उसके जो नम्बर दिये गये हैं वे इस जमीन से डिफरेंट हैं। आज इस पर आप एटीट्यूड क्या ले रहे हैं, ख्वाजा साहब की दर्गाह के केस डिप्टी कलेक्टर जागीर के सामने जा रहे हैं, उसने ख्वाजा साहब की दर्गाह की जमीन ली है और उसके लिये आप यह एटीट्यूड लें कह दें कि उनका कोई मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं है, और वार्निंग दे कर छोड़ दें। इस एटीट्यूड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आप खुद ही बता चुके हैं कि एन्क्वायरी से मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं पाया गया, वार्निंग दे दी गई है कि उसे इस प्रकार नहीं करना चाहिये था।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मेलाफाइड किस तरह नहीं है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: सारी फाइल मेरे पास नहीं है। जो डिसिजन का कह रहे हैं मैं अभी तत्काल डिटेल्स में गये बिना कैसे कह सकता हूं। मुझे सूचना इस वक्त जल्दी में मिल सकती थी, उतनी माननीय सदस्यों को देने का प्रयास किया है। आप जो यह सूचना दे रहे हैं तो इसे रीएग्जामिन कराया जा कर फरदर एक्शन जो मुनासिब होगा लिया जायगा। इतना ही कह कर मैं...

श्री मानिकचन्द सुराणा: आपके रिश्तेदारों ने भी जमीनें ली हैं इसलिये सरकार का टेस्ट है कि ऐसे केसेज में क्या करती है, सरकारी अधिकारियों के प्रति क्यों ढीला एटीट्यूड रखा। इसलिये मैं चाहता हूं कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इसे रीएग्जामिन करायें, जैसा कि सदन को आश्वासन दिया है, और जब नेक्स्ट सेशन हो तो सदन को सूचित करें कि आपने इस केस को रीएग्जामिन करके क्या फरदर एक्शन लिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जमीन वापिस दी गई। जो आप कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड डीड से रीकन्वे उस जमीन का नहीं दूसरी जमीन का किया था, तो इसकी फरदर एन्क्वायरी करके, जैसी भी स्थिति होगी कार्यवाही की जायगी।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४.५८ पर दिनांक ९ अप्रेल के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट

(समया भाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

आदर्श कालोनी, जयपुर,

८१०. श्री श्रवणलाल : (हिन्डौन सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि आदर्श कालोनी जयपुर के पास जयपुर नगरपालिका ने शहर का गंदा कचरा डालना शुरू कर दिया है जिससे इस कालोनी में रहने वालों को बड़ी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उस गंदगी को वहां से हटवाने और भविष्य में वहां गन्दा कचरा नहीं डाले जाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

हां, यह सही है।

परन्तु अब वहां कचरा डालना बन्द करा दिया गया है।

नगरपालिका नदबई के वार्ड नं० ६ का चुनाव

८११. श्री नत्थीलाल (नदबई) श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नदबई नगर-पालिका के वार्ड नम्बर ६ की सफाई व उसमें बिजली की व्यवस्था न होने की वजह से इस वार्ड के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है ?

(२) वार्ड नम्बर ६ का चुनाव कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

(२) चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही चुनाव विभाग द्वारा की जा रही है।

चम्बल योजना पर व्यय तथा वार्षिक आय

८१२. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल योजना पर ६० करोड़ रुपये खर्च हुए हैं तथा तीन करोड़ रुपया सालाना राज्य को ब्याज का चुकाना पड़ता है ?

(२) रिटर्न में सरकार को वार्षिक आय कितनी हो रही है ?

(३) योजना बनाते समय वार्षिक आय का अनुमान क्या लगाया गया था ?

उत्तर

(१) जी नहीं, चम्बल योजना के तीनों चरणों पर राज्य द्वारा करीब २४

(सिचाई मन्त्री)

करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। प्राप्त ऋण के अनुसार अलग अलग वर्षों में ब्याज की अलग अलग राशि होती है। वर्ष ६५-६६ में ९९ लाख ब्याज की राशि का प्रावधान है।

(२) सन् ६३-६४ में सिंचाई से १२,६५,१४१ रुपयों की आय हुई और पावर से २०६५८१२४ रु० की हुई।

(३) वार्षिक आय सन् ६०-६१ में ०.८८ प्रतिशत से शुरू होकर सन् १९८२-८३ में ५.७८ प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया था।

राजस्थान नहर क्षेत्र की सिंचाई की दरें

८१३. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर फ्लोर एरिया में राजस्व की दरें १) व ।) प्रति बीघा और बढ़ाई गई है ? अगर हां, तो किस आधार पर ? क्या राज्य सरकार का ऐसी जमीन पर सुधार शुल्क वसूल नहीं करने का विचार है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य की किसी सिंचाई योजना की क्रियान्विति से पूर्व इस प्रकार कोई राजस्व दरें नहीं बढ़ाई गई ? अगर हां, तो केवल इसी क्षेत्र में इस प्रकार दरें बढ़ाने का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर

१—जी नहीं, इस क्षेत्र में सुधार शुल्क वसूल करने का प्रश्न चल ... है।

२--प्रश्न नहीं उठता।

खीरोड, जिला झुन्झुनू की लाइम स्टोन की खान का ठेका

८१४. श्री रामकिशन (वैर) क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) खीरोड जिला झुन्झुनू स्थित खान बाबत लाईम स्टोन का ठेका किस व्यापारी के नाम से है और कब से है ?

(२) इस खान को क्या कभी नीलाम किया गया यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि मौजूदा ठेकेदार के विरुद्ध कोई शिकायत पेश हुई है कि उसने यह खान दूसरे को सबलीज़ करदी और रायल्टी में चोरी की ? यदि हां, तो क्या विभाग ने इसकी जांच की ? अगर हां, तो जांच में क्या पाया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या सरकार भविष्य में खान को नीलाम करने की सोचती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) इस खान का ठेका श्री दीनदयाल मोदी, नीम का थाना के नाम १९५३ से है।

(खनिज मन्त्री)

(२) जी हां, इस खान को सन् १९५३ के पूर्व नीलाम किया गया था।

(३) इस खान को दूसरे को सबलीज करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। रायल्टी की चोरी की शिकायत प्राप्त हुई जो जांच करने पर सही नहीं पायी गयी। अतः आगे की कार्यवाही करने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

(४) इस खान की अवधि १८-५-६८ को समाप्त होगी। नीलाम के प्रश्न पर उस समय, विचार किया जायगा।

तहसील सिकराय को चीनी का कोटा

८१५. श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील सिकराय को मिलने वाला चीनी का कोटा कितना है और उसके वितरण की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(२) तहसील सिकराय को ११० बोरी चीनी प्रति माह दी जाती है और तहसील एडवाइजरी कमेटी के निर्णय के अनुसार तहसील सिकराय की पंचायतों द्वारा वितरण कराया जाता है।

म्युनिसिपल क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की नई बस्तियों में सुविधाएं

८१६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में "मीरा नगरी" कुम्भा नगर, प्रतापनगर आदि नई बस्तियां बसाई गई हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि इन बस्तियों में अब तक नल एवं सड़कों की व्यवस्था नहीं हुई है ? अगर हां, तो भविष्य में कब तक हो सकेगी ?

(३) क्या यह भी सही है कि मिठारामजी के खेडे में अब तक बिजली भी नहीं पहुंची है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) यह सही है।

(२) वर्ष १९६४-६५ में कुम्भा नगर एवं प्रतापनगर में ४,२३० फीट लम्बी मेटलरोड का निर्माण हो चुका है। वर्ष १९६५-६६ में भी इन बस्तियों में सडक निर्माण की योजना है। नल नहीं लगे है।

पालिका की आर्थिक स्थिति के अनुसार कार्य होगा।

(३) जी हां। वहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। बिजली के लिये विद्युत् मंडल से कार्यवाही जारी है।

चने का निर्यात

८१७. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

क्या यह सही है कि राज्य में जब चने के निर्यात पर प्रतिबन्ध था उस समय गुज-रात, महाराष्ट्र व अन्य राज्य सरकारों द्वारा दिये गये कुछ विशेष परमिटों पर राज्य से चना बाहर ले जाने की अनुमति राजस्थान राज्य सरकार ने दी थी ? यदि हां, तो ऐसे परमिटों की सूची व ऐसी इजाजत देने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां, जिस समय राजस्थान से चना एवं चने की दाल दूसरे प्रदेशों को निर्यात नहीं हो सकती थी, सहकारी सेंटी खरीद बिक्री समिति लि० वर्त महाराष्ट्र को राज-स्थान से २०२० क्विन्टल चने की दाल निम्न प्रकार से निम्नांकित दिनांकों को निर्यात करने की आज्ञा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्री के आग्रह पर दी गई थी।

दिनांक	मात्रा
१०-१२-६४	१६० क्विन्टल
१६-१२-६४	६४० ,,
२३-१२-६४	११२० ,,
योग	१९२०

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिये)

Form No. 7

LIST OF LOAN PER PERSON

1.	Barmer	8,46-5
2.	Dungarpur	20, 689
3.	Bundi	6,700
4.	Jhalawar	3,384
5.	Kota	14,812
6.	Tonk	2,615
7.	Banswara	3,904
8.	Sirohi	1,999
9.	Churu	3,796
10.	Ajmer	6,699
11.	S. Madhopur	26,367
12.	Bhilwara	1,327
13.	Chittorgarh	3,414
14.	Bikaner	964
15.	Nagaur	5,646
16.	Bharatpur	23,058
17.	Pali	12,000
18.	Jalore	6,333
19.	Jaisalmer	978
20.	Sikar	9,163
21.	Ganganagar	37,224
22.	Udaipur	6,112
23.	Jhunjhunu	5,595
24.	Jaipur	12,775
25.	Alwar	15,177
26.	Jodhpur	In formation not received.
	Total	2,48,044

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-गुरुवार, दिनांक ८ अप्रेल, १९६५)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८१५८	१	श्री अ ुलजव्बार	श्री अब्दुलजब्बार
८१७०	३	(सोजत)	(सोजत)
८१७६	२१	य	ये
८१७९	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
,,	१८	श्री रामसाद	श्री रामप्रसाद
,,	१९	सेक्शसन	सेक्शन
,,	२४	प्रापट का का,	प्रोपर्टी को,
,,	२५	प्रॉड्यूस	प्रोड्यूस को,
,,	२५	इम्पलोमेन्ट्स	इम्प्लीमेन्ट्स
८१८०	शीर्ष	(श्री कुमारी उमा माथुर)	(कुमारी उमा माथुर)
८१८६	अन्तिम से ३	डांगी	डांगी
८१८७	अन्तिम	श्री उमा.ांिह	श्री उमरावसिंह
८१९५	अन्तिम से ४	ंजीबद्ध	पजीबद्ध
८२००	६,१२,१६, व २१	श्र	श्री
८२०१	५ व ६	(निंबाहेड़ा)	(निम्बाहेड़ा)
८२०४	शीर्षक	८ अप्रेल	८ अप्रेल
८२०६	अन्तिम से १	पहुंचा जानी	पहुंच जानी
८२०७	अन्तिम से ८	बोंड्स	बांन्ड्स
८२०८	शीर्षक	-९ अप्रेल,	८ अप्रेल,
,,	६	जागेवें	जावेंगे
८२०९	१७	इन्डेन्ड	इन्डेन्ट
,,	१९	क्वाटर्स	क्वार्टर्स
,,	२३	इन्डेन्ड	इन्डेन्ट
,,	अन्तिम	जागीरदारां	जागीरदारान
८२११	अन्तिम से ३	श्री रघूनाथ बिश्नोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
,,	अन्तिम	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष

१	२	३	४
८२१२	शीर्षक	–८ अप्रैल	८ अप्रेल
,,	७	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तरों
,,	अन्तिम से ३	नहीं प्रश्न, नहीं	नहीं, प्रश्न नहीं
८२१४	शीर्षक	अनुपस्थित सघस्यों	अनुपस्थित सदस्यों
,,	६	पुस्तकालय	पुस्तकालय
८२१८	८	ये	में
८२१६	अन्तिम से १२	रैन आफ	रन ऑफ
,,	६	रण	रन
८२२३	२०	राकते	रोकते
८२२५	५	प्रेसीडिंग्ज	प्रोसीडिंग्ज़
८२२६	१	से	में
,,	१३	वीट	व्हीट
८२३२	२	खाद्यन्न	खाद्यान्न
,,	३ व ७	खाद्यन्नों	खाद्यान्नों
,,	१८	पसा	पैसा
८२३६	१८	वषा	वर्षा
,,	२४	मदा	मंदा
,,	अन्तिम से ७	महगे	महंगे
८२४३	अन्तिम से ४	चोर	चार
८२४४	अन्तिम से ८	श्री नाथूाम	श्री नाथूराम
८२४५	११	श्री नाथूाम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
,,	अन्तिम	भोजा	भेजा
८२४६	८	वीट	व्हीट
८२५०	अन्तिम से ४	रिल्जोयूशन	रिज़ोल्यूशन
८२५१	१	महोदद,	महोदय,
८२५२	अन्तिम	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
८२५६	अन्तिम से ११	उनको	उनका
,,	अन्तिम से १०	खुद को	खुद की
८२६३	अन्तिम से४-३	मैनेजमेंटने	मैनेजमेंट ने
८२६४	शीर्ष	(श्री गिरधारोलाल व्यास)	(श्री गिरधारीलाल व्यास)

१	२	३	४
८२६६	शीर्षक	नेवाड़	मेवाड़
,,	१०	वडा	वड़ा
८२६९	अन्तिम से ३	सम्बन्ध	सम्बन्ध
८२७१	अन्तिम से ८	(सशोधन)	(संशोधन)
८२७२	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
,,	८	१३ वें	१३ वां
८२७४	शीर्ष	(महारवल श्री लक्ष्मणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
८२७५	११	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)
,,	अन्तिम से ५	reccgnise	recognise
८२८०	२	खयाल	ख्याल
,,	अन्तिम से ९	पब्लिक	पब्लिक
,,	अन्तिम से ४	मैं	में
,,	अन्तिम	फस्ट्रेशन	फस्ट्रेशन
८२८२	शीर्ष	(महारवल श्री लक्ष्मणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
८२८४	शीर्ष	(महारावल श्री लक्ष्मणसिह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
८२८७	७	६३.६४ की	६३–६४ की
,,	१८	प्रतिक्र्या	प्रतिक्रिया
८२८८	६	–यक्तिय	व्यक्ति
८२९२	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
८३०१	१३	६ महाने	६ महीने
,,	अन्तिम	सर्विस	सर्विस
८३०३	१८–१९	अपोइन्टमेन्टसं	अपोइन्टमेन्ट्स
,,	अन्तिम से ८	टेन्डन्सीं	टेन्डेन्सी
,,	अन्तिम से ७	टेन्डन्सो	टेन्डेन्सी
८३०४	अन्तिम से ४	ट्राइब्स	ट्राइब्स
८३११	८	आवश्यकता	आवश्यकता
८३१२	२	सर्विस	सर्विस
८३१४	अन्तिम से १३	सेकन्ड	सैकन्ड

१	२	३	४
८३१४	अन्तिम से ६	मुस्य	मुख्य
८३१५	४	सख्या	संख्या
८३१६	१७	सर्विमेज़	सर्विसेज़
८३१८	१६	रेघेम्यू	रेवेन्यू
,,	अन्तिम	जिस	जिस
८३१६	७	उम्होंने	उन्होंने
,,	८	अर्से तत	अर्से तक
,,	१०	नितात्त	नितान्त
,,	अन्तिम से १०	एपूव्रल	एप्रूवल
,,	अन्तिम से ४	एपूवल	एप्रूवल
८३२२	११	गवानमेंट	गवनमेंट
,,	१४	पैपर्स	पेपर्स
८३२७	अन्तिम से ६	एलर्गमिग	एलार्मिंग
८३२८	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हाडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
,,	७	छुठ्ठी	छुट्टी
८३३३	अन्तिम से ४	merit......	merit......"
८३३६	शीर्ष	(श्र योगेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
८३३६	अन्तिम से ६	सुराणा : (कोलायत)	सुराणा (कोलायत) :
८३४०	१	जैन : (सुजानगढ़)	जैन (सुजानगढ़) :
८३४२	शीर्षक	८ अप्रल	८ अप्रेल
८३४३	अन्तिम से २	श्री भेंरोंसिह	श्री भैंरोंसिह
८३४६	अन्तिम से ७	रक्ख	रक्खें
८३४७	१६	से क्या मतलब सीनियर	से क्या मतलब ? सीनियर
८३५०	शीर्षक	८ अप्रल	८ अप्रेल,
,,	शीर्ष	(श्री मनिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
८३५२	शीर्षक	८ अप्रेल	८ अप्रेल
८३५४	शीर्षक	८ अप्रेल,	८ अप्रेल
८३५५	अन्तिम से ८	Morever	Moreover
८३५६	८	in future	in future."
८३६०	शीर्ष	(श्री माणिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
८३६२	शीर्षक	८ अप्रल	८ अप्रेल

१	२	३	४
८३६३	अन्तिम से २	पडिये	पढ़िये
८३७४	शीर्षक	८ अप्रल	८ अप्रैल,
,,	शीर्ष	(श्री मीहनलाल सुखाड़िया)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
८३७६	अन्तिम से ८	कन्विस	कन्विन्स
,,	अन्तिम से ७	करेगें	करेंगे
८३८४	१	परिशिप्ट	परिशिष्ट
,,	२	समया भाव	समयाभाव
,,	अन्तिम से ७	(नबदई) श्री	(नदबई) व श्री
८३८६	शीर्ष	(सिचाई मन्त्री)	(श्री सिंचाई मंत्री)
८३८७	३	प्रश्न चल है।	प्रश्न चल रहा है।
,,	७	(वैर) क्या	(वैर) : क्या
८३८८	शीर्ष	(खनिज मन्त्री)	(श्री खनिज मन्त्री)